खण्ड-438, अंक-9
शुक्रवार, 28 वैशाख, शक संवत् 1923
(18 मई, 2001 ई0)

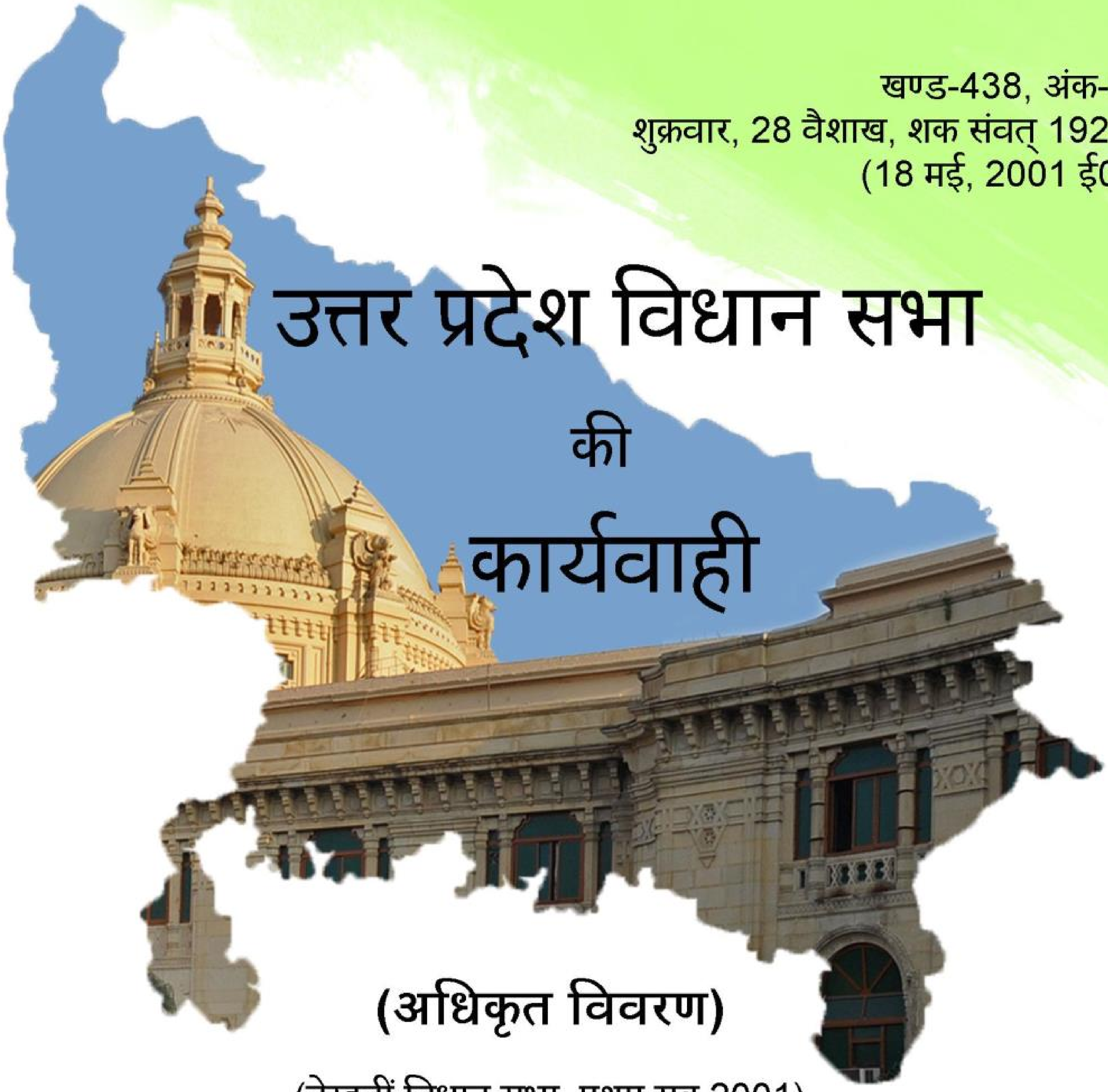

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग-घ
सदन में संसदीय कार्य मंत्री की अनुपस्थिति पर आपत्ति	1-0
प्रश्नोत्तर	1-69
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	
एस0डी0एम0 लालगंज (आजमगढ़) द्वारा आम का हरा पेड़ कटवाने तथा मकान गिरवाये जाने की सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जानकारी	69
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	69-70
जनपद चित्रकूट के ग्राम रैपुरा, ब्लॉक मानिकपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मझवां स्थित क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निमाण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद कन्नौज को फर्रुखाबाद जनपद में विलय करने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	71
मंत्रिमण्डल में व्याप्त मतभेद के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	71-72
पर्यटन राज्य मंत्री द्वारा प्रथम सत्र 2001 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 164 का उत्तर तथा इसी विषय पर दिनांक 15 मई, 2001 को दिये गये बजट भाषण में परस्पर विरोधाभाष होने विषयक औचित्य का प्रश्न	72
जनपद जालौन के थाना कदौरा ग्राम मलेला निवासी सैनिक का स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न	72
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1) (प्रस्तुत किया गया)	72-73
उत्तर प्रदेश की तेरहवीं विधान सभा की नियम समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन ------- (प्रस्तुत किया गया)	73
पर्यटन राज्य मंत्री से सम्बन्धित विषय को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से पुन: उठाने का प्रयास	73
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	73-74
सदन की परम्पराओं नियमावली तथा पीठ के निर्देशों का पालन किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	74
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ------- (जारी)	74
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)	75-78

अविशुद्ध प्रति

प्रदेश के मेरठ गाजियाबाद तथा नोएडा में नकाबपोश बन्दर के आतंक से उत्पन्न स्थिति विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना 78-81

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या 93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ---- (स्वीकृत) 81-118

आज की कार्य-सूची की मद सं0 10 (3) अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) का स्थगन कर 24 मई, 2001 की कार्य सूची में सम्मिलित किये जाने की सूचना 118

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं 118-120

नत्थी 121-123

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 18-05-2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य उपस्थित थे:-

1- अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2- अजय राय, श्री — वाराणसी
3- अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4- अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
5- अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
6- अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
7- अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
8- अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
9- अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
10-ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
11-ओमकार सिंह, श्री — बदायूँ
12-ओम प्रकाश, श्री — एटा
13-कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
14-काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
15-कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
16-काशी राम, श्री — रामपुर
17-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
18-गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
19-गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
20-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
21-गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
22-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
23-चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
24-चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
25-जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
26-जमालुद्दीन सिद्दकी, श्री — फर्रुखाबाद
27-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
28-जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
29-ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
30-तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
31-दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
32-दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
33-देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
34-धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
35-नरेन्द्र सिंह, श्री — आजमगढ़
36-पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
37-प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
38-प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
39-प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
40-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
41-बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
42-बच्चा पाठक, श्री — बलिया
43-बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
44-बाबू खां, श्री — हरदोई
45-बाबू राम, श्री — जालौन
46-बी0के0 गुप्ता, श्री — पीलीभीत
47-भरत सिंह, श्री — बलिया
48-भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
49-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
50-मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
51-यशवन्त, श्री — आजमगढ़
52-योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
53-रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
54-रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', कुंवर — प्रतापगढ़
55-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
56-रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
57-राजा गजनफर अली खां, श्री — बिजनौर
58-राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
59-राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
60-राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
61-राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
62-राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
63-राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
64-राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
65-राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0 — कानपुर नगर
66-राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
67-राम खिलाड़ी, श्री — बदायूँ
68-राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
69-रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई

70-राम पाल सिंह, श्री — गोण्डा
71-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
72-राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
73-राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
74-राम हर्ष सिंह, श्री — सुल्तानपुर
75-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
76-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
77-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
78-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
79-वहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
80-विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
81-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
82-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
83-विनय कुमार पाण्डेय, "बिन्नू", श्री — गोण्डा
84-विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
85-विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
86-विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
87-विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
88-वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
89-शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
90-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
91-शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
92-शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
93-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
94-शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकर नगर
95-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
96-संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
97-सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
98-सन्त श्री, — गोरखपुर
99-सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
100-सरदार सिंह, श्री — मथुरा
101-सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
102-सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
103-सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
104-सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
105-सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
106-सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
107-सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
108-सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
109-हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी श्री — सोनभद्र
110-हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

दिनांक 18 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 03 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

(गणपूर्ति के आभाव में सदन की कार्यवाही 03 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई।)

सदन में संसदीय कार्य मंत्री की अनुपस्थिति पर आपत्ति

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी गायब हैं विधान सभा से। आप ही तीन मिनट लेट हो गये।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मत्री जी ने अभी अनुरोध किया था कि इनका प्रश्न विधान परिषद् में लगा है, जैसे ही वहां से खाली हो जायेंगे, आ जायेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

वहां तो इनकी बहुत लम्बी फौज पहले से ही लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन एक प्रश्न का जवाब इन्हीं को देना है। जैसे ही हो जायेगा वे आ जायेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पौलीथीन के प्रयोग/उत्पादन पर प्रतिबन्ध की जानकारी

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

**1-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौलीथीन के प्रयोग एवं उसके उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और उसका प्रारुप क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)-

प्रदेश में पौलीथीन के प्रयोग एवं उसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से अधिसूचना दिनांक 01 नवम्बर, 2000 द्वारा उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 लागू किया जा चुका है।

उक्त अधिसूचना में सार्वजनिक नालियों और मल नालियों में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेकने पर प्रतिबन्ध, जीव अनाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए कूड़ेदान रखने और स्थानों की व्यवस्था, जीव अनाशित कूड़ा-कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य, जीव अनाशित कूड़ा-कचरा को हटाने की स्थानीय अधिकारियों को ज्ञाप्ति दी गयी है तथा पुन: चक्रिय प्लास्टिक का उपयोग किसी भी रुप में किसी खाद्य का भण्डारण न करने आदि और यदि ऐसे प्लास्टिक की मोटाई 20 माइक्रेन से कम हो, का उपयोग न करने का प्राविधान किया गया है तथा इन उपबन्धों का उल्लंघन करने पर शस्ति का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पौलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में पर्यावरण अधिनियम-1986 की धारा (4) में राज्य सरकार को कोई ज्ञाप्ति प्राप्त है? यदि वह ज्ञाप्ति राज्य सरकार को प्राप्त है तो राज्य सरकार ने उसके अधीन क्या कार्यवाही की है? कृपा करके बताने का कष्ट करे।

श्री सतीश महाना-

पौलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध राज्य सरकार नहीं लगा रही है यह केन्द्र सरकार का विषय है इस पर प्रतिबन्ध लगाना हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा-4 के अन्तर्गत इसके प्रयोग का अधिकार दिया गया है। मंत्री जी ने कहा यह केन्द्र सरकार का विषय है राज्य सरकार का विषय नहीं है मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने धारा-4 का प्रयोग करके चक्रित प्लास्टिक बनाने की अनुमति दी है इस प्रतिबंध के साथ खाद्य रंगों का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि चक्रित प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि केन्द्र सरकार का विषय है और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने चक्रित प्लास्टिक को प्रतिबन्ध के साथ अनुमति दी है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा-4 के अधीन जो शक्तियां राज्य सरकार को दी है वह क्या हैं?

श्री सतीश महाना-

आपका प्रश्न आपके उत्तर से स्पष्ट हो जाता है। आपने कहा कि धारा-4 के अन्तर्गत चक्रित प्लास्टिक के नार्म्स निर्धारित किए गए हैं कैसे कैमिकल का उपयोग होना चाहिए, क्या प्रतिबन्ध है आप बता रहे हैं। आपने धारा-4 का उल्लेख किया तो जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है जो इंडस्ट्री है उसको इन शर्तों का पालन करना है कि उसे किस प्रतिबन्ध के साथ पौलीथिन बैग्स बनाने हैं, यह देखना उसका काम है नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इससे हमारा मतलब नहीं है। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है दूसरी बात प्लास्टिक के उपयोग पर किसी धारा में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है। अगर आप यह बतायेंगे कि भारत सरकार ने इस धारा के अंतर्गत पौलीथिन बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा रखा है तो उसका संज्ञान लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष जी, आपने स्वयं इस पर चिन्ता व्यक्त की है उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए पौलीथिन के उपयोग से तमाम गाय और जानवरों की मृत्यु हो रही है यह बहुत ही ज्वलंत समस्या है इससे नगरीय क्षेत्रों में जीवन नारकीय हो रहा है। इससे नालियां चोक हो जाती है पानी का निकास नहीं हो पाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने स्वयं कहा कि चक्रित प्लास्टिक के उपयोग की नार्म्स के साथ अनुमति दी है। धारा-4 में अनुमति दी है जिसकी मोटाई 20 माइक्रेन से कम होगी, उसका उपयोग न करने पर प्रतिबन्ध है। इन्होंने 20 माइक्रेन से कम की मोटाई पर छानबीन कराई है। जौ मौजूदा प्रतिबन्ध है इसके तहत क्या किया गया है? क्योंकि 1 नवम्बर 2000 से उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 लागू किया जा चुका है। इसको लागू करने के बाद क्या-क्या किया गया क्या कोई योजना बनाई है कैसे कार्यवाही की जाएगी?

और उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस अधिनियम का संदर्भ दिया है और अपने उत्तर में कहा है कि ऐसी प्लास्टिक की मोटाई 20 माइक्रेन से कम हो, का उपयोग न करने का प्राविधान किया है। जहाँ तक खाद्य पदार्थ की बात है पुन: चक्रित प्लास्टिक का उपयोग किसी भी रुप में किसी खाद्य भण्डारण आदि में न करने का प्राविधान किया है। यही उद्देश्य है जहाँ तक अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर, 2000 द्वारा उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 की बात है तो हमने नगर निगम को निर्देश जारी किये थे कि जो कूड़ा और प्लास्टिक है, जो विनाश नहीं हो सकता, उसको अलग तरह रखने का प्राविधान रखा जाय, अलग कूड़ादान बनाया जाय। हमने नवम्बर में इस एक्ट को पास किया है। हम इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय निकाय भी चिन्तित है कि किस प्रकार अलग-अलग कूड़ा रखने की कार्यवाही की जाय। कार्यवाही चल रही है। हम इसे गम्भीरतापूर्वक ले रहे हैं और जो प्राविधान है उसके अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं। जब इसकी व्यवस्था हो जायेगी, प्रभावी ढ़ग से इसको लागू करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछा है कि कार्यवाही क्या हुई है? आपने कहा कि 20 माइक्रेन से कम होगी तो इन उपबन्धों का उल्लंघन करने पर शास्ति का प्राविधान है तो कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? पूरे उत्तर प्रदेश में इन निर्देश के बाद कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई? खाद्य पदार्थों के साथ जो रासायनिक दुरुपयोग हो रहा है वह समाप्त किया जा चुका है?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य शायद उत्तर को सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। यह एक विद्वान सदस्य है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाया है तो मेरा स्पष्ट उत्तर है कि हमने किसी प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। जो खाद्य पदार्थ से भिन्न की वस्तुऐं हैं यदि ऐसे प्लास्टिक की मोटाई 20 माइक्रेन से कम हो, का उपयोग न करने का प्राविधान किया है।

डा0 वेदप्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, समाचार पत्रों में समाचार निकला था कि एक कीड़ा ऐसा है जिसका प्रिय भोजन प्लास्टिक है, अगर इस कीड़े का विकास सही ढंग से किया जाय तो प्लास्टिक की समस्या खत्म हो जायेगी। तो क्या इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे और इसका बढ़ावा करके प्लास्टिक की समस्या को खत्म करने की योजना बनायेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कई प्रकार के कीड़े हैं समाज में वह कौन से कीड़े की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। मान्यवर, विभिन्न स्थानों पर बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तो किसी समाचार-पत्र का पूरा रिफरेंस के साथ जानकारी मिल जायेगी तो हम उसका उपयोग करके जो भी आवश्यक होगा समायोजित करने का प्रयास करेंगे अपनी इस योजना में।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मानव ने जो आविष्कार किये हैं उसमें पालिथीन एक विनाशकारी अविष्कार है। सरकार उस पर कोई रोक नहीं लगायेगी। मान्यवर, 20 साल पहले पालिथीन का प्रयोग पूरे देश और प्रदेश में कहीं नहीं होता था। आज दूध, सब्जी, दवा आदि सब में पालीथीन का इस्तेमाल होता है। मान्यवर, नगर पालिकायें कूड़ों में इसे फेंक देती है जहां पालिथीन का कचड़ा जमा रहता है मान्यवर, आप नैनी जाते हैं दाहिनी तरफ उस गड्ढे में 70 प्रतिशत पालिथीन फेंका हुआ है जिससे पानी का रिसाव जमीन में नहीं हो पाता है। क्या इसकी गम्भीरता को देखते हुए उस पर रोक लगाने का प्राविधान करेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट आ चुका है कि हमारा पालिथीन के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार नहीं है। मैं उस बात से आपसे सहमत हूँ कि उसका उपयोग कर अनियंत्रित रुप से फेंका जा रहा है उसी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए हम अधिनियम लाये थे प्रभावी ढंग से उसे लागू करायेंगे। जो आपने चिन्ता व्यक्त की है उसका हम पालन करेंगे।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, पालीथीन से पूरे प्रदेश को बहुत ही क्षति हो रही है जानवरों को हो रही है, प्रदूषण और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है जो आप प्रभावी कदम उठाना चाहते हैं तो क्या इस सिलसिले में भारत सरकार से बात करके इस पर कोई कानून बनाने की सोचेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कानून बना है इसी सदन के अंदर उसको हमने पास कराया है मान्यवर, समय-समय पर भारत सरकार के समक्ष जो हमारी चिन्तायें हैं व्यक्त करते हैं विस्तार से भारत सरकार को वर्तमान वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए वहां पर जानकारी देंगे।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, जो पालीथीन की मोटाई 20 माइक्रेन से कम है का उपयोग न करने का प्राविधान आपने बताया है तो उससे अधिक की जो इजाजत दी है वह अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो निश्चित रुप से जब वह बेतरती तरीके से फेंक दिया जाता है तो उसे गाय खाती है और वह मर जाती हैं। इसी तरह से जो टाउन एरिया हैं, म्युन्सिपल एरिया हैं वहां पर इकट्ठा होकर खेतों में चला जाता है और वहां पर परेशानी होती है तो जिसकी अपने इजाजत दी है उसका दुरुपयोग होता है तो उसके प्रतिबन्ध के लिए आपने क्या उपाय किया है?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस अधिनियम को पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी हो जायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, इस पालीथीन के बढ़ते हुए उपयोग को देखते हुए जो प्रजापति गिलास बनाता है और जो पत्तल का उपयोग है वह ठप होता जा रहा है तो क्या इस बात को देखते हुए इस पालीथीन के उपयोग से हमारे कुटीर उद्योगों पर जो प्रतिकूल असर पड़ रहा है इस पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए उसके प्रसार को रोकने की कृपा करेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसका उत्तर मैं तीन बार दे चुका हूँ प्रतिबन्ध लगाने की बात पर मैंने बोला हैं कि इस पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार नहीं है।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी सदन में व्यक्त की गयी चिन्ता को आधार बनाकर भारत सरकार से इस पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करेंगे? दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 में रिसाइक्लिंग पालीथीन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और इस अधिनियम की धारा 5 की शक्तियों के प्रयोग हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है, उसे कुछ शक्तियां प्रदान की गयी है। तो क्या राज्य सरकार अधिनियम की धारा 4 में शक्तियों का प्रयोग करके उस पालीथीन का कैसे उत्पादन हो रहा है नियम के अनुसार या नियम के विपरीत उसका उत्पादन हो रहा है क्या इसकी जांच करने के ऊपर विचार करेंगे? तीसरा, क्या इस सम्बन्ध राज्य सरकार को विधि आयोग की कुछ संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं, वह संस्तुतियां मेरे पास हैं। विधि आयोग ने रिसाइक्लिंग के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है और लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व यह संस्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं तो इसको भी आधार बनाकर भारत सरकार से इस सम्बन्ध में उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार करेगी ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य धारा 4 और धारा 5 का यहां पर बार बार संदर्भ ले रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा है कि पोल्यूशन एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत जो नार्म्स तय किये गये हैं कि इस तरह से पालीथीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उसका पालन कड़ाई से किया जायेगा। मैं उद्योग विभाग को भी इसके लिए लिख सकता हूँ, पोल्यूशन एक्ट के अन्तर्गत उसके प्राविधानों के साथ लिख सकता हूँ कि जो धाराएं हैं उसका पालन सुनिश्चित करें और कड़ाई से पालन करवायें। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस सम्बन्ध में मेरे पास पूरी जानकारी है। जो इससे पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा है उससे जो खतरा है इससे भारत सरकार भी चिन्तित है। हम उनको समय-समय पर अवगत कराते रहे हैं। हम स्वयं पूरे डिटेल्स के साथ इस प्रकार का निवेदन कर देंगे कि यह वस्तुस्थिति है वह जो मार्गदर्शन देंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बिजली का अवैध उपभोग करने वालों को विद्युत कनेक्शन देने के आदेश

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

*1-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी में कटिया लगाकर बिजली का अवैध उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

जी हाँ। कटिया के नियमितीकरण की सुविधा 22.5.2001 तक उपलब्ध है। इसके बाद सघन काम्बिंग आपरेशन करके कटिया को विद्युत चोरी मानकर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री गोरखनाथ पाण्डेय का नाम पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश में साइबर कैफे खोले जाने की योजना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

*2-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साइबर कैफे व साइबर पार्क खोले जाने के संबंध में कोई नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या यह सही है कि प्रदेश में खुल रहे उक्त कैफे एवं पार्कों में अश्लीलता एवं सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उन पर प्रभावी नियंत्रण लगायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सतीश महाना-

सूचना प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए नये रोजगार सृजन हेतु उद्योग विभाग के सहयोग से विभिन्न शहरों में साइबर कैफे स्थापित करने हेतु परियोजना तैयार की गयी है।

इस परियोजना के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्र इच्छुक आवेदकों का चयन करेगा एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अल्प आय वाले प्रत्याशियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने तथा उचित तकनीकी प्रशिक्षण देकर साइबर कैफे लगवाने में मदद करेगा। इसके अंतर्गत देश के टेलीफोन बूथों को साइबर कैफे में बदलने को प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि सामान्य जनता भी इस क्षेत्र के विकास से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही शहरों के विभिन्न इलाकों में निजी तौर पर सामान्य जनता द्वारा साइबर कैफे खोले जा रहे हैं। इस परियोजना द्वारा जनता को ई-मेल, हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग, इन्टरनेट सुविधा, फैक्स, टेलीफोन, डेस्क टॉप पब्लिकेशन, वीडियो गेम्स आदि सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत, पब्लिक आई0टी0 इन्टरफेंस के लिए सरकार के विभिन्न विभागों की जन साधारण सम्बन्धी सूचनाओं को साइबर कैफे द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। साइबर पार्क खोलने की कोई परियोजना अभी निर्धारित नहीं की गयी है। अश्लीलता एवं सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा ग्रह विभाग के सहयोग से कार्यवाही की जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने पूछा था, कि क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या साइबर कैफे व साइबर पार्क खोले जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की गयी है? और मेरा आखिरी प्रश्न था कि कैफे एवं पार्कों में अश्लीलता एवं सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां की जा रही है क्योंकि इससे सामाजिक बुराइयों को बढ़ने का प्रयास शुरु हो गया है तो इसका उत्तर आया है कि अश्लीलता एवं सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा गृह विभाग के सहयोग से कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में बने कानूनों के अन्तर्गत जो यह सूचना प्रौद्योगिकी है इलेक्ट्रानिक विभाग का कानून है जो साइबर कैफे और साइबर पार्क है वह अश्लीलता और सामाजिक बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं वर्तमान कानून में क्या प्राविधान है? क्या सरकार को इस प्रकार के उदाहरण मिले हैं या नहीं?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिलाधिकारी या जनपदों के अधिकारियों को यह जानकारी नहीं है कि इसमें किस प्रकार के अपराध हो रहें हैं और क्या प्रतिबन्ध लग सकता है? तो सरकार के जो भी प्राविधान हैं उन

प्राविधानों के अन्तर्गत इस बुराई के संबंध में अवगत कराते हुए समस्त जिलाधिकारियों को अवगत करायेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, सामाजिक बुराई और अश्लीलता के संबंध में। उसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इन्फार्मेशन टेक्नालोजी एक्ट, 2000 की धारा 67 व 68 के अन्तर्गत यदि कोई इस तरह का साहित्य या अश्लीलता का प्रर्दशन किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसके ऊपर दंड का प्राविधान किया गया है। मैं इस एक्ट के धारा 67 को पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हिन्दी में अनुवाद कर दूँगा।

ह्यू इवर पब्लिशेस आर ट्रान्सनिट्स आर कॉजेज टू बी पब्लिश्ड इन द इलेक्ट्रानिक फार्म एनी मैटीरियल व्हिच इज लैससिविअज आर अपील्स टू द प्रूरिएन्ट इन्टरेस्ट आर इफ इट्स इफैक्ट इज सच एज टू टेन्ड टू डिप्रेव एण्ड करप्ट पसैन्स हू आर लाइक्ली हैविंग रिगार्ड टू आल रिलीवेन्ट सर्कम्स्टेन्सेस टू रीड सी आर हीअर द मैटर कन्टेन्ड आर इम्बाडीड इन इट शेल बी पनिश्ड आन फर्स्ट कनविक्शन विद इम्प्रीजनमैन्ट आफ आइदर डिस्क्रेप्सन फार ए टर्म व्हिच मे इक्स्टेन्ड टू फाइव ईयर्स एण्ड विद फाइव व्हिच मे इक्स्टेन्ड टू वन लैक रुपीज एण्ड इन द इवेन्ट आफ ए सेकेन्ड आर सब्सीक्वेन्ट कन्विक्शन विद इम्प्रीजनमेन्ट आफ आईदर डिस्क्रिप्शन फार ए टर्म व्हिच मे इक्स्टेन्ड टू टेन ईयर्स एण्ड आलसो विद फाइन व्हिच में इस्क्टेन्ड टू टू लैक रुपीज.

मान्यवर, इसमें इस तरह का साहित्य, अश्लीलता, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, का प्रयोग करते हुये यदि पाया गया तो उसके अन्तर्गत 5 वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने का प्राविधान है। यदि ऐसा पाया जायेगा तो इस धारा का प्रयोग करते हुये पहले संबंधित थाने के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, तद्नुसार कामर्शियल एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि वर्तमान में जो प्राविधान हैं, जनपदों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी जानकारी नहीं है तो क्या सरकार इस कानून का रिफरेन्स देते हुये, समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करने की कृपा करेगी? इस संबंध में सरकार कोई परिपत्र भेजने पर विचार करेगी?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ऐक्ट जो बनाया गया है, उसके संबंध में जिलाधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को, जो भी आवश्यक हो, करने के लिये निर्देशित कर देंगे।

श्री बी0आर0 वर्मा-

जो लिखित उत्तर दिया, उसके पैरा 2 के नीचे की तरफ स्वीकार किया गया है कि प्रदेश में साइबर पार्क खोलने के संबंध में कोई परियोजना अभी निर्धारित नहीं की गयी है। तो किस आधार पर सेन्चुरी कन्सलटेंट्स को गोमती नगर में साइबर पार्क बनाने के लिये पैसा दे दिया गया?

श्री अध्यक्ष-

यह तो अलग से प्रश्न करिये। यह तो नीति विषयक प्रश्न था, आपका प्रश्न दूसरा है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

अगर कोई परियोजना निर्धारित नहीं है तो जिस परियोजना का मैं नाम ले रहा हूँ, इसी लखनऊ के गोमती नगर में 25 एकड़ जमीन साइबर पार्क बनाने के लिये कैसे दे दी गई?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी क्या आपके पास सूचना है?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सरकार की साइबर पार्क खोलने/डेवलप करने की कोई योजना नहीं है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

25 एकड़ जो जमीन दी गई है, यह उस व्यक्ति की तो नहीं है, यह तो सरकार की जमीन है।

श्री अध्यक्ष-

अगर किसी ने जमीन के लिये अनुरोध किया हो, किसी निजी संस्थान ने किया हो तो दी गई होगी। इसका अलग से प्रश्न कर लीजिये, तो पूरे तथ्य आ जायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यदि किसी निजी व्यक्ति ने ही इसके लिए अनुरोध किया तो क्या शासन द्वारा बिना परीक्षण कराये ही उसे जमीन दे दी गयी? निश्चित रुप से शासन ने इसमें परीक्षण कराया होगा। मंत्री जी कहते हैं कि शासन के पास विचाराधीन नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र के लिए जो यह 25 एकड़ भूमि राजधानी लखनऊ में दी गयी है, यह जमीन किस आधार पर दी गयी है?

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तथ्यों की आवश्यकता होगी। आप अलग से तारांकित/अतारांकित प्रश्न इसके लिए कर दीजिए, उत्तर आ जायेगा।

प्रदेश में फसलों की सिंचाई/मड़ाई हेतु अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति सम्बन्धी प्रकरण

श्री राम ललित चौधरी-

*3-क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसलों की सिंचाई एवं मड़ाई के लिये ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति की कोई नीति सरकार द्वारा बनायी जा रही है? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सतीश शर्मा)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन निर्धारित 10 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करा पाना संभव नहीं है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी 10 घण्टे बिजली देने की बात करते हैं जबकि हैदरगढ़ और हरदोई को छोड़कर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है, वहां 5-6 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। जबकि मंत्री जी बराबर 10 घण्टे की बात कर रहे हैं। मंत्री जी ने विद्युत की कमी भी स्वीकार की है कि प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन निर्धारित 10 घण्टे से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करा पाना संभव नहीं है। जब स्वयं कमी स्वीकार की है तो 10 घण्टे बिजली कैसे दे रहे हैं? एक सवाल है कि वास्तविक रुप से गांवों में कितने घण्टे बिजली दी जा रही है और दूसरा सवाल कि गांवों में भी अब टी0वी0 और पंखे हैं और खेती के कार्य में भी बिजली की आवश्यकता है? तो क्या मंत्री जी ग्रामीण अंचलों में बिजली आपूर्ति के घण्टों में वृद्धि करेंगे? और तीसरा सवाल है कि यदि गांवों में बिजली आपूर्ति के घण्टों में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं तो बिजली बिल तो 24 घण्टे के अनुसार आता है, उसका अनुबन्ध 24 घण्टे के अनुसार होता है। जब आप 4-5 घण्टे ही बिजली दे रहे हैं तो जो बिल आता है क्या उसमें 50 प्रतिशत छूट आप देंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, वैसे भी कई बार हम उत्तर दे चुके हैं, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि गांव की विद्युत की दर फिक्स है वहां बिल मीटर रीडिंग के आधार पर नहीं पड़ रहा है अगर आप देखें तो जो बिल आता है वह मात्र 2 घण्टे बिजली का उपयोग करने पर ही पूरा हो जाता है। हम तो यह भी कहते हैं कि यदि किसी फीडर पर टोटली मीटर से गांव वाले राजी हों तो हम उन गांवों को 24 घण्टे बिजली देने पर तैयार हैं। मांग और आपूर्ति का जो अन्तर है वह मौसम के अनुसार होता है। इधर कुछ मांग कम होने के

कारण हमें कुछ बिजली थर्मल पावर स्टेशन बैंक भी करनी पड़ी। यह मौसम पर निर्भर करता है। हमारी जो रोस्टिंग है, जो स्यूडूल है वह गांव के लिए 10 घण्टे, शहरों के लिए 24 घण्टे और तहसील के लिए 18 घण्टे का है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जो उत्तर दिया गया है वह सैटिस्फैक्टरी नहीं है, कि रेट फिक्स कर दिया है। मेरा कहना है कि उस फिक्स रेट के अनुसार भी आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो क्या बिजली के बिल में कोई छूट देंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमने कहा कि गांवों में फिक्स रेट है, मात्र वहां 62 रुपये पड़ता है और यह 2 घण्टे के उपयोग से ही पूरा हो जाता है। अगर 5-6 घण्टे भी आप स्वीकार कर रहे हैं, हम तो 10 घण्टे दे रहे हैं। मड़ाई के समय हमने 12 घण्टे भी दी है, हमने 300 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली किसानों को दी है ताकि उनकी मड़ाई हो सके। इसलिए इनका यह कहना गलत है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, शहरी इलाकों को 24 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।...

श्री अध्यक्ष-

कहीं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बकौल माननीय मंत्री जी, शहरी इलाकों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है। आप भी इससे प्रभावित हैं। गांवों में 10 घण्टे बिजली देने की बात कही है लेकिन सही बात यह है कि मुश्किल से दो-ढ़ाई घण्टे बिजली आपूर्ति हो पाती है और कभी-कभी तो हफ्ते-हफ्ते भर बिजली गायब रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, किसानों ने कौन सा गुनाह कर दिया है? गांवों में रहने वाले लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया है? जो बिल आप दे रहे हैं उसमें कोई छूट देने की बात नहीं कर रहे हैं, न ही बिजली देने की बात कर रहे हैं, यह अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वह किस दुराग्रह से ग्रस्त हैं। यह किसान प्रधान देश है, बिजली न होने से खेती का काम भी प्रभावित हो रहा है। तो क्या सरकार किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् हमने स्पष्ट रुप से बताया कि 10 घण्टे हमारा शिड्यूल है, माननीय स्वामी प्रसाद जी आपके दल की नेता प्रदेश की मुख्य मंत्री रही हैं उनके जमाने में भी यही शिड्यूल था। हम किसानों को 24 घण्टे बिजली दे देंगे लेकिन बिजली ज्यादा देंगे उतनी ज्यादा बिल आयेगा और राज्य सरकार का घाटा बढ़ता जायेगा। दोनों हाथों से ताली बजती है। सिंगल प्वाइंट से आप बिजली ले लें और मीटरिंग करा लें, हम 24 घण्टे बिजली देने के लिए तैयार हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, गांव विरोधी है और जब बिजली नहीं दे सकती है तो गांव के किसानों का ट्यूबवेल कैसे चलेगा? यह सरकार किसान एवं गांव विरोधी है इसको देखते हुये बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(अनुपूरक उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री उदय राज यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी बराबर ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की घोषणा करते चले आ रहे हैं1 मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद में तमाम ऐसी लाइनें हैं जिनके बारे में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है और मैंने मंत्री जी को भी कई बार अवगत कराया है,

विगत एक-डेढ़ वर्षों से तार कटिंग और चोरी होने के कारण लाइनें बंद पड़ी हैं। उसके बाद भी लाईनों से संबंधित जितने किसान थे उनके बिजली बिल बराबर आ रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित लाईनों से जुड़े किसानों के बिल माननीय मंत्री जी जांच कराकर माफ करने का काम करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यह सही है कि माननीय सदस्य ने कई बार मिलकर अपनी व्यक्तिगत चिन्ता जतायी। यह भी सच है कि लखनऊ मण्डल में उन्नाव जनपद में सबसे ज्यादा तार चोरी हो रही हैं पिछले वर्ष 1 करोड़ रुपये के तार चोरी हुये और माननीय विधायक जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चोरी हो रही है।...

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, हड़हा विधान सभा क्षेत्र से विधायक व मंत्री जी0बी0 सिंह के क्षेत्र में हमारे यहां से ज्यादा चोरी हुई है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

तार बदलने की प्रक्रिया है, उसके हिसाब से तार दे रहे हैं। वहां के जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि मान्यवर, इस प्रकार विद्युत तार चोरी पर कार्यवाही हो रही है और जहां तक बिल माफ करने की बात है इस पर कोई विचार नहीं है।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, यह जो सिंगल प्वाइन्ट पर 24 घण्टे बिजली देने की योजना है, इसके टर्मस और कंडीशन क्या है? क्या इसको एडवरटाईज करने का प्रयास किया गया है ताकि गांव को इसका लाभ पहुंच सके। यदि कोई ठेकेदार आगे आकर सबके बिल कलेक्ट करके उसको जमा करने का काम करे ताकि गांव वालों को बिजली मिल सके, क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इस पर विचार कर लिया जायेगा।

डा0 वेदप्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो सिंगल प्वाइन्ट पर 24 घण्टे बिजली देने की योजना है, उसके लिए शर्तें बता दें और सदन में घोषणा करें, यह बड़ा अच्छा कदम है, एक ही फीडर पर 24 घण्टे बिजली मिल जायेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो 33 के0वी0 की लाईने हैं और जिससे 11 के0वी0 के फीडर निकलते हैं। अगर एक गांव वाले यह तय कर लें और एक सोसायटी बना लें और इस आधार यदि 24 घण्टे बिजली देने का आफर आयेगा तो उसके अनुसार नेगोसियेशन करके उस पर विचार कर लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 33/11 के0वी0 सब स्टेशन से कोई गांव बिजली 24 घण्टे चाहेगा तो आप दे देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि गांव में लोगों के घरों में मीटर लगाकर जितनी बिजली का उपयोग वह करेंगे उसके अनुसार चार्ज लेने की व्यवस्था करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमने तो सिंगल प्वाईन्ट की योजना बनायी है।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, हमारे यहां मोहम्दी और मितौली फीडर बंद है, बिजली नहीं मिल रही है, क्या इसकी जांच कराके जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? जैसा आपने कहा, मैं पांच गांव के बारे में आपको संस्तुति दूंगा। क्या उनको 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें हम उनकी दोनों बातों पर विचार करेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने की कार्य योजना

श्री राम औतार शाक्य-

*1-क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं तो क्यों?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

जी हां।

विवरण निम्नवत है:-

1-सर्वेक्षण/निरीक्षणों के माध्यम से बाल-श्रमिकों का चिन्हांकन।

2-खतरनाक उद्योगों में चिन्हित बाल-श्रमिकों के नियोजकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही।

3-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 में दिये गये निर्देशानुसार खतरनाक नियोजनों में चिन्हित बाल-श्रमिकों की संख्या के सापेक्ष उनके नियोजकों से प्रति बाल-श्रमिक रु0 20,000/- की वसूली की कार्यवाही।

4-चिन्हित बाल-श्रमिकों का शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाना।

5-चिन्हित बाल-श्रमिकों के अभिभावकों को शासन की विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाना।

6-प्रदेश के 11 जनपदों में राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजना के अन्तर्गत एन0सी0एल0पी0 स्कूलों के माध्यम से बाल-श्रमिक को शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

7-जन-सामान्य में जन-जागरण के माध्यम से बाल-श्रमिकों के नियोजन पर रोक हेतु प्रयास।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, बाल श्रमिकों का शोषण बचाने के संबंध में यह मैंने प्रश्न किया है। यह सही है कि बाल श्रमिकों का शोषण नहीं होना चाहिये। कालीन उद्योग में जो बच्चे काम करते हैं उनकी उंगलियां क्योंकि नरम होती हैं इसलिये कटती हैं। विदेशों में यह सोचकर कि यह कालीनें बच्चों के खून से बनी हैं अर्थात् बच्चों के कठोर श्रम से बनी हैं, इसलिये कालीनों का एक्सपोर्ट काफी हद तक बंद हो गया और इससे कालीन उद्योग की बहबूदी प्रभावित हो रही है। दूसरी समस्या है जो बाल श्रमिक हैं जो होटलों में काम करते हैं ठंड से उनकी उंगलियां कट जाती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन बाल श्रमिकों का स्टैण्डर्ड बढ़ाने के लिये उनके अभिभावकों को सहायता प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या-क्या योजनायें बनायी हैं जिनसे बाल श्रमिकों का शोषण रुक सके?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस संबंध में जो कार्यवाही की गयी है वह एक तो यह है कि जहां यह काम करते हैं उन कारखानों का आइडेंटीफिकेशन सर्वेक्षण कराकर कराया जाय। इनमें जो सेवायोजक चिन्हित किये गये हैं वह दो प्रकार के हैं, एक तो खतरनाक उद्योग और दूसरे जो खतरनाक उद्योग नहीं हैं वहां कितने बच्चे काम करते हैं इसका पता लगाकर कार्यवाही करना। तीसरे इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करना। इनके लिये 338 स्कूल हैं और जो एन0सी0एल0पी0 की योजना है उसके अंतर्गत यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 43718 है। जिन परिवारों के यह बच्चे हैं उनके एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 2.50 रुपये डाइट मनी और 100 रुपये छात्रवृत्ति के रुप में दिया जाता है। हमारा प्रयास है कि यह बच्चे पढ़े और सड़कों पर न घूमें ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि खतरनाक नियोजनों में कार्यरत हैं उनकी संख्या क्या है? उनके विकास के लिये 20,000 रुपये प्रति बच्चे कारखाने वालों से वसूल किये जाते हैं। इसका व्यय किस प्रकार से सुनिश्चित किया गया है इसका उत्तर मैं चाहता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो खतरनाक उद्योग हैं उनमें 20271 तथा गैर खतरनाक उद्योगों में 23447 बाल श्रमिक हैं। इनको चिन्हित किया गया है। इनके लिये 60 लाख 78 हजार की धनराशि वसूल की गयी है। हर जिले में एक समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी है, ऐसे जिले 23 हैं जहां पर बाल श्रमिकों की ज्यादा समस्या है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जो धनराशि उपलब्ध हो उससे इसका रखरखाव करें।

लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत चिन्हित करने की जानकारी

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

*2-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चलाये गये अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत क्या लखनऊ महानगर में सारे अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गये हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें हटा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)-

जी नहीं।

तदैव

चिन्हित किया जा रहा है।

*3-श्री राम ललित चौधरी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में विधायकों के प्रस्ताव अनुसार विद्युतीकरण की जारी स्वीकृतियां

श्री श्रीराम पाल-

*4-क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों के प्रस्ताव पर 5 ग्रामों को विद्युतीकरण कराये जाने की घोषणा के अनुसार क्या विधान सभा वार प्रस्तावित ग्रामों की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वित्तीय वर्ष 2000-2001 की समाप्ति के पूर्व प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सतीश शर्मा-

मा0 विधायक से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृतियां जारी कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

संसाधनों की कमी के कारण 2000-2001 में ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण कराना संभव नहीं था।

विधायक निधि से धनराशि प्राप्त न होने के कारण संदर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि उन्होंने उत्तर में बताया कि मा0 विधायक से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। क्या मेरे ही प्रस्ताव की स्वीकृतियां जारी हुई हैं या प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी हुई हैं? दूसरे यह कि जिन गांवों की स्वीकृतियां जारी हो गई हैं और उनमें प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसे स्वीकृत गांव हैं जहां सामान पहुंच गया है कार्य चल रहा है तो ऐसे गांवों का कार्य पूर्ण करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मा0 सदस्यों की जो हमें संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं उनकी सूचना जिलों को भेज दी गई है यह सही है कि इसमें कुछ गांव पूरी तरह से उर्जीकृत नहीं हो सके हैं इसमें पावर कारपोरेशन से यह कहा है कि जो 1999-2000 के गांव हैं व पूरे नहीं हुए हैं और माननीय सदस्य के गांव हैं ऐसे गांव जुलाई तक पूरे हो जाएं। जुलाई तक पूरा करा देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी अभी उत्तर प्रदेश में 50 फीसदी गांव ही विद्युतीकृत हो पाए हैं और एक नई परम्परा सदन में बनती जा रही है तमाम मंत्रीगण ऐसे हैं जो सदन में बजट के समय घोषणा कर देते हैं और बाद में कह देते हैं कि अर्थाभाव है इसलिए यह सम्भव नहीं है यह नितान्त गलत परम्परा है मैं आपका संरक्षण चाहूंगा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी सड़क में यह कह दिया कि पैसा देंगे पैसा दिया नहीं, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जिला योजना भी खत्म कर दिया या तो बजट के समय बता देते तो हर विधायक अपनी निधि से विद्युतीकरण करा लेता अधिकांश विधायकों ने प्रस्ताव भेज दिया किसी के पास धन अवशेष नहीं है। क्या इस पर दुबारा पुनर्विचार करेंगे? आप कैबिनेट मंत्री हैं, सक्षम कैबिनेट मंत्री हैं सरकार पर दबाब डालें यह आपकी घोषणा है सदन में घोषणा की है उसे पूरा करने में आप धन उपलब्ध कराएं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, धन की उपलब्धता की कमी के कारण ऐसे गांव के उर्जीकरण का काम नहीं शुरु करा पाए। पहले विधायक निधि से ऊर्जीकरण कराने पर रोक थी अब हटा दी। अगर सदस्य अपनी निधि से पैसा दे देंगे चाहे पूर्वांचल विकास निधि हो या बुन्देलखण्ड विकास निधि से पैसा दे दें तो उनके गांव को ऊर्जीकृत करने पर विचार किया जा सकता है व ऊर्जीकरण करा दिया जाएगा।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सदन में जब कोई मंत्री या सरकार कोई घोषणा करती है तो अपने संसाधनों की पूरी जानकारी करने के बाद कितना संशोधन है उसके अनुरुप ही घोषणा किया करती है। यह सरकार कोरी घोषणा करती है जिन घोषणाओं का कहीं अनुपालन नहीं होता है। ऊर्जा मंत्री जी ने पांच गांव प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ऊर्जीकृत कराने की घोषणा की थी यह सदन में घोषणा की थी। जब इस सम्बन्ध में प्रश्न विधान सभा में आया तो मंत्री जी कह रहे हैं कि धनाभाव के कारण ऊर्जीकरण नहीं किया जा सकता। जब कोई सदन में घोषणा की जाती है तो उसकी व्यवस्था आय व्ययक में की जाती है। आप पांच गांव के ऊर्जीकरण की व्यवस्था आय व्ययक में सुनिश्चित कराते ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या इस पर आप ऐसी व्यवस्था देंगे कि भविष्य में सरकार का कोई मंत्री ऐसी घोषणा सदन में न करें व प्रदेश की जनता व सदन को गुमराह करने का काम न करे?

माननीय मंत्री जी कम से कम इन परम्पराओं का पालन करते हुए सदन को आश्वस्त कर दें कि जो पांच गांव घोषित किये गये उनको कहीं से भी संसाधन उपलब्ध कराकर ऊर्जीकृत करा देंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अशोक जी भी मंत्री रह चुके हैं स्थितियों का उनको भी ज्ञान है लेकिंन यह मैं कह सकता हूँ कि ऊर्जा मंत्री के रुप में मैंने जो माननीय विधायकों को पांच-पांच गांव दिये हैं, पहले कभी नहीं दिये गये।

कुंवर रेवतीरमण सिंह-

मान्यवर, यह कथन सही नहीं है इसके पहले भी हुआ है ऐसा हां बीच में कुछ अंतराल अवश्य हो गया था। जो अशोक बाजपेयी जी ने पूछा है उसका उत्तर आ जाना चाहिए। क्या सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, 1980 से हम भी विधान सभा के सदस्य रहे हैं सभी माननीय सदस्यों के कहने पर गांव ऊर्जीकृत नहीं हुए, हमने एक सकारात्मक प्रयोग किया है। धन उपलब्ध होते ही हम उनके मनपसंद गांव ऊर्जीकृत करा देंगे।

(इस समय 11 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम औतार शाक्य पीठासीन हुए)

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरा पोइन्टेड प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी किसी भी संसाधन के जरिये उन गांवों को ऊर्जीकृत करा देंगे हां या ना में उत्तर आ जाना चाहिए?

श्री अधिष्ठाता-

यह पोइन्टेड प्रश्न है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, धन उपलब्ध होते ही छूटे गांवों को ऊर्जीकृत करा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर मैं जानना चाहता हूँ...

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या बाजपेयी और बाजपेयी को ही अवसर दिया जायेगा और किसी को इनके बीच में अवसर नहीं मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, 99-2000 और 2000-2001 में जो नगरीय विधायकों को 15 लाख रुपये का काम कराने की सुविधा प्रदान की गई थी तो प्रस्ताव विधायकों द्वारा संबंधित अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं, उन कार्यों को कब तक आरम्भ और कम्पलीट करा देंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कार्य चल रहे हैं जो रुके होंगे उनको जल्दी ही पूरा करा दिया जायेगा।

श्री उदयराज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने विगत सत्र में 2000-2001 हेतु सभी माननीय सदस्यों को जो पांच गांव के विद्युतीकरण हेतु सूची मांगी थी उसके आधार पर सभी माननीय सदस्यों ने सूची भेज दी तो उन गांवों के विद्युतीकरण के लिए सरकार के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है कमी है तो क्या माननीय मंत्री जी अपने निजी संसाधन से यह कार्य करायेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है...

श्री वसीम अहमद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा लेकिन हमारे क्षेत्र गोपालपुर आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ 98-99 के पूरे नहीं हुए हैं। 99-2000 के शुरु नहीं हुए हैं। 2000-2001 की बात तो छोड़िये। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारे यहां के 99-2000 के अभी तक नहीं हुए हैं, कब तक पूरा करा देंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमने इसी सदन में कहा है कि जुलाई तक सारे गांव पूरे करा देंगे। माननीय सदस्य अपने यहां के बारे में लिखकर दे दें हम इसको व्यक्तिगत रुप से भी दिखवा लेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी-

मान्यवर, मैं दो प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ। एक तो यह स्पष्ट कर दें कि यह ऊर्जा मंत्री एक मात्र हरदोई के हैं या पूरे प्रदेश के हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि हरदोई में 2000-2001 के पांच गांव विद्युतीकृत हो गये हैं और वहीं सीतापुर जनपद में 2000-2001 के लिये अभी कार्यवाही शुरु ही नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि इसी सदन में कहा गया था बड़े जोर से और मेजें भी थपथपाई गई थी। पूरे प्रदेश में ऐलान किया गया था, घोषणा की गई थी पांच गांव विद्युतीकृत करायेंगे लेकिन यह आज उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पर वाकई सदन को गुमराह करने का आरोप है तो क्या मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे या विद्युतीकरण गांवों का करवायेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, नाम तो इनका बुनियाद है लेकिन बात बेबुनियाद वाली इन्होंने करी है। पहले यह बता दें कि स्वामी प्रसाद जी इनके नेता हैं, या ये अकेले नेता हैं। अगर पूरी बी0एस0पी0 इधर शामिल हो जाय तो मैं इस्तीफा देने की घोषणा करता हूँ। हम इनके लिये इतनी कुर्बानी करने को तैयार हैं।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मेरा आग्रह है ऊर्जा मंत्री से कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वह तो हम इनकी सहानुभूति के लिये कह रहे हैं।

डा0 वेद प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां 10-15 साल पहले पता नहीं किस योजना के तहत कहीं-कहीं खम्बे लगे हैं। तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि 40-50 प्रतिशत काम जो यह हो चुका है वहां पर तार वगैरह लगवाकर इस काम को पूरा करेंगे। गांव में छोटे मौजे लगे हुए होते हैं। क्या उन मजरों, मौजों का भी विद्युतीकरण साथ में करवायेंगे? दूसरी बात यह है कि विधायक निधि से हम लोग क्या पैसा दे सकते हैं गांवों के विद्युतीकरण के लिये? पहले इस पर रोक लगा दी थी। इन तीन बातों का जवाब माननीय मंत्री जी से दिलवा दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे कि कौन-कौन से गांव में 10-15 साल से अधूरे कार्य पड़े हैं। जो काम हो सकता होगा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो मौजों की बात कहीं तो गांव के साथ मौजे भी आ जायेंगे। माननीय सदस्य अपनी इच्छा से गांवों के लिये लिखकर दे सकते हैं। विधायक निधि की बात आयी। विधायक निधि से आप पैसा दे सकते हैं, इसमें अब रोक नहीं है।...

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

विद्युत की स्थिति बहुत खराब है।

अध्यक्ष अधिष्ठाता-

इस प्रश्न पर बहुत समय दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ऊर्जा मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की कि प्रति वर्ष 5-5 गांव को ऊर्जीकृत करेंगे। यह जनहित का मामला है आज उस घोषणा से मंत्री जी मुकर रहे हैं पीठ से निर्देश हों कि यह सरकार 2000-2001 की जिनकी स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं उनके लिए संसाधन का प्रबन्ध करके ऊर्जीकृत करायेंगे?

श्री दद्दू प्रसाद-

सदन में घोषणा की थी पांच गांव ऊर्जीकृत कराने की लेकिन उसमें सीमा निर्धारित है पांच लाख से ज्यादा जिसका स्टीमेट होगा उसको ऊर्जीकृत नहीं करेंगे?

(व्यवधान)

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मेरे क्षेत्र अमीरगंज किदवईकला में जो उपकेन्द्र है वहां एक फीडर चलाया जाता है जिसमें एक फीडर काम करता है तीन नहीं करते है क्या मंत्री जी तीनों फीडर चलवायेंगे?

श्री जगदम्बिका पाल-

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था यह सरकार जो पांच गांव को ऊर्जीकृत करने की घोषणा की गई थी वह नहीं कर रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जगदम्बिका पाल जी सदन का बहिष्कार करके चले गए उनका दल कौन सा है वह कौन से दल के हैं?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम पाल-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रश्न होते हैं उसके उत्तर आते हैं, मंत्रीगण वक्तव्य देते हैं लेकिन यह सब पीठ के माध्यम से होता है, माननीय मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी वह पीठ की मौजूदगी में की थी अब मंत्री जी घोषणा से मुकर रहे हैं। इसमें पीठ का अपमान हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री जी से कहा कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने किस संदर्भ में कहा है और आप मेरे संदर्भ को कहां से कहां ले गए।

मान्यवर, मैंने यह बात लखनऊ में कही थी जालौन में नहीं कही थी।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, मेरी बात पूर्ण नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है संसाधन की कमी के कारण 2000-2001 के ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण करना संभव नहीं है। यह 80 या 90 फीसदी का ही आश्वासन दे देते?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे ख्याल से 22 तारीख को ऊर्जा विभाग का बजट है अगर चर्चा उस दिन हो जाय तो और लोगों के प्रश्न आ जायेंगे। हमने यह कहा है कि संसाधन उपलब्ध होने पर ही कराया जायेगा।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 98-99, 99-2000 के जो पांच गांव स्वीकृत हुए थे उसके खंभे, तार और ट्रांसफारमर गांव की जनता अपने पैसे से ट्रेक्टर पर लादकर ले गयी थी और आजमगढ़ के जो अधिकारी हैं, ने टेन्डर किया था और टेन्डर के साथ जो-जो पैसे मिले वह अधिकारी और ठेकेदार आपस में बांट लिये। जो जनता के 25 हजार रुपये खंभे, तार और ट्रांसफारमर लेकर गयी थी वह खा गये तो ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार पूरे सदन के अन्दर सार्वजनिक रुप से घोषणा किये थी कि हम पांच गांवों को ऊर्जीकृत करेंगे जिसके कारण प्रत्येक विधायक ने अपने-अपने क्षेत्र में जनता से कहा था और अब जनता के प्रति जवाबदेही है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनको ऊर्जीकृत कराया जायेगा? आज यह अपनी बात से हट रहे हैं। अपने क्षेत्र में हमें जनता की खरी खोटी सुननी पड़ रही है। मैं

ऊर्जा मंत्री से कहूँगा कि यदि वे अपनी बात सरकार से मनाने की हालत में नहीं थे तो फर्जी घोषणा क्यों किया?

मान्यवर, इस विषय पर चूंकि मामला गम्भीर है और पूरे विधायकों से जुड़ा हुआ सवाल है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर पुनर्विचार करते हुए विधायकों के इस कार्य के संबंध में अपनी घोषणा करने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

जनपद गोण्डा के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में निर्मित विद्युत सप्लाई की माँग

श्री राम विशुन आजाद-

*5-क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के ग्रामीण अंचलों एवं शहरों में कितने-कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति बहुत कम होने के कारण कृषकों का कृषि एवं अन्य कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में नियमित रुप से विद्युत आपूर्ति करने के लिए कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद गोण्डा के ग्रामीण अंचलों एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 10 घंटे व 18 घंटे औसत प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का ही प्राविधान है।

श्री रघुवर दयाल शर्मा-

*6- [दिनांक 4-5-2001 को तारा0 प्र0सं0-6 द्वारा उत्तरित]

श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

*7- [स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री अधिष्ठाता-

तारांकित प्रश्न सं0-8

राज्य विद्युत उत्पादन इकाइयों में सुधार लाने का प्रयास

श्री श्याम देव राय चौधरी-

*8-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की विद्युत उत्पादन इकाइयों में आये दिन खराबी आने से उत्पादन ठप्प हो जाने के क्या कारण है? क्या सरकार उक्त स्थिति में सुधार लाने का कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत 28 इकाइयां कार्यशील हैं, जिसमें से 20 इकाइयां 20 से 33 वर्ष पुरानी हैं। इनके जीवन का उपयोगी समय व्यतीत हो चुका है।

जब-तब यंत्रों में आई खराबी के कारण इकाइयों को बन्द करना पड़ जाता है।

जी हां।

उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0 के ताप विद्युत गृहों में उत्पादन बढ़ाने हेतु दिनांक 25.2.2000 को केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था। इस एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत पी0एफ0सी0 के माध्यम से प्राप्त होने वाली रु0 2000 करोड़ की ऋण सहायता से प्रदेश के ताप विद्युत गृहों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण प्रस्तावित है। इस हेतु ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, अनपरा तथा पारीछा ताप विद्युत गृहों की आर0एण्ड एम0/ रिफर्बिशमेंट योजनायें बनाकर पी0एफ0सी0 को प्रेषित कर दी गई हैं। इनमें से आर0 एण्ड एम0 योजनाओं तथा ओबरा 5x200 मेगावाट रिफर्बिशमेंट योजना के विरुद्ध पी0एफ0सी0 द्वारा ऋण (योजना लागत का लगभग 70 प्रतिशत) स्वीकृत

कर दिया गया है। इन के आर0 एण्ड एम0 योजनाओं में 4 योजनाएं भारत सरकार के ए0पी0डी0पी0 (एक्सीलरेटेड पावर डेवलेपमेण्ट प्रोग्राम) के अंतर्गत ले ली गई हैं। ए0पी0डी0पी0 (एक्सीलरेटेड पावर डेवलेपमेण्ट प्रोग्राम) के अंतर्गत इन योजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण भारत सरकार से प्राप्त होगा। शेष 50 प्रतिशत धन ही पी0एफ0सी0 से वांछित है। अत: पी0एफ0सी0 द्वारा स्वीकृत ऋणों की धनराशियां संशोधित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इन ऋणों के आहरण हेतु भारत ने गारंटी प्रदान करने की सहमति दे दी है। अन्य योजनाएं ऋण स्वीकृति हेतु अभी पी0एफ0सी0 में विचाराधीन हैं। ये योजनायें 9वीं0 एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित की जायेंगी जिससे कि लाप विद्युत गृहों के उत्पादन मे वृद्धि हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री श्याम देव राय चौधरी खड़े हुए और व्यवधान के मध्य ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय, यह सरकार की [x x x] यह इनकी [x x x] नहीं चलेगी इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(घोर व्यवधान के मध्य समाजवादी पार्टी के श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर सदन के फ्लोर पर आ गये)

(बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश माननीय सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हुए जाने लगे एवं पुन: सदन में वापस आ गये। तथा श्री श्रीराम पाल, श्री राम ललित चौधरी, श्री राम अचल राजभर जी, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी तथा श्री यदु प्रसाद आदि अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये।)

सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सदस्यगण नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

यह लिखा नहीं जायेगा।

माननीय नेता बसपा कृपया अपने माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर जाने को कहें।

मैं सदन को 12.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

जनपद मेरठ, थाना कोतवाली क्षेत्र के मकानों में दरार पड़ने की जाँच आख्या की संस्तुतियों की जानकारी

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

*3-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर, थाना कोतवाली क्षेत्र के मकानों में दरार पड़ने की कोई जांच वर्ष 1988 में लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से कराई गई थी? यदि हां, तो मेरठ नगर निगम द्वारा कराई गयी उक्त जांच की आख्या एवं संस्तुति क्या थी? क्या उक्त संस्तुतियों पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? भविष्य में मकानों में दरार पड़ने से रोकने के लिये नगर निगम व प्राधिकरण को क्या कोई निर्देश दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

नोट - [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जांच रिपोर्ट में निजी जल संयोजन/पुरानी वाटर लाइन को चेक कर बदलने, 100 से 150 वर्ष पुराने बने भवनों पर अतिरिक्त खण्ड का निर्माण प्रतिबन्धित करने, अतिरिक्त खण्ड वाले भवनों की नींव की जांच करने हेतु भवन स्वामियों को निर्देशित करने, नालियों की मरम्मत करने एवं क्षेत्र के निवासियों को उनके भवनों की कमियों को अवगत कराने की संस्तुति की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में मकानों के फटने एवं दरारें पड़ने के कारणों के सम्बन्ध में रुढ़की विश्वविद्यालय के भूकम्प अभियान्त्रिकी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच रिपोर्ट के अनुसार मकानों के पास से होकर गुजरने वाली नालियों का पुन: निर्माण कराकर तथा मरम्मत कराकर रिसाव बन्द कर दिया गया है। पानी की पाइप लाइनों की जांच कराकर रिसाव आदि को भी बन्द कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के खारीकुंआ एवं मोरीपाडा मोहल्लों के 18 भवनों की हालत अत्यधिक खराब होने के कारण उनके भवन स्वामियों को उक्त मकानों को ध्वस्त करने तथा उनका स्थायी समस्या का निदान करने हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा- 331 के अंतर्गत नोटिस जारी की गयी है। उक्त मोहल्लों में नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा भवन स्वामियों के विरुद्ध धारा-133 के अंतर्गत वाद भी दायर किया गया है।

विकास प्राधिकरण, मेरठ को प्रश्नगत क्षेत्र के भवनों की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 30-04-2001 को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु व्यय धनराशि का विवरण

श्री यशपाल सिंह चौहान-

*10-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने हेतु विगत पांच वर्षो में कितना धन खर्च किया गया तथा उसका परिणाम क्या रहा है? गंगा नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु आगे सरकार की योजना क्या है?

श्री लाल जी टण्डन-

गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने हेतु विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार व्यय किया गया है।

योजना	धनराशि
गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण)	रु0 87.11 करोड़
गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)	रु0 264.62करोड़
योग-	रु0 351.73 करोड़

उक्त के परिणामस्वरुप जल की गुणता में पर्याप्त सुधार हुआ है।

गंगा नदी के बढ़ते हुये प्रदूषण को रोकने हेतु वर्ष 1993 में द्वितीय चरण के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिसके अंतर्गत गंगा नदी एवं उसकी सहायक (यमुना एवं गोमती) नदियों के तट पर बसे 23 नगरों में कार्य कराये जा रहे हैं। इन कार्यों के अंतर्गत नदी में गिरने वाले नालों को डाइवर्ट करके सीवरेज संयंत्रों की स्थापना, स्वच्छ शौचालयों एवं शवदाह गृह का निर्माण प्रस्तावित है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना में शिक्षण संस्थानों हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत आवंटित भूमि

श्री बी0आर0 वर्मा-

*11-क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निजी प्रबन्धकीय विद्यालयों को भूमि आवंटन एवं मूल्य निर्धारण हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है? यदि हां, तो वह नीति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस नीति के अन्तर्गत गोमती नगर योजना में सिटी मान्टेसरी स्कूल तथा जयपुरिया स्कूल आदि विद्यालयों को भूमि का आवंटन एवं उसके मूल्य का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो किस दर एवं मानक से? प्राइमरी 'माध्यमिक' डिग्री एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों हेतु भूमि का मूल्य निर्धारण की दर एवं मानक क्या है? क्या इस नीति का अनुपालन गोमती नगर योजना के स्वर्गीय पूर्णचन्द विद्यालय तथा लखनऊ पब्लिक कालेज राजाजीपुरम् के साथ किया गया है? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों को कितनी भूमि किस दर से आवंटित की गयी है?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 19.4.96 द्वारा निर्धारित नीति के प्रमुख बिन्दु संलग्नक-1 में उल्लिखित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिटी मान्ठेसरी स्कूल गोमती नगर तथा जयपुरिया विद्यालय, गोमती नगर को 19.4.96 के शासनादेश द्वारा निर्धारित नीति अन्तर्गत आवंटित नहीं की गई थी वरन तत्समय प्रभावी दिनांक 11.11.1986 के शासनादेश द्वारा निर्धारित नीति अनुसार थी।

2000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड प्रचलित आवासीय भूखण्ड की दर के 50 प्रतिशत दर 2000 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर तक की अतिरिक्त भूमि 40% प्रतिशत दर पर 4000 वर्गमीटर से 6000 वर्गमीटर तक की अतिरिक्त भूमि 30 प्रतिशत की दर पर तथा 6000 वर्गमीटर या उससे अधिक की अतिरिक्त भूमि 15 प्रतिशत दर पर आवंटित की गई।

शासनादेश दिनांक 19.4.96 की सामान्य नीति में अन्तर्निहित भावना के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्धारित मानक के अनुरुप न्यूनतम भूमि रियायती दर पर आवंटित की जाय और यदि न्यूनतम निर्धारित भूमि के अतिरिक्त भूमि कोई विद्यालय लेना चाहता है तो उसे अतिरिक्त भूमि आवासीय दर पर उपलब्ध करायी जा सकती है। इस आधार पर विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों हेतु मानक संलग्नक-2 में उल्लिखित है। वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 7.7.99 एवं 22.1.2000 में लिये गये निर्णय के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार मूल्य निर्धारित किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार आवंटन किया गया है।

स्वर्गीय पूर्णचन्द्र विद्या निकेतन को गोमतीनगर योजना के विराज खण्ड में 19,400 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है, जिसमे से 8000 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर आवासीय दर का 40 प्रतिशत रु0 850.00 प्रति वर्गमीटर की दर से एवं शेष 11,400 वर्गमीटर भूमि आवासीय दर से रु0 2150.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित की गई है।

लखनऊ पब्लिक कालेज को गोमती नगर योजना के विनम्र खण्ड में 15,274.50 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। जिसमें से 8000 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर पर आवासीय दर का 40 प्रतिशत रु0

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 121 पर।)

820.60 प्रति वर्गमीटर की दर से एवं शेष [illegible] 50 वर्गमीटर भूमि आवासीय दर से रु0 2050.00 प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित की गई है।

झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले प्र[illegible]निकों के जीवन स्तर सुधारने हेतु प्रस्तावित महर्षि वाल्मीकि मा[illegible] योजना लागू किया जाना

श्री [illegible]

*12-क्या नगर विकास मंत्री [illegible] के विभिन्न नगरों में झुग्गी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे लाखों नागरिकों के जीवन [illegible] सुधारने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है या नहीं हो, तो उसकी क्या [illegible] है यदि नहीं, तो क्यों?

श्री [illegible]

[illegible] वाल्मीकि [illegible] बस्ती सुधार योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

[illegible] 119 मलिन बस्तियों में उक्त योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार [illegible] 10% प्रतिभाग धनराशि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित [illegible] निर्धारित है। उक्त निर्धारित धनराशि को [illegible] करके [illegible] 119 [illegible] मलिन बस्तियों में सुधार हेतु योजना तैयार की [illegible] है। इसके लिए विशेष योजना [illegible] द्वारा परिव्यय आवंटित कर दिया गया है और समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त विभाग को बजट [illegible] अनुरोध किया [illegible] उक्त व्यवस्था होते ही उक्त योजना लागू की जायेगी।

[illegible] झुग्गी झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहे लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु वर्तमान में [illegible] सरकार की सहायता से निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही है:-

[illegible] स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, जिसमें केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 75:25 है।

[illegible] राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम जो 100% केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

[illegible]नपद लखनऊ एवं गोण्डा में महाराजा देवी बक्श सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की माँग

श्री [illegible]म विशुन आजाद-

1-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाराजा देवी बक्श सिंह की आदमकद प्रतिमा लखनऊ [illegible] गोण्डा में लगवाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रतिमा कब तक और किस स्थान पर लगाई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लखनऊ में महाराजा देवी बक्श सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। [illegible] की जन्म स्थली जिनागढ़ोट, जनपद गोण्डा में उनकी प्रतिमा की स्थापना प्रस्तावित है।

[illegible] में मूर्ति स्थापना हेतु [illegible] आवंटन के सापेक्ष धन उपलब्ध होने पर प्रतिमा की स्थापना की [illegible]।

[illegible]

श्री [illegible]शपाल सिंह चौहान-

2-[illegible] 5 वें शुक्रवार के लिये स्थगित

जनपद हरदोई विकास खण्ड कछौना के ग्राम गौसगंज का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र

श्री काशीनाथ-

3-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना के ग्राम गौसगंज के मजरा अयोध्या पुरी का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक [illegible] प्रार्थना [illegible] राज्य मंत्री

ऊर्जा के पत्रांक 264/वी0आई0पी0/रा0म0ऊ0 दिनांक 10-3-2000 के साथ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती की ग्राम पंचायत पिपरी में विद्युत कनेक्शन हेतु जमा धनराशि का प्रकरण

डा0 वकार अहमद-

4-क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड-सिरसिया के ग्राम पंचायत पिपरी में 20 व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी धनराशि वर्ष 1981 में जमा की गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत, पिपरी में अभी तक विद्युत सप्लाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करायी गयी है? यदि हां, तो क्यों? सरकार उक्त गांव में विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित करा देगी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा की दलित बस्ती में शुद्ध पेयजल हेतु स्वीकृत योजना

श्री दीप लाल भारती-

5-क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में वार्ड सं0 3 व चीनी मिल के उत्तर दलित बस्ती में इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प से दूषित जल निकल रहा है, जिसके कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

उक्त क्षेत्रों में लगे हैण्डपम्पों का जल दूषित हो गया है।

प्रश्नगत क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्गठन योजना स्वीकृत हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला के ग्राम अजगरी से ईदगाह तथा ग्राम मैनहा के मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता का प्रकरण

श्री उबैदुर्रहमान-

6-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी संस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम बलरामपुर यूनिट द्वारा वर्ष 1998-99 में ग्राम अजगरी से ईदगाह तक व उतरौला-मनकापुर मार्ग से ग्राम फकिरापुर तक तथा ग्राम मैनहा ईदगाह से मैनहा ग्राम तक मार्गों का निर्माण कराया गया है? क्या उपरोक्त मार्गों का निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के आधार पर नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरुप कराया गया है।

जनपद उन्नाव में भगवन्तनगर पेयजल योजना में विद्युतीकरण कराने की मांग

श्री कृपा शंकर सिंह-

7- संयोजन न किये जाने के कारण नलकूप चालू नहीं किया जा सका है? क्या यह सही है कि इसका बी0एल0 फार्म एवं अनुबन्ध अक्टूबर, 2000 में ही पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो क्या विद्युत सुनिश्चित करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

उपरोक्त कार्य हेतु पैकेज स्वीकृत हो चुका है। सामग्री उपलब्ध होते ही कार्य पूर्ण कराकर विद्युत संयोजन 2 माह में दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के शिवगंज ग्राम समूह पेयजल योजना में विद्युतीकरण की मांग

श्री कृपा शंकर सिंह-

8-क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शिवगंज ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद उन्नाव के विद्युत तार लगभग एक वर्ष पूर्व चोरी चले गये थे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत आपूर्ति न होने के कारण पेयजल योजना बन्द है? यदि हां, तो क्या विद्युत तार लगवाकर विद्युत आपूर्ति करायी जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जी नहीं।

पेयजल योजना के एक विद्युत संयोजन की लाइन में तार लगाकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है तथा उससे ग्राम समूह पेयजल योजना की जलापूर्ति हो रही है।

शेष विद्युत संयोजन की लाइन में तार लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के डा0 ओमप्रकाश पाण्डेय, पुराना टिकैतगंज के द्वारा अवैध कब्जा की भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री अजय कुमार पोइया-

9-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 ओम प्रकाश पाण्डेय, निवासी-347/280, पुराना टिकैतगंज, जनपद लखनऊ द्वारा अवैध रुप से कब्जा की गयी जमीन से अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-2/33629/मथुरा/2000, दिनांक 6-5-2000 आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लाल जी टण्डन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम विरिया कलां में लगाये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों में की गयी अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

10-क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-2000 जो जल निगम शाहजहांपुर, विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम विरिया कलां में लगाये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-03-2000 प्राप्त हुआ है।

12-03-2000 के पत्र पर जांच करायी गयी। जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी को दण्डित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में जल संस्थान लेखा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति

श्री तेजभान सिंह-

12-क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल संस्थान के लेखा संवर्ग में स्थानान्तरण की कोई नीति लागू की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा आगरा महानगरों में कार्यरत जल संस्थान के लेखा संवर्ग के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक समय से उक्त स्थानों पर तैनात हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थानों में लेखा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी अकेन्द्रीयित लेखा के कर्मी हैं। अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मियों के स्थानान्तरण नहीं किये जाते हैं।

जनपद एटा के अवर अभियन्ता औद्योगिक उप संस्थान वि0वि0 उप खण्ड श्री सी0के0 तिवारी द्वारा एम0बी0 अधिक जारी करने की जाँच

डा0 ज्ञानवती सिंह-

13-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के लेखाकार कार्यालय ने अपने पत्र संख्या-3247 वि0वि0ग0 (ए0)/ले0 दिनांक 3-11-2000 द्वारा 14 एम0बी0 के वापिसी के सम्बन्ध में सी0के0 तिवारी अवर अभियन्ता औद्योगिक उप संस्थान वि0वि0 उप खण्ड (प्रथम) एटा को भेजा है? यदि हां, तो अवर अभियन्ता द्वारा विभिन्न वर्ष एवं तिथियों में एम0बी0 अधिक जारी करने के क्या कारण हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया परिलक्षित अनियमितता की जांच प्रचलित है।

जनपद गोण्डा क्षेत्र मनकापुर में विगत वर्ष गांवों के विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से प्राप्त धनराशि के उपयोग की जानकारी

श्री राम विशुन आजाद-

14-क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1999-2000 में जिन गांवों के विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से धन दिया गया था, क्या उन गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

वर्ष 99-2000 में माननीय विधायक श्री रामविशुन आजाद द्वारा विधायक निधि से निम्नलिखित गांवों के विद्युतीकरण हेतु धन उपलब्ध कराया गया था:--

1- ग्राम कंगाली पुरवा (प्रमोद सिंह फार्म)

2- कहोया चौराहा का विद्युतीकरण

3- चांदपुर परसोनिया (प्रधानजी पुरवा)

जी नहीं।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

उक्त के लिए कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर, ब्लाक हसवा के ग्राम दमापुर का उर्जीकरण

श्री मुरलीधर-

15-क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दमापुर ब्लाक हसवा को अभिलेखों में उर्जीकृत दर्शाया गया है? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में खम्भे गड़े हैं परन्तु तार नहीं लगाये गये हैं तथा विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं? क्या सरकार उक्त ग्राम का भौतिक सत्यापन कराकर दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। दमापुर ग्राम विद्युतीकृत नहीं है अत: अभिलेखों में ऊर्जीकृत नहीं दर्शाया गया है।

उक्त ग्राम में खम्भे नहीं गड़े हैं एवं विद्युत बिल नहीं जारी किये जा रहे हैं।

उक्त ग्राम का भौतिक सत्यापन करा दिया गया है। कोई भी कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी नहीं है। अत: दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में कब्रिस्तान तक मार्गों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

श्री उबैदुर्रहमान-

16-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी संस्था कांस्ट्रेक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम बलरामपुर यूनिट द्वारा वर्ष 1998-99 में उतरौला चिकमण्डी से सरंगा बाबा की मजार होते हुये कब्रिस्तान तक व महुंवा ग्राम से कब्रिस्तान तक मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है? क्या उपरोक्त मार्गों का निर्माण क्या मानक व गुणवत्ता के अनुरुप नहीं हैं? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्यों की स्थलीय जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरुप है।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला के कतिपय मार्गों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

श्री उबैदुर्रहमान-

17-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी संस्था कांसट्रेक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम बलरामपुर यूनिट द्वारा वर्ष 1998-99 में उतरौला बलरामपुर मार्ग से गालिब भटोठी तक बदलपुर हुसैनाबाद मार्ग से जनुका ग्राम तक तथा महिली मरदानडीह होते हुये चाईडीह ग्राम कर्बला तक व सुरहिया देंउर से देवरिया अर्जुन तक मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है? क्या उपरोक्त मार्गों का निर्माण मानक व गुणवत्ता के अनुरुप नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्यों की स्थलीय जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरुप कराया गया है।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला के कतिपय मार्गों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

श्री उबैदुर्रहमान-

18-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी संस्था कांस्ट्रेक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी संस्था कांस्ट्रेक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम बलरामपुर यूनिट द्वारा वर्ष 1998-99 में उतरौला गैण्डास मार्ग से बिलासपुर, पिरैला माकी से वडहरी पाण्डे जोत जिगना तक बुलकिया घाट से पढानडीह ईटईटाम तक बढ़नी से सैय्यबपुर रेनुवा औसानपुर मार्गों का निर्माण कराया गया है? क्या उक्त मार्गों का निर्माण मानक व गुणवत्ता के आधार पर नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्यों की स्थलीय जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरुप कराया गया है।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला के कतिपय मार्गों का निर्माण

श्री उबैदुर्रहमान-

19-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में कार्यदायी संस्था कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम बलरामपुर यूनिट द्वारा वर्ष 1998-99 में पेहर हुसैनाबाद मार्ग से पकड़ी भुवार तक, सैय्यबडीह से बौड़ीहार ग्राम तक, ग्राम गायडीह से बरगदवा निरजनपुर तक, ग्राम पचौथा से लखमावम्माडीह ग्राम तक ग्राम रोशनडीह से फूलपुर उल्लाखां के ग्राम तक कराये गये मार्गों का निर्माण मानक व गुणवत्ता के अनुरुप न कराये जाने की स्थलीय जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरुप कराया गया है।

जनपद सीतापुर के पल्टन गाँव व कालोनी की सड़कें

श्री अरुण प्रताप सिंह-

20-क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर रोड स्कीम के अन्तर्गत सेक्टर ई0एस0/बी0 को पल्टन गांव के अन्दर की सकरी रोड से जोड़ दिया गया है और इस कालोनी हेतु कोई उपर्युक्त पृथक सड़क नहीं दी गयी है? क्या सरकार इस कालोनी के निवासियों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये कोई उपयुक्त पृथक सड़क बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-ए स्थित ई0एस0-1 बी टाइप के भवनों के लिए 4.50 मीटर चौड़ी दो एप्रोच रोड का प्राविधान सेक्टर के ले-आउट प्लान के अनुसार किया गया है। यह दोनों सड़कें पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

संदर्भित कालोनी के भवनों के लिए उपरोक्त एप्रोच सड़कों के अतिरिक्त ले-आउट प्लान में किसी अन्य पृथक सड़क बनाने का कोई प्राविधान नहीं है। ले-आउट प्लान में इस पाकेट के लिए जिन दो 4.50 मीटर चौड़ी एप्रोच सड़कों का प्राविधान किया गया है वह पर्याप्त एवं उपयुक्त है। अतः पृथक सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

21. श्री मुरलीधर-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद फतेहपुर की कतिपय नगर पालिका व टाउन एरिया में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या व आरक्षण कोटा

श्री मुरलीधर-

22-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में नगर पालिका फतेहपुर, नगर पालिका बिन्दरी, टाउन एरिया किशुनपुर, टाउन एरिया कुल खागा, टाउन एरिया बहुआ में कितने कितने कर्मचारी नियुक्त हैं? क्या स्वीकृत पदों में कितने पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं? क्या सरकार उक्त में आरक्षण कोटा पूर्ण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

नगर पालिका परिषद फतेहपुर में 366, नगर पालिका परिषद बिन्दकी में 121, टाउन एरिया किशुनपुर में 13, टाउन एरिया खागा में 51, टाउन एरिया बहुआ में 10 कर्मचारी नियुक्त हैं।

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में 204, नगर पालिका परिषद, बिन्दकी में 74, टाउन एरिया किशुनपुर में 05, टाउन एरिया खागा में 11, टाउन एरिया बहुआ में 07 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की दृष्टिकोण से वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 9-1-2001 द्वारा पद भरे जाने व नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रमेश राही-

23-क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका सीतापुर में वर्ष 1993 में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा पालिका परिषद् में लिपिक पद पर मृतक आश्रित के रुप में वैभव कपूर व कमरुल हसन की नियुक्तियां की गयी थी? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक/जांच अधिकारी स्थानीय निकाय,

उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्रांक -7 दिनांक 2-6-95 पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकर अवैध रुप से की गयी उक्त दोनों नियुक्तियों को निरस्त करके दोषी पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

संयुक्त निदेशक/जाँच अधिकारी, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 2-6-95 पर शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, अपितु इस पत्र के द्वारा प्रश्नगत नियुक्तियों के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएं नगर पालिका परिषद, सीतापुर से मांगी गयी थी, जो उनके द्वारा जांच अधिकरी को उपलब्ध करा दी गयी थी।

जी नहीं। जांच में उक्त दोनों नियुक्तियाँ नियमानुसार मृतक आश्रित के रुप में की गयी पायी गयी है।

24-श्री शिव गणेशी लोधी-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

25-श्री मुरलीधर-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

26-श्री मुरलीधर-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

27-श्री मुरलीधर-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद संत रविदास नगर के ग्राम दुबौली में 60 के0वी0ए0 के ट्रान्सफारमर लगवाने की मांग

श्री राम शंकर पाल-

28-क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त कबीर नगर के उप विद्युत खण्ड मुखलिसपुर के अन्तर्गत ग्राम-दुबौली में लगा 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफारमर मार्च, 2000 से जनवरी, 2001 तक तीन बार जल चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में 25 के0वी0ए0 के ट्रान्सफारमर मार्च, 2000 से जनवरी, 2001 तक तीन बार जल चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में 25 के0वी0ए0 के ट्रान्सफारमर के स्थान पर 60 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ग्राम दुबौली जनपद सन्त कबीर नगर में लगा 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर मार्च, 2000 से जनवरी 2001 के मध्य दो बार जला है।

जी हां।

ग्राम दुबौली में लगे 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करके 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य माह मई, 2001 के अन्त तक किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के कतिपय मेले को प्रदेश स्तरीय मेलों की सूची में सम्मिलित किये जाने की माँग

श्री अजय कुमार पोइया-

29-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगी कि मेलों को प्रदेश स्तरीय मेलों में सम्मिलित किये जाने के क्या मानक हैं? क्या मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन गुरु पूर्णिमा गुड़िया पूर्णिमा मेले को प्रदेश स्तरीय मेलों की सूची में सम्मिलित किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

नागर स्थानीय निकाय के क्षेत्र में लगने वाले मेलों को प्रदेश स्तरीय मेलों में सम्मिलित किये जाने के लिये सम्प्रति कोई मानक निर्धारित नहीं हैं।

जी नहीं।

भारत के 74 वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरुप नागर स्थानीय निकायों को राज्य की सकल आय की 7% धनराशि अनुदान स्वरुप दी जा रही है। ऐसी स्थिति में नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले मेलों की व्यवस्था का दायित्व संबंधित निकाय का होने के कारण राज्य सरकार अब किसी भी मेले को प्रदेश स्तरीय मेले में सम्मिलित नहीं कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री मुरलीधर-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद लखनऊ, ग्राम बराबन कला में शीतला माता मन्दिर से त्रिलोकी सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल तक सड़क के दोनों साइड नाली व खडन्जा बनाने विषयक पत्र पर कार्यवाही के निर्देश

श्री उबैदुर्रहमान-

31-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती कृष्णाराज सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 17-10-2000 जो जनपद लखनऊ के ग्राम बराबन कलां में शीतला माता मन्दिर से त्रिलोकी सिंह हायर सेकण्डरी स्कूल तक सड़क के दोनों ओर जल निकासी हेतु नाली बनाने व खड़न्जा लगाये जाने के संबंध में था, प्रमुख सचिव, गरीबी उन्मूलन एवं नागरिक रोजगार, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

प्राप्त पत्र नियमानुसार कार्यवाही हेतु शासन स्तर से निदेशक सूडा को तथा निदेशक सूडा ने परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ को दिनांक 22-3-2001 को जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना से कार्य कराने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, गोवर्धन, "मानखी गंगा" के जल शुद्धीकरण हेतु विशेष योजना

श्री अजय कुमार पोइया-

32-क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन "मानखी गंगा" के जल शुद्धिकरण हेतु कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन मानसी गंगा के जल शुद्धीकरण एवं मानसी गंगा को प्रदूषणमुक्त करने की योजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

33-[दिनांक 4-5-2001 को अता0प्र0सं0-49 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र तिलहर के बुद्धवाना से मझौला लाइन के तार ठीक कराने की माँग

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

34-क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-3-2000 या इसके आसपास जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत बुद्धवाना से मझौला लाइन के विद्युत तार ठीक कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

ग्राम बुद्धवाना की चोरी गई लाइन के तार लगाकर चालू किये जाने विषयक मा0 विधायक महोदय के अन्य पत्र प्राप्त हुए हैं, ग्राम बुद्धवाना से मझौला तक की लाइन के चोरी गये तारों के लगाने की कार्यवाही स्थानीय कृषकों के विरोध के कारण (खेतों में लगी फसल के नष्ट हो जाने से होने वाले नुकसान की संभावना) स्थगित कर दिया गया है। फसल के कट जाने के बाद उपरोक्त कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

35-श्री अजय कुमार पोइया-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

36-श्री विजय पाल सिंह-

(5वें मंगलवार में अता0प्र0सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विद्युत वितरण खण्ड रायबरेली एवं मुख्य अभियन्ता नलकूप विद्युतीकरण विश्व बैंक योजना के स्पेशल आडिट के गबन के प्रकरण की जाँच

श्री हरदेव सिंह-

37-क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय रायबरेली में जनवरी, 1998 से 5 जनवरी, 2001 के मध्य एवं मुख्य अभियन्ता नलकूप विद्युतीकरण विश्व बैंक डालीबाग लखनऊ में 1985 से 1990 के मध्य कुल कितने बार विशेष सम्प्रेक्षा (स्पेशल आडिट) कराये गये हैं? स्पेशल आडिट में कितने विभागीय धनराशि के गबन का मामला पकड़ा गया? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंतर्गत जनवरी, 98 से 5 जनवरी, 2001 के मध्य केवल एक बार विद्युत वितरण खण्ड-I, रायबरेली का स्पेशल आडिट दिनांक 6.11.2000 से 21.12.2000 की अवधि में कराया गया। उक्त अवधि में विद्युत वितरण खण्ड-II, रायबरेली में कोई स्पेशल आडिट नहीं कराया गया।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंतर्गत कार्यालय मुख्य अभियंता, नलकूप विद्युतीकरण (विश्व बैंक), डालीबाग, लखनऊ में वर्ष 1985 से 1890 के मध्य केवल एक बार दिनांक 16.7.90 से 18.8.90 की अवधि में स्पेशल आडिट कराया गया।

विद्युत वितरण खण्ड-I, रायबरेली में रु0 1,07,178=70 पैसे की विभागीय धन राशि के गबन का मामला प्रकाश में आया। मुख्य अभियन्ता, नककूप विद्युतीकरण (विश्व बैंक), डालीबाग, लखनऊ के स्पेशल आडिट में विभिन्न मदों में रु0 32529=25 पैसे के स्थायी गबन रु0 1555=53 पैसे के अस्थायी गबन का मामला प्रकाश में आया।

विद्युत वितरण खण्ड-I, रायबरेली में प्रकाश में आये गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 9.1.99 की पुलिस में दर्ज करा दी गई थी। गबन की गई धनराशि रु0 1,07,178=70 पैसे की गबनकर्ता श्री मो0 वसीम, दैनिक श्रेणी लिपिक से निम्न विवरणानुसार जमा करा ली गई हैं:--

1-रसीद सं0-33/371603,	दि0 13.1.99	रु0 42,199=10
2-रसीद सं0-07/535584,	दि0 27.1.99	रु0 64,891=00
3-रसीद सं0-25/247478,	दि0 06.1.2001	रु0 88=60
		रु0 1,07,178=70

मुख्य अभियंता, नलकूप विद्युतीकरण (विश्व बैंक), डालीबाग, लखनऊ के स्पेशल आडिट में प्रकाश में आये स्थायी /अस्थायी गबन हेतु किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य महाप्रबंधक (जांच समिति-प्रथम) द्वारा जांच की जा रही है।

38-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

लखनऊ, कटरा, मकबूलगंज की श्रीमती राम जानकी के नाम विद्युत बिल बकाये का प्रकरण

श्री चौधरी मस्त राम-

39-क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मकान नं0-84/177 कटरा मकबूलगंज, लखनऊ पर बिल सं0 आर0वाई0-1/848/612004-पी-6364-1 कि0ग्रा0 के अनुसार श्रीमती राम जानकी के नाम रु0 18,358.33 पै0 बकाया है? क्या उनके म0 नं0 84/177 को बदल कर 84/147 करके बकाया समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या बदले गये मकान नं0-84/147 में श्रीमती राम जानकी रहती हैं? यदि नहीं, तो उनके वास्तविक मकान नम्बर 84/177 पर उनके नाम बकाया धनराशि को अभी तक न वसूल किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि मकान मालिक श्री शिवभान सिंह के विरोध करने पर उनके भतीजे श्री संतोष बाजपेई के नाम म0नं0 84/177-ख करके नया कनेक्शन जे0ई0 (आर0/एन0) द्वारा पुलिस के माध्यम से लगवा दिया गया है? क्या सरकार पूरे प्रकरण की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

फाइनल बिल के अनुसार रुपये- 11744.00 का विद्युत बिल बकाया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रु0 11744.00 के बकाये के विरुद्ध रु0 3500.00 का आंशिक भुगतान रसीद संख्या-71234 दि0 30.4.2001 द्वारा कर दिया गया है।

कारपोरेशन के नियमानुसार कनेक्शन दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री अजय कुमार पोइया-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र कर्मियों के पत्रकारों को बछावत वेतन मण्डल के अनुसार वेतन व इन पर लागू श्रम कानून की जानकारी

श्री विजय पाल सिंहः

41-क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के कर्मियों के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम लागू हैं? यदि हां, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने पत्रकारों को बछावत वेतन मण्डल के आधार पर वेतन मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त समाचार पत्र में अन्य कौन-कौन से श्रम कानून लागू हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी हाँ।

कुल 393 पत्रकार कर्मियों को बछावत वेतन मण्डल के आधार पर वेतन मिल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त समाचार पत्र प्रतिष्ठान पर निम्न लिखित श्रम कानून लागू हैं:--

1--वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर न्यूज पेपर इम्पलाईज (कन्डीशन आफ सर्विस) एण्ड मिसलेनियस प्राविजन ऐक्ट, 1955

2--इण्डस्ट्रीयल इम्पलायमेन्ट (स्टेन्डिग आर्डर) ऐक्ट, 1946

3--कारखाना अधिनियम, 1948

4--वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

5--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

6--बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

7--समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

8--पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, 1972

9--इम्पलाईज प्राविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्राविजन ऐक्ट, 1952 आदि।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों के कर्मियों पर लागू श्रम कानून की जानकारी

श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना" तथा श्री संजय गर्ग-

42-क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, दैनिक आज एवं अमर उजाला के सभी कर्मियों पर श्रम कानून लागू हैं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त समाचार पत्रों के कर्मियों पर श्रम कानून कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रम कानून लागू है।

43-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

लखनऊ विशेष खण्ड गोमती नगर में विवादित प्लाट आवंटियों को अन्यत्र खण्डों में समायोजित करने की जानकारी

श्री छोटे लाल गंगवार-

44-क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ में प्लाट सं0 2/115 से 2/119 तथा 2/121 विवादित होने के कारण उनके आवंटियों को अन्यत्र प्लाट आवंटित किये जाने हेतु दिनांक 11 जनवरी, 2000 को आदेश उनके द्वारा दिये गये थे? यदि हां, तो उसमें से कितने आवंटियों को अन्यत्र प्लाट आवंटित कर दिये गये हैं? कितने शेष हैं? उन्हें अब तक प्लाट

आवंटित न किये जाने हेतु कौन दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त आवंटियों को प्लाट कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ। भूखण्ड संख्या-2/116, 2/117, 2/118 एवं 2/119 के आवंटियों को गोमतीनगर योजना में ही अन्य खण्डों में आवंटित करके समायोजन कर दिया गया है। भूखण्ड संख्या-2/115 एवं 2/121 के आवंटियों को उसी खण्ड में समायोजित कर दिया गया है। अत: समायोजन हेतु कोई शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवंटियों को प्लाट का आवंटन/समायोजन पूर्व में ही किया जा चुका है।

जनपद मुरादाबाद के कतिपय मदरसों के अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री मुराद लारी-

45-क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दर्सगाहे आलिया, इस्लामिया, शरीफ नगर, जिला मुरादाबाद के अध्यापकों व कर्मचारियों का पत्र दिनांक 16-4-99 उनके पत्र दिनांक 20-9-99 के साथ जिलाधिकारी मुरादाबाद को तथा दिनांक 27-2-2000 का पत्र सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को प्राप्त हुये हैं जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के बाद भी उन्हें 1997 से वेतन न दिये जाने और उनके स्थान पर अनियमित लोगों को अवैध भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में थे? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राजा गजनफर अली)-

मदरसा दर्सगाहे आलिया इस्लामियां शरीफनगर जिला मुरादाबाद के अध्यापकों व कर्मचारियों के पत्र दिनांक 16-4-99 तथा 20-9-99 जिलाधिकारी, मुरादाबाद को तथा दिनांक 27-2-2000 का पत्र सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुये हैं। प्रकरण में जांच करायी जा रही है जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

46- (5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद आगरा में प्रस्तावित कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण की जानकारी

श्री विजय पाल सिंह-

47-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित पांच ग्रामों क्रमश: अई, भीकनपुर बरीपुरा, कुतुकपुर तथा सारंगपुर का विद्युतीकरण किया जाना था? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

उक्त ग्रामों में से निम्न चार ग्रामों का विद्युतीकरण उनके सम्मुख अंकित दिनांक को कर दिया गया है।

(क) आई	-	12-8-2000
(ख) भीकमपुर	-	10-12-2000
(ग) कुतुकपुर	-	25-9-2000
(घ) सारंगपुर	-	23-10-2000

शेष ग्राम वरीपुरा में विवाद होने के कारण संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। इसका भी शीघ्र ही विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह-

48- [नियम 28(7) के अन्तर्गत निरस्त]

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम आवास विकास कार्यालय गाजियाबाद द्वारा वसुन्धरा योजना में आमंत्रित

श्री रामवीर उपाध्याय-

49-क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0सी0 जैन, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम आवास विकास कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा सितम्बर, 2000 में चार समूहों के टेण्डर बिना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित कराये अपने निजी रिश्तेदारों को दे दिये गये थे? क्या इस संबंध में ए0एस0 कंस्ट्रेक्शन कं0 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता से श्री जैन की शिकायत पर उन्हें दोषी पाया गया था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में ट्रंक सीवर के अन्तर्गत चार ग्रुपों में निविदायें अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 21.9.2000 को आमंत्रित की गयी थी। इन निविदाओं का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र द पाइनियर नई दिल्ली में दिनांक 11.9.2000 को कराया गया था। निविदा सूचना की प्रति कार्यालय में नोटिस बोर्ड भी लगवायी गयी तथा समस्त स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ निविदा की प्रति भेजी गयी।

दिनांक 21.9.2000 को चार ग्रुपों के लिए खण्ड कार्यालय से 18 नग निविदायें विक्रय की गयी थी जिसके विरुद्ध 15 नग निविदायें प्राप्त हुयी। इन चार ग्रुपों में क्रमश: मेसर्स शर्म कन्स0 कम्पनी, मेसर्स रमेश चन्द्र एण्ड कम्पनी, मेसर्स गंगा एण्ड कम्पनी एवं मेसर्स बी0आर0 कम्पनी की दरें प्रथम न्यूनतम थी। यह सभी ठेकेदार परिषद में पंजीकृत ठेकेदार हैं। प्राप्त विवरण एवं सूचना के आधार पर ये चारों कम्पनियां न तो श्री एस0सी0 जैन के रिश्तेदार हैं और न ही इनका इनसे कोई करीबी सम्बन्ध है।

मेसर्स ए0एस0 कन्ट्रक्शन के द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.9.2000 के माध्यम से उक्त विषय में शिकायत की थी जिसके संबंध में निविदाओं पर कार्यवाही तत्समय स्थगित कर दी गयी थी तथा संबंधित खण्ड से रिपोर्ट मांगी गयी। अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड प्रथम की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रत्येक तीन ग्रुपों में चार तथा एक ग्रुप में तीन निविदायें प्राप्त हुई। विभिन्न चार ग्रुपों में कुल 18 नग निविदायें विक्रय की गयी थी जिसके विरुद्ध 15 नग निविदायें प्राप्त हुयी । उक्त को दृष्टिगत रखते हुए परिषद द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश को वापस लेते हुए अधिशासी अभियन्ता को गुण दोष के आधार पर निविदाओं पर निर्णय लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम गाजियाबाद के द्वारा निविदाओं की दरें औचित्यपूर्ण न होने के फलस्वरुप निविदाओं को निरस्त कर दिया गया था तथा बाद में पुन: निविदायें आमंत्रित की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम आवास एवं विकास परिषद् गाजियाबाद द्वारा वसुन्धरा योजना में मिट्टी भराव के भुगतान की जानकारी

श्री रामवीर उपाध्याय-

50-क्या आ वास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0सी0 जैन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा वसुन्धरा योजना सेक्टर-3 में मिट्टी भराव का काम मात्र दो लाख पच्चीस हजार रुपये के स्थान पर सत्तर लाख रुपये का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की कोई जांच की गयी? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में स्थित सेक्टर-3 में मिट्टी भराई का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किये गये प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 30.88 लाख जारी की गयी थी, जिसके विरुद्ध अब तक रु0 20,21,823.00 का भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री धर्मराज निषाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ में विधायकों के लिए आवास निर्माण हेतु सरकारी भूखण्ड आवंटित किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की माँग

52-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायकों के आवास निर्माण हेतु सरकारी भूखण्ड आवंटित किये जाने के लिये शहर लखनऊ में सरकारी भूखण्ड आवंटित किये जाने से संबंधित पत्र दिनांक 7-2-2001 प्रमुख सचिव, आवास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

अभिलेखानुसार पत्र दि0 7.2.2001 प्रमुख सचिव, आवास कार्यालय में प्राप्त हुआ। मा0 विधायक के पत्र पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, आवास विकास परिषद की पंचवटी योजना में निर्मित आवासों के बैनामे कराये जाने हेतु नोटिस सम्बन्धी जानकारी

53-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की पंचवटी योजना के अन्तर्गत कितने अल्प आय वर्ग के भवन बनाये गये हैं तथा उसके विरुद्ध कितने लोगों को अल्प आय वर्ग भवन आवंटित किये गये हैं? उक्त योजना के अन्तर्गत कितने ऐसे आवंटी हैं जिन्होंने भवन की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी है परन्तु परिषद् द्वारा बैनामा नहीं किया गया है? उन्हें बैनामा कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

आवास विकास परिषद् की पंचवटी योजना सीतापुर में अल्प आय वर्ग के कुल 176 भवन बनाये गये हैं, जिनके विरुद्ध कुल 176 लोगों को अल्प आय वर्ग के भवन आवंटित किए जा चुके हैं।

उक्त योजना के अन्तर्गत कुल 54 लोगों ने सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी है जिसमें से 28 लोगों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने पर उनके पक्ष में सम्पत्ति का बैनामा कर दिया गया है तथा शेष 26 लोगों के द्वारा रजिस्ट्री हेतु निर्धारित स्टैम्प पेपर नहीं प्रस्तुत किये गये हैं जिसके कारण उनके पक्ष में सम्पत्ति का बैनामा नहीं किया गया है। इस हेतु शेष 26 लोगों को बैनामा कराये जाने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु नोटिसें दी जा चुकी हैं। आवंटियों द्वारा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करा लेने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत कतिपय संवर्ग के अवैध पदों के सृजन की सतर्कता जाँच विषयक पर कार्यवाही की जानकारी

54-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अभियन्ता संवर्ग, लेखा संवर्ग तथा सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध पदों के सृजन की राज्य सतर्कता जांच संबंधी माननीय ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 14-9-98 जो कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से आख्या प्रतीक्षित हैं।

जनपद शाहजहाँपुर, क्षेत्र तिलहर के कतिपय ग्रामों में विद्युत तारों की कटिंग को ठीक कराने की माँग

55-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-5-2000 या इसके आसपास जो प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों मदनपुरा छेदा पट्टी लाईन पर हुई तार कटिंग को ठीक कराने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

मा0 विधायक महोदय का इस विषय में पत्र दि0 29.4.2000 प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त लाइन को तार लगाकर चालू कर दिया गया था, जिसे पुन: चोरों द्वारा काट लिया गया। घटना की प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस विभाग में दर्ज करा दी गयी है। लाइन में तार लगाने की कार्यवाही माह मई, 2001 तक पूरी किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जल निगम अधिकारियों की अनिमितता की जाँच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 9-5-2000 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर में जल निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। प्रश्नकर्ता का जनपद शाहजहांपुर में जल निगम द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच से सम्बन्धित, शिकायती पत्र दिनांक 27-4-2000 एवं 29-4-2000 प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में आवश्यक परीक्षण कर वस्तुस्थिति से जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर एवं मा0 सदस्य विधान सभा को अधिशासी अभियन्ता, जल निगम शाहजहाँपुर के गोपनीय पत्र संख्या- 186/गो0है0प0शि0/87, दिनांक 1-9-2000 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के समस्त कोल्ड स्टोरेज हेतु 18 घन्टे विद्युत सप्लाई की नीति

57-श्री नरेन्द्र सिंह यादव तथा श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फर्रुखाबाद में सभी कोल्ड स्टोरेज के लिये विशेष फीडर लाइन से अनवरत 18 घंटे बिजली सरकार द्वारा आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्या वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति 18 घन्टे रहे, उसके लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

18 घंटे विद्युत आपूर्ति उन्हीं कोल्ड स्टोरेज को सुनिश्चित की जा रही है जो स्वतंत्र 11 के0वी0 फीडर से जुड़े हैं। फिक्सड फीडर वाले कोल्ड स्टोरेजों को भी यथासंभव अधिक से अधिक विद्युत उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

वर्तमान समय में 132 उपकेन्द्रों से निकलने वाले स्वतंत्र पोषकों से जुड़े कोल्ड स्टोरेज पर 18 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किये जाने की नीति है।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद मथुरा, नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच

59-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बरसाना जनपद मथुरा के अध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0वि0को0/एम-2/30049/मथुरा/00, दिनांक 8-1-2000, प्रमुख सचिव नगर विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जिलाधिकारी मथुरा से जांच करायी गयी। जिलाधिकारी मथुरा ने अनियमित रुप से नियुक्त सर्वश्री मनोज कुमार शर्मा, पम्प आपरेटर तथा जसवन्त सिंह, चौकीदार की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है जिसके प्रति उक्त दोनों कर्मियों द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका में दायर कर दी गयी हैं।

उक्त के अलावा दोषी अधिशासी अधिकारियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को दे दिये गये हैं। साथ ही तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पंचायत बरसाना, जनपद मथुरा द्वारा की गयी अनियमितता/नियुक्तियों के फलस्वरुप निकाय को हुई वित्तीय हानि का आंकलन कर उसको भू राजस्व के रुप में वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश जिलाधिकारी, मथुरा को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मानदेय पर (गेस्ट स्पीकर) रखे जाने की व्यवस्था

60-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-1348/36-6-2000-31(पी) 2000 दिनांक 31-8-2000 के अनुसार पत्र संख्या 1853/दी0-1/0307/से0नि0 दिनांक 14-6-2000 द्वारा प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन द्वारा पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण मित्रों (अनुदेशकों) की नियुक्तियां

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रु0 100/- प्रतिदिन के हिसाब से आई0टी0आई0 संस्थानों के रिक्त पदों पर की गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को आगे जारी रखने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। प्रमुख सचिव श्रम की ओर से जारी शासनादेश संख्या 1348/36-6-2000-31(पी)/2000 दिनांक 31-8-2000 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर रु0 100/- प्रतिदिन की दर से मानदेय पर अतिथि वक्ता (गेस्ट स्पीकर) रखे जाने की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2000-2001 में की गयी थी।

जी हाँ। वर्ष 2001-2002 में अतिथि वक्ता (गेस्ट स्पीकर) रखे जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

61-श्री विजय पाल सिंह-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद मुजफ्फरनगर के टोड़ा कल्याणपुर में विद्युत सब स्टेशन का प्रकरण

62-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के टोड़ा कल्याणपुर में 33/11 विद्युत सब स्टेशन की स्थापना 10 वर्ष पूर्व हुई थी? यदि हां, तो क्या उक्त सब स्टेशन चालू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर, नगर पंचायत शाहपुर के कर्मचारियों के विगत वर्षों में बकाया अवशेष वेतन का भुगतान

63-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत शाहपुर (तहसील बुढ़ाना) जनपद मुजफ्फरनगर के कर्मचारियों के माह नवम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 एवं जुलाई माह, 2000 के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी के पार्क पर अवैध कब्जे का कथित प्रकरण

64-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी के भवन सं0 ए/1239/1 से ए1239/2 के सामने आवास विकास परिषद् के पार्क की लम्बाई एवं चौड़ाई क्या है? क्या उक्त पार्क में अवैध रुप से कुछ व्यक्तियों द्वारा दुकानें बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माण गिरवाकर पार्क का सुन्दरीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

संदर्भित स्थल आवास एवं विकास परिषद के ले-आउट में खुला स्थल के रुप में है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नगर निगम मुरादाबाद के अकेन्द्रियित सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीमे भुगतान की जानकारी

65-श्री बिन्दु लाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम मुरादाबाद के कितने अकेन्द्रियित सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामूहिक बीमे के क्लेम 31 अक्टूबर, 2000 तक लम्बित हैं? विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

नगर निगम, मुरादाबाद के अकेन्द्रियित सेवा निवृत्त कर्मचारियों के दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 तक के सामूहिक बीमे के दावे निदेशालय को भेजे जा चुके हैं।

भेजे गये प्रपत्रों में से निदेशालय द्वारा 11 सामूहिक बीमे के दावा प्रपत्रों पर आपत्तियां उठायी गयी हैं जिनके निस्तारण की कार्यवाही निगम स्तर पर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के आवास एवं विकास परिषद के स्थानान्तरित कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्य मुक्त करने की माँग

66-श्री बिन्दु लाल-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् पंचम वृत्त बरेली में अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2000 के मध्य स्थानान्तरित कर्मचारियों/अधिकारियों को बिना कार्यमुक्त किये उनसे उसी पद एवं स्थान पर कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के पंचम वृत्त बरेली के अधीनस्थ कार्यालय में माह अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2000 के मध्य स्थानान्तरित 4 अवर अभियन्ताओं को कार्य मुक्त नहीं किया गया है।

उपरोक्त 4 अवर अभियन्ताओं में से 3 अवर अभियन्ताओं को कार्य एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय कार्यमुक्त नहीं किया गया था, परन्तु उन्हें अब अपनी नवीन तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है एक अवर अभियनता के स्थानान्तरण पर मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.6.2001 तक रोक लगा देने के कारण कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में छितौनी से पनियहवां मार्ग के अवशेष निर्माण कार्य हेतु आयुक्त को आवश्यक निर्देश

67-श्री दीप लाल भारती-

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या-891/35-5-98-9(15)-98-34 दिनांक 10-6-1998 के माध्यम से स्वीकृत कार्य छितौनी से पनियहवां मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक रु0 20.00 लाख की धनराशि से 1.31 कि0मी0 तक का कार्य पूर्ण कराया गया है और शेष 1.69 कि0मी0 का पक्का किया जाना शेष है? क्या इससे संबंधित आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक 138/पू0वि0नि0-राज्यांश/2000-01 दिनांक 3-2-2001 सचिव, नियोजन अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत अवशेष कार्य को पूर्ण कराने के सम्बध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आयुक्त, गोरखपुर मण्डल को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर जल निगम में कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा का पत्र

68-श्री मुरली धर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उ0प्र0 जल निगम फतेहपुर द्वारा भेजा गया पत्रांक-3288/अधि0-6/1999 दिनांक 13-7-98 जो 5 वर्ष सेवा या इससे अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में है प्रधान कार्यालय 6-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश में विगत वर्षों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का विवरण

69-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में हाईस्कूल, इण्टरमीडियेट, बी0ए0 तथा बी0एस0सी0 उत्तीर्ण कितने युवकों ने वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में पंजीयन कराया है? क्या उन पंजीकृत युवकों को नौकरी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो पंजीकृत युवकों को कब तक रोजगार दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवा योजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)-

प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में वर्ष 1999-2000 (1अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक) में हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, बी0ए0 तथा बी0एस0सी0 उत्तीर्ण क्रमश: 1,02,500, 129,347, 35,057 तथा 9131 एवं वर्ष 2000-2001 में 78,697, 1,05,424, 31391 व 8,697 युवकों ने पंजीयन कराया है।

वर्ष 1999-2000 (1अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक) में हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, बी0ए0 तथा बी0एस0सी0 उत्तीर्ण क्रमश: 262,192,69 तथा 29 एवं वर्ष 2000-2001 में 305,132,36 व 63 युवकों को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से नौकरी दी गयी है।

नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों में सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में अन्य जनपदों की भांति विद्युत कमी के कारण आपात कटौती

70-श्री अफजाल अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के सदर जौनपुर में वर्तमान समय में आये दिन बिजली कटौती जारी है जिससे छोटे कुटीर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली की कटौती को समाप्त करते हुए 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जनपद स्तर के नगरों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है परन्तु विद्युत उपलब्धता में कमी होने के कारण अन्य जनपदों की भांति जनपद जौनपुर में भी आपत कटौती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में विगत वर्ष सूडा से स्वीकृत धन से किये गये कार्यों का विवरण

71-श्री अफजाल अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर सदर विधान सभा क्षेत्र के लिये सूडा से वर्ष 2000-2001 में कितना धन स्वीकृत हुआ है तथा कहां-कहां पर उसका उपयोग हुआ है? उससे कहां-कहां पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है?

श्री लाल जी टण्डन-

रुपया 37.83 लाख स्वीकृत किया गया। उक्त धनराशि का उपयोग मलिन बस्ती मतापुर, सुतहट्टी, सुल्तानपुर, बलुआघाट, तारापुर, नखास (बांस कोड़नगली) तथा मुफ्ती में नाली व खड़न्जा निर्माण में किया गया।

निम्न मलिन बस्तियों में नाली, खड़न्जा तथा हैण्डपम्प का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है:-

नाली खड़न्जा का कार्य

1. सुक्खीपुर सोनकर बस्ती
2. शाहबुद्दीनपुर
3. मुफ्ती मोहल्ला में (सलाहू के मकान से गोपाल के मकान तक) एवं जमाखां के मकान से शुलभ शौचालय तक।
4. हमाम दरवाजा में-
   (अ) नब्बन बीबी के मकान से अब्दुल रसीद के मकान तक
   (ब) कमरुद्दीन के मकान से सुलेमान हलवाई के मकान तक।
5. पुरानी बाजार गदर अरजानी (फकीर बस्ती)
6. सैयद अलीपुर
7. जियनोपुर मलिन बस्ती
8. डढ़ियाना फकीर बस्ती भाग II
9. नखास निषाद कालोनी, बस्ती
10. नई गंज, खटिकाना नईगंज, स्वीपर बस्ती
11. खनुसपुर-हुसेनाबाद
12. उमरपुर-हरिबंधनपुर

हैण्डपम्प का कार्य

1. सुल्तानपुर हाय-1
2. मतापुर (सोनकर बस्ती)-1
3. चक प्यारअली-1
4. सुतहट्टी (मुस्लिम फकीर बस्ती)-1
5. गुरजीखानी (धोबी बस्ती)-1
6. मो0 रसूलाबाद-2
7. ऊर्दू बाजार-1
8. शाहगंज की मड़ई-1
9. शकरमण्डी (सुल्तानपुर)-1
10. गदर अरजानी (डढ़ियाना टोला फकीर बस्ती)-1
11. कुरचनपुर-1
12. फिरोसेपुर-1 (दलित बस्ती)
13. ईशापुर-1
14. चार अंगुल मस्जिद के पास-1
15. नखास-2
16. उमरपुर-1
17. जोगियापुर-1
18. रासमंडल-1

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नाली खड़न्जा का कार्य	हैण्डपम्प का कार्य
13. बलुआघाट (हीरालाल के मकान से राम प्रकाश के मकान तक व शिव कुमार के मकान से आत्म प्रकाश के मकान तक।	योग - 20

72- श्री दीप लाल भारती-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में विद्युत कटौती की व्यवस्था जनपद हरदोई व मिर्जापुर में भी लागू होने की जानकारी

73- श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु विद्युत कटौती की कोई योजना आरम्भ की गई है? यदि हां, तो क्या यह कटौती की व्यवस्था जनपद हरदोई और मिर्जापुर पर लागू होती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

आवश्यकतानुसार जनपद हरदोई एवं मिर्जापुर में भी आपात कटौती करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थान लखनऊ को नगर विकास के अन्तर्गत संविलीन करने का कथित प्रकरण

74-श्री अफजाल अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में जल संस्थान लखनऊ को नगर विकास के अन्तर्गत संविलीन कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या जिन अवर अभियन्ताओं सहायक अभियन्ताओं अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध पूर्व से जांचे चल रही है उनको चालू रखा जायेगा? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे किन-किन जोनों में तैनात हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के नगर निगम के लेखाधिकारी के वित्तीय अनियमितताओं की जाँच

75-श्री मुरलीधर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संत राम, विधायक माधवगढ़, जालौन का पत्र दिनांक 16-01-2001 जो नगर निगम लखनऊ कार्यरत लेखाधिकारी द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं पद का दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में है, मुख्य मंत्री तथा सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

शिकायतों की जाँच मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री श्रीराम पाल-

[दिनांक 16-5-2001 को अता0प्र0सं0-92 द्वारा उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर के जग प्रकाश समाचार प्रेस के कर्मियों को निर्धारित वेतन दिये जाने की जानकारी

77-श्री रमेश राही-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर से प्रकाशित दैनिक जग प्रकाश समाचार पत्र फैक्ट्री ऐक्ट/श्रम अधिकार अधिनियम लागू किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त प्रेस में कार्यरत कर्मियों को निर्धारित वेतन दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्तमान में उक्त समाचार पत्र प्रतिष्ठान पर कारखाना अधिनियम 1948 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि वर्तमान में प्रतिष्ठान में प्रिंटिंग का कार्य नहीं हो रहा है और न ही प्रतिष्ठान के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कराये जाने की शर्त विद्यमान है।

दिनांक 25-4-2001 को उक्त प्रतिष्ठान की जांच के समय जो श्रमिक नियोजित पाये गये वे सभी अंशकालिक श्रमिक/कर्मचारी के रुप में कार्यरत हैं, जिन्हें निर्धारित वेतन दिया जा रहा है।

जनपद गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद हापुड़ के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

78-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् हापुड़ जनपद-गाजियाबाद के विरुद्ध गबन संबंधी उक्त परिषद् के सभासद का शिकायती-पत्र दि0 23.1.2001 श्री राजीव कुमार सिंह विधायक के उपरिपत्र के साथ मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, आवास, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र प्रमुख सचिव एवं आयुक्त आवास एवं नगर विकास के पत्रांक-391 दिनांक 24-1-2001 तथा मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक 41907 दिनांक 27-1-2001 द्वारा सचिव, नगर विकास को भेजा गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

जी हाँ, किन्तु मा0 विधायक का उपरिपत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सभासद श्री सुभाष भसीन का पत्र दिनांक 23-01-2001 प्राप्त हुआ है।

श्री सुभाष भसीन, सभासद, नगर पालिका परिषद, हापुड़ का शिकायती पत्र दिनांक 23-1-2001 प्राप्त हुआ है जिसकी जाँच करायी जा रही है। जाँच आख्या प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के ज्ञानपुर में विगत वर्षों में कार्यदायी संस्था द्वारा विकास कार्यों में की गयी धांधली की जाँच

79-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में जल निगम सी0एण्ड डी0एस0 कार्यदायी संस्था सड़क एवं भवन निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था के रुप में व्यापक स्तर पर कर रही है? यदि हां, तो जनपद संत रविदास नगर, भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998 से 2001 तक कितने भवन एवं सड़कों का निर्माण उसके द्वारा कराया गया है? क्या यह सही है कि उक्त विभाग द्वारा कराये गये कार्यों में व्यापक स्तर पर धांधली हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यों की जांच एस0टी0एफ0 से करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन-

जी हाँ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 98 से 2001 तक जितने भवन एवं सड़कों का निर्माण सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा कराया गया है, उसका विवरण विस्तृत है और इसे मा0 नगर विकास मंत्री जी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

जी नहीं।

जिन कार्यों पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी विभागीय स्तर पर जाँच करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय भवन के निर्माण कार्यों में धांधली की जाँच

80श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी0 एण्ड डी0एस0 कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई संस्था के रुप में कार्य कर रही है? यदि हां, तो जनपद संत रविदास नगर भदोही जिला मुख्यालय भवन के निर्माण कार्यों की जांच तथा इस इकाई द्वारा कराये गये कार्यों में धांधली एवं हेराफेरी की जांच जिलाधिकारी स्तर से करायी जा रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, संत रविदास नगर भदोही के स्तर से जाँच करायी गयी है।

विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में विगत वर्षों में कार्यदायी संस्था द्वारा कराये कार्यों की प्रचलित जाँच

81-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी0 एण्ड डी0एस0 निर्माण इकाई के कार्यों की जांच एवं हेराफेरी रोकने की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1996 से जनवरी, 2001 के मध्य उक्त विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जांच शासन स्तर से कराकर दोषी से धन वसूली की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जिन कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई है उनकी जाँच विभागीय स्तर पर करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा क्षेत्र फतेहाबाद के कतिपय ग्रामों में जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

82-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के ग्राम इनायतपुर व बीलपुरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु जिला योजना वर्ष 2001-2002 में सम्मिलित कर शासन को भेजा गया है? क्या उक्त दोनों विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु स्वीकृत दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के ग्राम इनायतपुर एवं बीलपुरा में नए 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण जिला योजना वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित है।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति में ग्राम इनायतपुर का ही अनुमोदन हुआ है।

अनुमोदन जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा तकनीकी आधार पर उपयुक्त पाने पर ही किया जाता है।

जनपद आगरा क्षेत्र फतेहाबाद के चयनित कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की माँग

83-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2000-2001 में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा के पांच ग्रामों क्रमशः नीवरी, रसूलपुर, लालपुरा, बड़ोवरकला तथा बीकापुर में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु चयनित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जी नहीं।

विधायक निधि से धन प्राप्त न होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य लम्बित है।

उ0प्र0 जल निगम जनपद अलीगढ़ के कार्यालय में हुई मारपीट की जाँच

84-श्री राम स्वरूप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0प्र0 जल निगम, अलीगढ़ के कार्यालय में कुछ व्यक्तियों द्वारा दिनांक 10-3-98 को मद्यपान कर श्री दयानन्द शर्मा, अवर अभियन्ता के साथ मारपीट किये जाने के बाबत ज्ञापन सं0 : कैम्प/अलीगढ़/01, दिनांक 11-3-98 पर विभागीय जांच कराने के आदेश पारित किये गये थे? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में जाँच करायी गयी। उपलब्ध जाँच आख्या एवं इस घटना पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही उस समय न किये जाने के कारण पुनः जाँच करायी जा रही है। जाँच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिनिश्चत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य योजना आयोग उ0प्र0 लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जाली शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र की जाँच

85-श्री राम ललित चौधरी-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा शैक्षिक योग्यता का जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लाल ग्राम व पोस्ट अटेसुवा जनपद लखनऊ के रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दि0 25-5-2000 तथा 20-6-2000 उन्हें प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश खन्ना-

जी हाँ।

जाँच आख्या जिलाधिकारी, लखनऊ से प्राप्त हो गयी है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

86-श्री विजय पाल सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरुस्त]

जनपद गाजियाबाद के ग्राम नूरपुर में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

87-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम नूरपुर (मुरादनगर) तथा गदाना खन्जरपुर (मोदीनगर) जनपद गाजियाबाद के 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। प्रश्नगत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के समिति संसाधन से कराया जा रहा है और धन की अनुपलब्धता के कारण अधिकांश कार्यों को पूरा कराने में विलम्ब हो रहा है।

प्रश्नगत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को पूरा कराने की सम्प्रति समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव के प्रोन्नति का मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

88-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 राज्य लोक सेवा अभिकरण इन्दिरा धन, लखनऊ में दायर याचिका संख्या 1409/98 के आदेश दिनांक 15-11-2000 द्वारा याचिका श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को 14-2-83 से ही सहायक अभियन्ता के पद पर एवं पुन: 18-3-94 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दो माह के अन्दर सुनिश्चित कराने के आदेश का अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में उचित कठिनाई व समरुप अन्य मामलों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने व संवर्ग प्रबन्धन में समस्या आदि के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मा0 अधिकरण के निर्णय/आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-243 (एस/बी)/2001 योजित की गयी है। जो विचाराधीन मा0 उच्च न्यायालय है।

उपरोक्तानुसार।

प्रकरण विचाराधीन मा0 उच्च न्यायालय होने के कारण मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन की समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

उ0प्र0 जल संस्थान लखनऊ के स्व0 श्री मो0 सलमान अंसारी के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

89-श्री शिव सिंह चक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल संस्थान ऐशबाग, लखनउ के लिपिक स्व0 श्री मोहम्मद सलमान अंसारी की मृत्यु सेवाकाल में जनवरी, 2000 में हुई थी? यदि हां, तो क्या उनके समस्त बकाया देयों (ग्रेच्युटी, बीमा, पेंशन आदि) का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त समस्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

स्व0 मो0 सलमान अंसारी, लिपिक के पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। सामूहिक बीमा के सम्बन्ध में श्री अंसारी से बीमा क्लेम फार्म भरवाकर महाप्रबंधक जल संस्थान लखनऊ के पत्र संख्या-2279/एल0जे0एस0/9/जी0एम0/दिनांक 14-2-2000 द्वारा भारतीय जीवन बीमा लखनऊ को भेज दिया गया है। वहां से क्लेम की धनराशि प्राप्त होते की भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान दिनांक 16-5-2001 को कर दिया गया है।

लखनऊ, मोहल्ला माया नगर पो0 निराला नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक सीवर लाइन डाले जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

90-श्री हरपाल सिह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भाई लाल सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 15 मई, 2000 जो मोहल्ला माया नगर, पो0-निरालानगर, लखनऊ में शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में था, पत्रांक 1430/सी0-वी0आई0पी0/2000 दिनांक 16 जून, 2000, निदेशक सूडा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के क्लेस्क्वायर में 11 हजार के0वी0 की विद्युत पेटी अन्यत्र स्थानान्तरित करने की माँग

91-श्री अखिलेश कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ शहर के क्लेस्क्वायर मोहल्ले में 11 हजार के0वी0 का अण्डर ग्राउण्ड ओवर हेड केविल पेटी ऐसे स्थान पर बनाई गई है जो रिहायशी मकानों से मात्र एक कि0मी0 दूरी पर है? क्या भीषण दुर्घटना तथा जानमाल के खतरे को देखते हुए उक्त 11 हजार वोल्ट्स की विद्युत पेटी को सरकार अन्यत्र स्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

लखनऊ शहर के क्लेस्क्वायर मोहल्ले में 11 केवी0 के 2 केविल डबल पोल पर एक्सपोज हुए हैं तथा वहां पर कोई भी ट्रांसफार्मर या पेटी नहीं है। डबल पोल के निकट निर्मित भवन की दूरी इंडियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट के नियमों के अनुसार है। चूंकि उक्त क्षेत्र में कोई ट्रांसफार्मर एवं पेटी नहीं है अतएव भीषण दुर्घटना का प्रश्न नहीं उठता है। अण्डर ग्राउण्ड एवं ओवर हैड केविल को तकनीकी दृष्टिकोण से अन्यत्र स्थानान्तरित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गंगानगर कालोनी हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की माँग

92-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गंगानगर कालोनी विकसित करने हेतु किसानों की जमीन को अधिग्रहीत किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा किसानों को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना (प्रथम) हेतु 443.51 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था जिसका अभिनिर्णय दिनांक 22.2.90 को घोषित किया जा चुका है। घोषित अभिनिर्णय में 351 भू-स्वामियों में से 326 भू-स्वामियों को उनकी अर्जित भूमि का अभिनिर्णित प्रतिकर वितरित किया जा चुका है।

प्राधिकरण की गंगा नगर योजना (द्वितीय) हेतु 404-0-18 बीघा भूमि का अर्जन किया गया था। इसमें से 393-5-6 बीघा भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 17.3.92 को घोषित किया गया। प्राधिकरण को 64-4-12 बीघा कब्जा प्राप्त भूमि से संबंधित भू-स्वामियों को रु0 85,42,020.64 का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष भुगतान प्राधिकरण के पास नगद धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

जनपद बागपत क्षेत्र छपरौली में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन के निर्माण की माँग

93-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र छपरौली जनपद बागपत में 132 के0वी0ए0 के सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त 132 के0वी0ए0 के सब स्टेशन का निर्माण कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत उपकेन्द्र के निर्माण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 से ऋण प्राप्त करने हेतु 742 लाख रुपये की एक परियोजना पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 नई दिल्ली को दिनांक 24-1-2001 को प्रेषित की गयी है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0 से ऋण की स्वीकृति और ऋण से संबंधित औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात लगभग 24 माह में 132 के0वी0 छपरौली उपकेन्द्र का उर्जीकरण सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली नगर पालिका परिषद में नवसृजित पदों के स्थाई पद सृजन की स्वीकृत विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

94-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् रायबरेली में नवसृजित पदों के स्थाई पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, रायबरेली का पत्र सं0 न0पा0परि0/अधि0-पद सृजन/99-2000/458, दिनांक 11-8-99 व 16-1-2001 प्रमुख सचिव, नगर विकास व जिसकी प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को भी भेजी गयी थी, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ। दिनांक 16-1-2001 का पत्र प्राप्त हुआ है।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लखनऊ में विगत वर्ष विद्युत चोरी के मामलों में कार्यवाही की जानकारी

95-श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन जनपद लखनऊ में वर्ष 1999-2000 में विद्युत चोरी के कितने मामले पकड़े गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 99-2000 में जनपद लखनऊ में 380 मामलों में विद्युत चोरी पकड़ी गई तथा सभी 380 मामलों पर 95.16 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण प्रस्तावित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी 11 व 33 के0वी0ए0 के केबिल के सम्बन्ध में जाँच कार्यवाही की माँग

96-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर के 11 के0वी0 तथा 33 के0वी0 के केबिल को ऊर्जीकृत किये जाने के संबंध में दिनांक 24-10-2000 को नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संदर्भ में ऊर्जा अनुभाग-3 के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-4385पी-3/2000-24, दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 के संदर्भ में जांच हेतु कितना समय दिया गया है? क्या जांच पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फाल्ट लोकेटर मशीन का प्रबन्ध विभागीय स्तर पर कब तक कर लिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जांच हेतु लगभग 4 माह का समय दिया गया था।

जी हाँ।

जाँच में पाया गया कि 33 के0वी0 का 7.63 कि0मी0 तथा 11 के0वी0 का 3.087 किमी0 केबिल क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जो कि पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। विद्युत आपूर्ति वैकल्पिक व्यवस्था से सुनिश्चित की जा रही है।

फाल्ट लोकेटर क्रय करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। इस संबंध में वांछित औपचारिकताएं पूरी होने तथा धन उपलब्ध होने पर फाल्ट लोकेटर क्रय किया जायेगा।

97-श्री राम औतार शाक्य-

(5 वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद चित्रकूट क्षेत्र कर्वी में विगत वर्ष विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों का विवरण

98-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र कर्वी में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिये विधायक कोटे से कौन-कौन गांव विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं? क्या प्रस्तावित गांवों का विद्युतीकरण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद चित्रकूट विधायक विधान सभा क्षेत्र कर्वी में प्रश्नकर्ता द्वारा निम्न पाँच गांव विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं:--

क्र0सं0	गांव का नाम	विकास खण्ड (ब्लाक)
1-	रंगोरी	चित्रकूट
2-	बगेहा	,,
3-	इमलाई	,,
4-	मुरहरी	पहाड़ी
5-	सोंदी	,,

हाँ, प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा।

विद्युतीकरण हेतु आवश्यक सामग्री प्राप्त होने पर उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मथुरा की ग्राम सभा अडींग व औल को नगर पंचायत बनाये जाने की माँग

99-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बनाये जाने के क्या मानक हैं? क्या मथुरा जनपद स्थित ग्राम सभा अडींग व औल को नगर पंचायत बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

शासनादेश सं0-6250/9-1-86-77 सा (3)/82, दिनांक 10 सितम्बर, 1986 द्वारा नगर पंचायत बनाये जाने हेतु मानकों का पुर्ननिर्धारण किया गया है जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र की आय, जनसंख्या, सड़क यातायात, कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में लगे लोगों का प्रतिशत, शहरी गुण (पुलिस थाना, विकास खण्ड, व्यवसाय केन्द्र, स्कूल, हेल्थ सेंटर, बिजली, बैंक, पोस्ट आफिस) इत्यादि प्रमुख हैं। परन्तु बाद में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के मूल अधिनियम की धारा-3 को उ0प्र0अधि0 सं0-12 सन् 1994 की धारा-74 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसके अनुसार नगर पंचायत बनाये जाने हेतु जनसंख्या मानक के रुप में सम्प्रति नहीं है।

जी नहीं।

जिलाधिकारी, मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सभा अडींग व औल नगर पंचायत बनाये जाने के लिये निर्धारित मानक पूरा नहीं करती हैं।

जनपद चित्रकूट क्षेत्र कर्वी में विधायक कोटे के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

100-श्री आर0सी0 पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 3-8-2000 तथा 30-1-2001 जो जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र कर्वी में वर्ष 1999-2000 के विधायक कोटे के पांच गांवों के विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

ग्राम पचोखर पहाड़ी ब्लाक का विद्युतीकरण दिनांक 27.3.2001 एवं ग्राम गढ़ीघाट चित्रकूट ब्लाक का विद्युतीकरण दिनांक 30.3.2001 एवं वड़हरपुरवा (सुरवल) पहाड़ी ब्लाक का विद्युतीकरण दिनांक 31.3.2001 को कराया जा चुका है।

ग्राम-भमौर विकास खण्ड चित्रकूट का प्राक्कलन रु0 7,08,041,00 तथा लौढिया खुर्द की प्राक्कलन धनराशि रु0 7,12,[illegible]5.00 है। रु0 5.00 लाख से अधिक होने के कारण मा0 विधायक जी से अनुरोध किया गया है कि अन्य ग्रामों को प्रस्तावित करें।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से ग्राम इटरौर भीखमपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु आगणन प्रस्तावित पर कार्यवाही

101-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 04-09-2000 जो जिला चित्रकूट के मुख्य विकास अधिकारी को बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलान्स) वर्ष 1998-99 व वर्ष 1999-2000 के वित्तीय वर्ष के अवशेष धन को ग्राम इटरौर भीखमपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

इटरौर भीखमपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु योजना के आगणन तैयार कराकर स्वीकृति हेतु मण्डलायुक्त को प्रेषित किया गया, जिसका मण्डल स्तर पर तकनीकी आडिट सेल द्वारा परीक्षण कराया गया। परीक्षणोपरांत पायी गई त्रुटियों के निराकरण हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड टयूबवेल कारपोरेशन लि0 चित्रकूट को निर्दिष्ट किया गया। आगणन की त्रुटियों का निराकरण न हो पाने एवं

शासनादेश संख्या-462/35-5-2000-15(49)97-270 दिनांक 10-1-2001 के क्रम में उक्त मार्ग का आगणन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से तैयार कराकर दिनांक 24-4-2001 के पत्र द्वारा स्वीकृति हेतु मण्डलायुक्त को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम में कतिपय कर अधिकारियों को स्थानान्तरण न किये जाने का निर्णय

102-श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ में कर निरीक्षक, सहायक कर अधीक्षक, कर अधीक्षक तथा सहायक नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी के पंद क्या स्थानान्तरण के पद हैं? यदि हां, तो नगर निगम लखनऊ में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लखनऊ में पांच वर्ष से अधिक समय से उक्त पदों पर तैनात हैं? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति के अनुसार लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

नगर निगम, लखनऊ में 28 कर निरीक्षक, 01 कर अधीक्षक तथा 02 सहायक नगर अधिकारी पाँच वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं।

जी नहीं।

शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2001 द्वारा निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिये सामान्यत: कोई स्थानान्तरण न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार खनिज निगम व अपट्रान इण्डिया लि0 कर्मियों को सूडा/डूडा में समायोजित किये जाने की जानकारी

103-श्री हरपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की रिट याचिका संख्या-338(एस0बी0) 1997 द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2001 को खनिज निगम कर्मियों तथा दिनांक 11-12-98 को अपट्रान इण्डिया लि0 कर्मियों को सूडा/डूडा में रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मियों को वहां समायोजित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

सूडा/डूडा हेतु सृजित पदों के सापेक्ष खनिज निगम के 21 एवं अपट्रान इण्डिया लि0 के 44 कर्मियों को योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर तैनात किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

104-श्री आचार्य रामदेव वैश्य-

(5 वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में श्रम हितकारी केन्द्रों को समाप्त करने का निर्णय

105-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के श्रमिकों के लिए संचालित 32 श्रम हितकारी केन्द्रों को अक्टूबर 2000 मे समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों के हितों के लिए अन्य कोई योजना सरकार द्वारा प्रस्तावित है? यदि हां, तो वह कब तक लागू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश के श्रमिकों के लिए संचालित श्रम हितकारी केन्द्रों में से 32 केन्द्रों को अक्टूबर, 2000 में नहीं बल्कि शासनादेश सं0-2303/36-4-2000-83/98, दिनांक 16 सितम्बर, 2000 द्वारा समाप्त किया गया है।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के नगर कालपी में विगत वर्ष विद्युत तारों को बदलने की जानकारी

106-श्री श्रीराम पाल-

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत जनपद जालौन के नगर कालपी में पुराने व जर्जर तारों को बदलने हेतु 5.53 लाख रुपया स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो उक्त कार्य में कौन सा व कितना तार प्रयोग किया गया? क्या दिये गये धन के सापेक्ष कार्य पूर्ण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

रेकून व डॉग कन्डक्टर प्रयोग किया गया है कन्डक्टर मोटा होने के कारण कहीं-कहीं पोल लगाने पड़ रहे हैं और लगभग 8.7 कि0मी0 तार बदला जा चुका है। 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

हाँ 80% कार्य पूर्ण है।

गर्मी का मौसम होने के कारण टाउन को विद्युत आपूर्ति लगातार बन्द नहीं की जा सकती है इसलिए विलम्ब हो रहा है।

लखनऊ, इन्दिरा नगर, ग्राम बस्तौली भूमि के बढ़े हुए प्रतिकर भुगतान सम्बन्धी शिकायती-पत्र

107-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बस्तौली इन्दिरा नगर लखनऊ के खसरा सं0 183 के भूस्वामियों के बढ़े प्रतिकर के भुगतान हेतु श्री राम चन्द्र यादव विधायक का पत्र दिनांक 19-1-2001 आवास आयुक्त को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ से प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी थी। उनकी सूचना के अनुसार खाता संख्या-183 में भू-स्वामी श्री लोन्दे व नत्था पुत्र अयोध्या का नाम सीरदार अंकित है। सह खातेदार श्री नत्था द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत सन्दर्भ वाद प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरुप वाद सं0-6/78 नत्था (मृतक) वारिस राम स्वरुप व अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.3.84 के क्रम में फार्म सी0सी तथा फार्म-11 के अनुसार रामस्वरुप, हरदेव व सोहन पुत्र गण नत्था को डिक्रीटल धनराशि का भुगतान किया गया है। श्री लोन्दे पुत्र अयोध्या द्वारा अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ के कार्यालय में धारा-18 व धारा-28-ए के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ श्रीपुरम, त्रिवेणी नगर के अहिबरनपुर पावर स्टेशन सीतापुर रोड से उच्च क्षमता के विद्युत तारों को हटाये जाने की माँग

108-श्री जगदीश नारायण राय-

108-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीपुरम, त्रिवेणी नगर-तृतीय (तारा टिम्बर स्टोर्स के सामने) लखनऊ के निवासियों को अहिबरनपुर पावर स्टेशन सीतापुर रोड से उच्च क्षमता का 11000 के0वी0 घरेलू आपूर्ति लाइन मकानों के ऊपर विद्युत तार टूट जाने से घनी आबादी के अनेकों निवासियों को हजारों रुपये के हुए नुकसान एवं जनहानि के कारण उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु विद्युत लाइन शिफ्ट किये

जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4-10-97, 13-5-98, 13-11-99, 17-10-2000 तथा 13-11-2000 को प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा तथा स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव के पत्र अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् उ0प्र0 प्रमुख सचिव, ऊर्जा तथा मुख्य महाप्रबन्धक एवं भण्डार नियंत्रक महानगर, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

लाइन को हटाने का कार्य प्रगति पर है, जो मई, 2001 के अंत तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

109-श्री अजय कुमार पोइया-

(5 वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद बलिया के रजईपुर विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत वितरण के समय में परिवर्तन की माँग

110-श्री राम नरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में रजईपुर विद्युत उपकेन्द्र, निकट किडिहडापुर रेलवे स्टेशन जनपद बलिया में विद्युत वितरण का समय क्या रात्रि 9 बजे से प्रात: काल 4 बजे तक रखा गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार छात्रों एवं किसानों के हित में विद्युत वितरण का समय सायंकाल 6 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक के लिए करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण प्रणाली द्वारा समय-समय पर पारित किये जा रहे ग्रामीण विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति करायी जाती है। वर्तमान में एक सप्ताह रात्रि 10 बजे से अगले दिन प्रात: 8 बजे तक तथा अगले सप्ताह प्रात: 8 बजे से सायं 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। प्रत्येक सप्ताह के उपरांत यह कार्यक्रम आपस में बदल दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण संभव नहीं है।

111-श्री हरदेव सिंह-

(5 वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में बाल श्रमिक की संख्या व उसे रोकने के उपाय

112-श्री विजय पाल सिंह तथा श्री संजय गर्ग-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 12,46000-बाल श्रमिक थे? यदि हां, तो क्या यह सही है इस समय ताला उद्योग, बीड़ी उद्योग, पट्टी कालीन, कांच उद्योग, दियासलाई उद्योग, पटाखा उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग आदि में बाल श्रमिक की संख्या लगभग 8 करोड़ है? यदि हां, तो सरकार बाल श्रम पर रोक लगाने हेतु क्या कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में बाल-श्रमिकों की संख्या 14.1 लाख दर्शायी गई है।

जी नहीं।

सरकार द्वारा बाल-श्रम (प्रतिषेध) एवं विनियमन (अधिनियम), 1986 की दर्शाई गई वर्जित प्रक्रियाओं तथा व्यवसायों में बाल-श्रमिकों के नियोजन के निषेध तथा गैर वर्जित प्रक्रियाओं में उनके नियोजन को विनियमित करने के सन्दर्भ में कार्यवाही की जा रही है।

उक्त योजना की रुपरेखा निम्नवत है:-

1- निरीक्षण/सर्वेक्षण के माध्यम से बाल-श्रमिकों का चिन्हांकन किया जाना।

2- खतरनाक प्रक्रियाओं में चिन्हित बाल-श्रमिकों को कार्य से हटाते हुए शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश।

3- बाल श्रमिकों के नियोजकों से रु0 20,000 प्रति बाल-श्रमिक क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु कार्यवाही।

4- वर्जित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में नियोजित पाए गए बाल-श्रमिकों के परिवार के एक सक्षम वयस्क बेरोजगार सदस्य को शासन की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं द्वारा लाभान्वित/पुर्नवासन की कार्यवाही।

5- जनजागरण के माध्यम से बाल-श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध जन-चेतना जागृत किए जाने की कार्यवाही।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा, पो0 महावन ग्राम मनोहरपुर के श्री गोवर्धन को विद्युत रिकवरी के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दिलाने विषयक शिकायती-पत्र

113-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोबर्धन पुत्र स्व0 श्री यादराम निवासी-ग्राम-मनोहरपुर पो0-महावन जनपद मथुरा को विद्युत विभाग को अवैध रिकवरी के कारण हवालात में बन्द कराये जाने के कारण मानहानि की क्षति पूर्ति दिलाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-2/42542/मथुरा/2001, दिनांक 13-2-2001 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को/एम-2/42542/मथुरा/2001 दि0 13.2.2001 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस विषय में यह सूचित करना है कि वर्ष 1988-89 में विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा के विभाजन के समय श्री गोवर्धन पुत्र स्व0 यादराम निवासी ग्राम-मनोहरपुर पो0 महावन जनपद मथुरा को कनेक्शन सं0-1-306/010068 की बिलिंग विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय मथुरा को स्थानान्तरित कर दी गई थी। इनकी बिलिंग लगातार खण्ड से होती रही एवं उपभोक्ता पर माह 4/99 में बकाया के रुप रु0 5346.00 का धारा-3 की नोटिस पत्रांक-830 दि0 17.7.99 के द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड- तृतीय मथुरा द्वारा भेजा गया। उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरुप उपभोक्ता को नोटिस व्यय को मिलाते हुए रु0 53468.00 का सेक्शन-5 का नोटिस जारी किया गया। तदुपरांत माह 12/2000 में उपभोक्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, ने उपरोक्त संयोजन का स्थायी विच्छेदन वर्ष/96 में कर दिया गया था एवं उपभोक्ता ने उसकी धनराशि रु0 2243.00 विद्युत वितरण खण्ड प्रथम में जमा कर दी थी तदोपरांत विद्युत वितरण खण्ड तृतीय द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र वापस ले लिया गया। विद्युत वितरण खण्ड- प्रथम ने बिलिंग खण्ड-तृतीय में स्थानान्तरित होने के पश्चात भी बिलिंग अपने खण्ड में चालू रखी एवं स्थायी विच्छेदन का समापन कर दिया जिसकी सूचना खण्ड-तृतीय, मथुरा को नहीं दी गई इसके लिए अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम मथुरा को उत्तरदायी समझा गया एवं उपरोक्त प्रकरण हेतु उन्हें सचेत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के नियमितीकरण का मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

114-श्री छब्बू पटेल-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 19-8-92 एवं 22-2-94 का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्कचार्ज पर कार्यरत सहायक अभियंताओं एवं अवर अभियंताओं द्वारा अपने विनियमितीकरण आदि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में रिट याचिका संख्या-6384/89 श्री विजय कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-222(एसएस)/92 सन्तोष कुमार त्रिपाठी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य दाखिल की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश 19.8.92 तथा रिट याचिका संख्या-6392(एसएस)/92 श्री पौवारी यादव व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 22.2.94 के विरुद्ध शासन तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा क्रमश: विशेष अपील संख्या-308/92 व विशेष अपील संख्या-47/94 मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में दाखिल की गयी। सम्प्रति दोनों विशेष अपीलें विचाराधीन मा0 उच्च न्यायालय है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक प्राप्त पत्र पर प्रचलित जाँच

115-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमित नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश, विधायक, हापुड़ का शिकायती-पत्र दिनांक 19-1-2001 सचिव नगर विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

श्री जय प्रकाश, मा0 विधायक, हापुड़ का शिकायती पत्र दिनांक 19.1.2001 नहीं अपितु शिकायती पत्र दिनांक 18-1-2001 प्राप्त हुआ है।

शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जाँच निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगर विकास विभाग के लेखाकार के स्थानान्तरण की माँग

116-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर विकास विभाग में कितने लेखाकार ऐसे हैं जो लखनऊ नगर निगम में गत 14 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? क्या ऐसे लेखाकारों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

केवल एक।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय आदेश दिनांक 12.2.99 द्वारा प्रशासनिक आधार पर संबंधित लेखाकार का स्थानान्तरण नगर पालिका परिषद्, एटा किया जा चुका है, परन्तु कार्यहित में अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर विद्युत विभाग के श्री धनेश्वर राम श्रमिक के पावने से वसूली किये जाने के आदेश

17-श्री अफजाल अंसारी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपक्रम आयुक्त वाराणसी की ओर से जिला कलेक्टर, गाजीपुर के नाम रिकवरी सर्टीफिकेट सं0-13075 दिनांक 16-12-2000 जारी है जिसमें श्री धनेश्वर राम श्रमिक के पावने रु0 45536/- अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) आमघाट, गाजीपुर से वसूल किये जाने के आदेश हुए हैं? क्या उक्त धनराशि जिला कलेक्टर, गाजीपुर द्वारा वसूल की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हाँ।

उक्त धनराशि की पूर्ण रुप से वसूली नहीं की जा सकी है। श्रमिक श्री धनेश्वर राम को माह 12/99 से 4/2001 तक देय रु0 3400.00 चेक संख्या 860150 दिनांक 15-5-2001 द्वारा भुगतान किया गया है। मामले में मा0 उच्च नयायालय के आदेश दि0 2-3-2000 का संज्ञान होने पर वसूली की कार्यवाही करते हुए उप जिलाधिकारी, गाजीपुर के आदेश दिनांक 15-5-2001 द्वारा अधिक अभि0 वि0 वि0 खण्ड द्वितीय गाजीपुर का भारतीय स्टेट बैंक शाखा का गाजीपुर में संचालित खाता कुर्क कर दिया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के क्षेत्र मन्नाकपुरवा में सीवर लाइन की खुदाई में मजदूरों की मृत्यु की जाँच

118-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर में मन्नाकपुरवा क्षेत्र में सीवर लाइन की खुदी मिट्टी के ढेर से पैंतीस फुट गहरे गढ्ढे के अन्दर छ: मजदूरों की दब कर मृत्यु हो गयी थी? क्या इसकी कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या मृतकों के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जाँच करायी जा रही है।

जाँच पूर्ण होने के उपरान्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोष निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

मृत श्रमिकों के शवों को उनके पैत्रिक नगर (संत रविदासनगर) ले जाने तथा अन्तिम संस्कार हेतु रु0 34,000/- की राशि ठेकेदार द्वारा संबंधित परिवारों को उपलब्ध करा दी गयी है। मृतकों के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सहायता पैतृक जनपद से दिये जाने का प्राविधान है। अत: जनपद कानपुर नगर से कोई सहायता नहीं दी गयी। सभी छ: मृतक श्रमिकों के आश्रितों को देय सहायता प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का प्रकरण जिलाधिकारी संत रविदास नगर को संदर्भित कर दिया गया है। मृतक श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजे के रुप में नियमानुसार देय धनराशि का भुगतान अनुबन्ध की शर्त के अनुसार ठेकेदार द्वारा किया जाना है। अन्तिम निर्णय के पश्चात ठेकेदार से भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित व्यवसायिक केन्द्रों में विस्थापित दुकानदारों के आवंटन का प्रकरण

119-श्री प्रदीप कुमार-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पं0 नेहरु व्यवसायिक केन्द्र में स्व0 संजय गांधी मार्केट के विस्थापित दुकानदारों को आवंटित दुकानों का कब्जा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पं0 नेहरु व्यवसायिक केन्द्र में स्व0 संजय गांधी मार्केट के विस्थापित 40 दुकानदारों द्वारा रु0 500.00 एवं रु0 1000.00 जमा कराते हुए दुकान आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया था। इनमें से 14 आवंटियों को कब्जा भी दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा समय-

समय पर मांग-पत्र/नोटिसें निर्गत कर बकाया धनराशि जमा कराने की माँग आवंटियों से की गयी किन्तु किसी भी दुकानदार द्वारा धनराशि जमा न करने पर मार्च, 1998 में एक अन्तिम नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने के बावजूद धनराशि जमा न करने के कारण जुलाई, 1998 में सभी आवंटियों का आवंटन प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति के कारण आवंटियों को अब कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गुरु तेज बहादुर नगर, करैली आवासी कालोनी के पार्कों को भवनों हेतु आवंटन की जाँच

120-श्री प्रदीप कुमार-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा गुरु तेग बहादुर नगर करैली आवासीय कालोनी के मानचित्र में कुल कितने पार्क दर्शाए गए हैं? क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पार्कों को भी आवासीय भवनों हेतु आवंटित किया गया है? यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है तथा उन्हें किसे आवंटित किया गया है और क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

प्रश्न में उल्लिखित गुरु तेज बहादुर कालोनी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की नहीं है। यह कालोनी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा विकसित आवासीय कालोनी है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की इस आवासीय योजना के स्वीकृत ले-आउट के अनुसार कुल 75 पार्क/ओपेन स्पेसेज हैं। योजना के मूल स्वीकृत ले आउट-प्लान में नाले के किनारे कुछ खुली हुई भूमि पार्क/ओपेन स्पेस के रुप में छोड़ी गयी थी उस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा झोपड़ियां आदि बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। स्थानीय निवासियों ने सामूहिक रुप से पत्र देकर ओपेन स्पेस को आवासी भूखण्ड में परिवर्तित करने हेतु दी गयी अनापत्ति पर योजना के लेआउट प्लान में आंशिक संशोधन करते हुए नाले के किनारे अविकसित 600 वर्ग मी0 ओपेन स्पेस को वर्ष 1993 में आवासीय भूखण्ड संख्या-587/1 में परिवर्तित किया गया। इस भूखण्ड को विस्थापित कोटे के अन्तर्गत श्री हरीशचन्द्र को आवंटित किया गया। इस कार्यवाही की जांच की जायेगी।

जनपद आगरा के फतेहाबाद में 132 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की माँग

121-श्री विजय पाल सिंह तथा श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र, फतेहाबाद में 132 विद्युत उपगृह केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-3-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त उपगृह केन्द्र को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

132 के0वी0 फतेहाबाद उपकेन्द्र का निर्माण कार्य ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विद्युत सुधार के लिये जो उपकेन्द्र स्थापित होता है उस पर मुख्य सचिव अध्यक्षता में गठित मिशन मैनेजमेण्ट बोर्ड द्वारा स्वीकृति एवं धन उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात कार्य प्रारम्भ होता है। मिशन मैनेजमेण्ट बोर्ड ने एक परामर्शदात्री मे0 बी0एस0ई0एस0 को ताज ट्रपेजियम् क्षेत्र में विद्युत सुधार कार्यों के लिये नियुक्त किया है। मे0 बी0एस0ई0एस0 की अंतिम रिपोर्ट आने पर इसे मिशन मैनेजमेण्ट बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा एवं बोर्ड की स्वीकृति तथा धन बहाव के अनुसार 132 के0वी0 फतेहाबाद उपकेन्द्र पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में पार्कों का कथित अतिक्रमण

122-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में कितने पार्कों का अतिक्रमण किन-किन लोगों द्वारा किया गया है तथा उनमें से कितने सरकारी कर्मचारी हैं? क्या यह सही है कि पं0 जवाहर लाल

नेहरु व्यवसायिक केन्द्र में स्थित शौचालयों को भी आवंटित किया गया है? यदि हां, तो किन्हें तथा किसके द्वारा?

श्री लाल जी टण्डन-

नगर निगम, इलाहाबाद के तत्कालीन कर अधीक्षक श्री हरीशचन्द्रा एवं श्री सुभाष पाण्डेय को बैरहना पार्क में आवास बनाने हेतु तत्कालीन प्रशासक द्वारा भूखण्ड आवंटित किया गया था तथा उक्त भूखण्ड पर उनका आवासीय भवन भी निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त शौलत अली पार्क में नगर निगम द्वारा ही दुकानों का निर्माण कराया गया है। खुल्दाबाद थाने के पास पार्क में पुलिस कालोनी का निर्माण किया गया है। प्राधिकरण की बदरी आवास योजना के पार्क में मस्जिद निर्मित है। इसके अतिरिक्त किसी पार्क में अतिक्रमण की सूचना नहीं है।

जवाहर लाल नेहरु व्यवसायिक केन्द्र में स्थित शौचालय को दुकान में परिवर्तित कर तत्कालीन उपाध्यक्ष, श्री एम0ए0 फारुकी के आदेश दिनांक 22-12-93 द्वारा श्री शाकिर हुसैन के पक्ष में आवंटित किया गया है।

जनपद वाराणसी तहसील सदर के भिखारीपुर खुर्द की प्रस्तावित सड़क को सार्वजनिक घोषित करने की माँग

123-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय सभासद, नगर निगम वाराणसी का प्रस्ताव दिनांक 24-07-2000 संकल्प संख्या-511 जो भिखारीपुर खुर्द, परगना देहात अमानत, तहसील-सदर जिला वाराणसी स्थित आ0न0 72 में स्थित 20 फीट चौड़ी एवं 176 फीट लम्बी सड़क आराजी नं0 74 के कालोनी में मिलती हैं, के विषय में है स्वीकृति हेतु अध्यक्ष, मिनी सदन, नगर निगम, वाराणसी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव में वर्णित सड़क को नगर निगम द्वारा सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 290 के अन्तर्गत सरकारी सड़क घोषित करने की प्रक्रिया निहित है। निहित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के कारण अभी तक यह सड़क नियमानुसार सार्वजनिक घोषित नहीं है। प्रश्नगत स्थल को लेकर दो पक्षों में विवाद है।

जनपद फतेहपुर, जल निगम कार्यालय के रिक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

124-श्री मुरलीधर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में जल निगम कार्यालय में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत है? उनमें से कितने पद इस समय रिक्त चल रहे हैं? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्या रिक्त पदों को आरक्षण कोटे से पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जनपद फतेहपुर जल निगम कार्यालय में कुल 46 पद स्वीकृत है।

इस समय 6 पद रिक्त चल रहे हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का कोटा प्रदेश स्तर पर प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग अलग भरे जाने का प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर आरक्षण कोटा के अनुसार तैनाती किये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

125-श्री हरदेव सिंह-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।)

जनपद वाराणसी, परगना देहात अमानत मौजा भिखारीपुर खुर्द के प्रस्तावित रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रकरण

126-श्री राम सेवक सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0--156 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम अति0 सिविल जज, अवर वर्ग, वाराणसी द्वारा वाद सं0--408 सन् 1998 श्रीमती रीता बनाम कृष्णा कुमारी वगैरह में दिनांक 30-4-98 को प्रतिवादीगण को आदेशित किया गया है कि आ0नं0 72 स्थित मौजा भिखारीपुर खुर्द, परगना देहात अमानत, जिला वाराणसी में प्रस्तावित रास्ता जो कि आ0 नं0-74 के प्लाट पर भी जाने का एक मात्र रास्ता है, में व्यवधान न करें? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

अति0 सिविल जज अवर वर्ग, वाराणसी के यहां दो पक्षों के मध्य वाद चल रहा है, जिसमें नगर निगम पक्षकार नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी के विद्युत विभाग में कार्यरत आई0टी0आई0 अप्रेन्टिसों को विनियमित करने की माँग

127-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के विद्युत विभाग में वैकल्पिक कर्मचारी के रुप में विगत अनेक वर्षों से कार्यरत आई0टी0आई0 अप्रेन्टिसों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी0-10042876, सं0-सी0एम/वि0को0/एम-/42876/वाराणसी/2001 दिनांक 22-2-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या वैकल्पिक कर्मचारी के रुप में कार्यरत आई0टी0आई0 अप्रेन्टिसों को विनियमित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

नगरीय विद्युत वितरण मण्डल वाराणसी में काफी समय से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ कर्मचारी कार्यरत थे, जिन्हें विद्युत सेवा आयोग द्वारा संचालित अर्हता परीक्षा सम्पन्न कराकर श्रमिक के पद पर वर्ष 1998 में विनियमित कर दिया गया है। इनमें से 16 कर्मचारी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आई0टी0आई0 पास थे, अत: इनको पुन: अर्हता परीक्षा सम्पन्न कराकर टेक्निशियन ग्रेड-II विद्युत के पद पर नियुक्ति कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुन्देलखण्ड के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में जल मूल्य निर्धारण की माँग

128-श्री श्रीराम पाल-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड के जनपदों में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में जल संस्थान द्वारा की जा रही पेयजल की आपूर्ति में जल मूल्य की निरन्तर बढ़ती दरों को समाप्त कर प्रदेश भर में जल मूल्य की दरों में एकरुपता लाने की कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या

है? क्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछड़ेपन व गरीबी को दृष्टिगत रखते हुए बढ़े हुए जल मूल्य को समाप्त कर प्रारम्भिक दरों पर जलमूल्य का निर्धारण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन व गरीबी को दृष्टिगत रखते हुए जल संस्थान द्वारा वर्तमान में जल मूल्य का जो निर्धारण किया गया है वह उत्पादन लागत से कम तथा प्रदेश के अन्य जल संस्थानों की तुलना में न्यूनतम है। उत्पादन लागत में हो रही निरन्तर वृद्धि को देखते हुए पूर्व की दरों पर जल मूल्य का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इटावा के ब्लाक ताखा स्थित ग्राम पृथ्वीपुर में विद्युतीकरण

129-श्री राम औतार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पृथ्वीपुर मौजा पुरैला ब्लाक ताखा जनपद इटावा में विद्युत लाइन पास में होते हुए भी बिजली उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को विद्युतीकृत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

ग्रामों का विद्युतीकरण माननीय सदस्य विधान सभा/परिषद के द्वारा प्रस्तावित किये जाने के पश्चात ही किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम विद्युतीकरण का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही विद्युतीकृत किया जा सकेगा। अभी तक इस ग्राम का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद लखनऊ, नगर निगम के सहायक कर अधीक्षक द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने की जाँच

130-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री शीतला बख्श सिंह, सहायक कर अधीक्षक, नगर निगम, लखनऊ में तैनात हैं? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कर्मचारी द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की गयी है? क्या यह भी सही है कि हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों तथा उच्च शिक्षा के प्रमाण-पत्रों में नाम एवं जन्मतिथि में भिन्नता पाई गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त की जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जाँच करायी जा रही है।

जाँच के उपरान्त प्राप्त तथ्यों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद वाराणसी, तहसील सदर के मौजा भिखारीपुर खुर्द के अपेक्स हास्पिटल के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की माँग

131-श्री हरदेव सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आराजी नं0-72 स्थित मौजा-भिखारीपुर खुर्द परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला-वाराणसी में अपेक्स हास्पिटल सहित संलग्न-5 (पांच) मकानों का नक्शा विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है? यदि नहीं, तो उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए प्रभावी निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

प्रश्नगत आराजी संख्या-72 पर निर्मित 5 में से केवल 2 भवनों का मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है।

शेष 3 भवनों के अनधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा अपने अनधिकृत निर्माण के विनियमितीकरण हेतु स्वैच्छिक शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्लाट अनधिकृत कालोनी का है। अनधिकृत कालोनी के प्लाटों में शमन का प्राविधान न होने के कारण कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है।

नियमानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर करने हेतु प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, राप्ती गोर्रा नदी के गांव विशुनपुरा में नया पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति

132-श्रीमती गौरी देवी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के उप विद्युत गृह राजधानी के क्षेत्र राप्ती गौर्रा नदी दोआब के गांव विशुनपुरा में दलित बस्ती की लाइन के तीन पोल भयंकर आंधी में एक विशाल पेड़ के लाइन पर गिरने से ध्वस्त हो गये हैं? क्या उनके स्थान पर नया पोल लगवाने हेतु श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद का पत्र दिनांक 2-9-2000 अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो अब तक गिरे तीनों पोलों के स्थान पर दलित बस्ती में पोल न लगने के क्या कारण हैं? कब तक विद्युत आपूर्ति सुचारु रुप से करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हाँ।

तत्काल पोल उपलब्ध न होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ।

दि0 3-5-2001 को पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

133-श्री सौलत अली एडवोकेट-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त शेष परिवादी को वेतन भुगतान की जानकारी

134-श्री छब्बू पटेल-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील संख्या-35/93, 39/93 एवं 47/94 में कुल कितने परिवादी हैं? इनमें से कितने को एकल बेंच के निर्णय के अनुसार निर्णय के तिथि से वेतन का भुगतान किया जा रहा है? क्या शेष परिवादी को निर्णय के अनुसार निर्णय की तिथि से वेतन का भुगतान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर निगम वाराणसी द्वारा निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों को बेचने का निर्णय

135-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निष्प्रयोज्य भूमियों सम्पत्तियों के बेचने हेतु सभी नगर निगमों को कोई शासनादेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो क्या वाराणसी नगर निगम द्वारा चालू वित्तीय

वर्ष में निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों का कोई सर्वेक्षण अथवा मूल्यांकन कराया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और किन जमीनों को बेचने का निर्णय लिया गया तथा कितने में?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी हाँ।

नगर निगम, वाराणसी द्वारा कुल 37 गाटा, जिसका क्षेत्रफल 49 एकड़ है, को निष्प्रयोज्य सम्पत्ति के रुप में चिन्हित किया गया है। इस चिन्हित निष्प्रयोज्य भूमि का मूल्य रु0 4338.00 लाख आंका गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्कचार्ज अवर अभियन्ता के वेतन एवं अन्य लाभ भुगतान सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की जानकारी

136-श्री छब्बू पटेल-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्कचार्ज अवर अभि0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0-6392/92 में दिए गये निर्णय दिनांक 22-2-94 में वाद सं0-222/92 (सन्तोष कुमार बनाम ल0वि0प्र0) के माफियों के भांति ही अवर अभि0 को नियमित अवर अभि0 का वेतन एवं अन्य लाभ देने का निर्देश दिया गया था? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

दिनांक 22-2-1994 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष अपील सं0-47/94 दायर की गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किया गया है व उक्त विशेष अपील विचाराधीन मा0 उच्च न्यायालय है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ, चौक क्षेत्र में फूल वाली गली से फुल मण्डी को हटवाने सम्बन्धी प्रकरण

137-श्री हरीश चन्द्र गंगवार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर के चौक क्षेत्र में फूलों की मण्डी बनने के बावजूद फूलों की मण्डी आज भी फूल वाली गली में दुकानों के सामने मार्ग में लग रही है जिसके कारण स्थानीय निवासियों को फूल वाली गली से आने जाने में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या फूल वाली गली में लगने वाली फूलों की मण्डी तत्काल बन्द करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

चौक क्षेत्र में फूल वाली गली को ही स्थानीय लोगों द्वारा फूल मण्डी कहा जाता है। यहां पर फूल विक्रेताओं ने पक्की दुकानें बना रखी हैं जहां से वे फूल का व्यवसाय करते हैं। आस-पास के देहाती क्षेत्रों से किसान आकर प्रात: सड़क पर फूल रखकर बेचते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर, नगर पालिका परिषद तिलहर में सफाई नायक के पद पर नियुक्ति की माँग

138-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका परिषद् तिलहर जनपद शाहजहांपुर में सफाई नायक का पद दिनांक 31-1-2001 से रिक्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पद पर नियमानुसार किसी कर्मचारी की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

इस पद को सफाई कर्मचारियों में से पात्र सफाई कर्मचारी की पदोन्नति करके भरा जायेगा।

चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पद भरा जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

139-श्री नरेन्द्र सिंह-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।)

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज के ग्राम खैतौरा में सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

140-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या अम्बेदकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम खैतौरा तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्राम खैतोरा के लिये सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी-

जी हाँ।

वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम खैतौरा तहसील लालगंज में 1.20 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग निर्माण की स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से करते हुए 0.73 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष 580 मीटर सम्पर्क मार्ग में मिट्टी व पुलिया का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 620 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने एवं चौड़ीकरण हेतु गाँव के लोगों द्वारा मिट्टी व जमीन देने पर आपत्ति की गई है जिसके कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील के निर्णयानुसार सम्मिलित परिवादी को एरियर भुगतान की जानकारी

141-श्री शेर बहादुर सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील सं0-35/93 एवं 39/93 में सम्मिलित परिवादी को एकल बेंच के निर्णय के अनुसार कुल कितना धन तथा प्रत्येक को कितना धन एरियर के रुप में फरवरी, 2001 तक वेतन के रुप में दिया गया?

श्री लाल जी टण्डन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुगलसराय, वाराणसी के नगरपालिका परिषद, रामनगर में विद्युतीकरण कराये जाने की माँग

42-श्री छब्बू पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र 240-मुगलसराय, वाराणसी के अन्तर्गत गरपालिका परिषद्, रामनगर क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा विगत वर्ष पन्द्रह ाख रु0 दिया गया था? यदि हां, तो उक्त धनराशि से किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया है? दि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण न कराने वाले अवर अभियन्ता/अधिशासी भियन्ता, वाराणसी के विरुद्ध जांच कराकर उन्हें दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

ी नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय विधायक द्वारा वर्ष 2000-2001 में रामनगर क्षेत्र में कार्यों को कराए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी तदनुसार प्राक्कलन तैयार कराया गया था। धन प्राप्त न हो सकने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

धन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: कोई भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

143-श्री छब्बू पटेल-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।)

144-श्री सुशील शाक्य-

[दिनांक 15-5-2001 को अता0प्र0सं0-179 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया, नगर पंचायत रामकोला व कप्तानगंज में सायंकाल विद्युत आपूर्ति की मांग

145-श्री राधेश्याम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत रामकोला तथा कप्तानगंज के व्यापारियों द्वारा कामर्शियल विद्युत मूल्य भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्या उन्हें सायंकाल विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त नगरों में सायंकालीन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

सायंकालीन विद्युत आपूर्ति के यथासंभव प्रयास किए जाते हैं, परन्तु विद्युत उत्पादन में कमी होने के कारण प्रणाली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए आपातकालीन कटौती करनी पड़ती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत मांग के सापेक्ष उत्पादन न होने के कारण सायंकाल पीक आवर्स में विद्युत आपूर्ति में कटौती करनी पड़ती है।

146-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।)

जनपद वाराणसी, जल संस्थान गेट के पास ध्वस्त सीवर लाइन बदलने हेतु आगणन की जानकारी

147-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में जल संस्थान गेट के पास ध्वस्त सीवर लाइन को बदलने के लिए नगर विकास अनुभाग-5 के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या-995/नौ-5-99-7 नियम/99, दिनांक 28 जुलाई, 1999 के सम्बन्ध में आगणन प्राप्त करने के उपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त गेट के पास 24 इंच व्यास की सीवर लाइन कब तक डाल दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

आगणन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी के चुरामनपुर, देना बैंक के पास 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाने की माँग

148-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में चुरामनपुर, देना बैंक के पास एक 250 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने सम्बन्धी पैकेज सं0 23/एस0आई0/बी/यू0ई0डी0सी0/99-2000 जो मुख्य अभियन्ता, वाराणसी ने अपने पत्र सं0 1927 दिनांक 21-5-99 द्वारा फाइनेन्सियल लिंकेज हेतु सदस्य (वितरण) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को भेजा था, उस पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-7-2000 निदेशक, वितरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हाँ।

वाराणसी में चुरामनपुर, देना बैंक के पास 250 केवीए का ट्रांसफार्मर मास 4/2001 में लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद महोबा के मदन ताल से पेयजल की आपूर्ति

149-श्री अरिदर्मन सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद महोबा के नगर महोबा में स्थित मदन ताल से पेयजल की आपूर्ति की जाती है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि महोबा नगर के लिए वर्ष 1995-96 में दो करोड़ 51 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के विद्या मन्दिर सहकारी आवास समिति लि0 लिटरेसी हाउस के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जाँच

150-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्या मन्दिर सहकारी आवास समिति लि0, लिटरेसी हाउस, कानपुर रोड, लखनऊ के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष के द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र प्रताप शाही, प्रबन्धक सरदार बल्लभ भाई हायर सेकेण्ड्री स्कूल दिमरा सुल्तानपुर का कोई पत्र माह फरवरी, 2001 में राज्य मंत्री, आवास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर मा0 राज्य मंत्री द्वारा क्या आदेश दिया गया है और उक्त आदेश के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

मा0 राज्य मंत्री जी ने शिकायतों की जांच तथा समिति के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही/एफ0आई0आर0 सुनिश्चित कराने के आवास आयुक्त को आदेश दिए। विद्या मन्दिर सहकारी आवास समिति कानपुर रोड लखनऊ की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के संचालकों/सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र दे दिए जाने पर, तहसीलदार

सदर जनपद लखनऊ, को प्रशासक नियुक्त किया गया एवं पत्र में दर्शित शिकायतों के सम्बन्ध में उनके स्तर से जांच करायी जा रही है, किन्तु समिति के तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा जांच में अपेक्षित सहयोग न देने एवं अभिलेख उपलब्ध में कराने के फलस्वरुप उनके विरुद्ध उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-37 के अन्तर्गत अभिलेख के अधिग्रहण करने एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी में 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

151-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के लिए स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र पट्टी का कार्य कब से शुरु कर दिया जायेगा? क्या उक्त कार्य हेतु आर0ई0सी0 अथवा पी0सी0सी0 द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रश्नगत उपकेन्द्र के निर्माण के लिए, वित्त पोषण हेतु पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि0, नई दिल्ली को एक परियोजना प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वित्तीय सहायता प्राप्त होते ही उपकेन्द्र पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

जी नहीं।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी में मा0 मुख्य मंत्री के आदेशानुसार आई0टी0आई0 भवन निर्माण की जानकारी

152-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/ वि0को0/ एम0/ 28173/ प्रतापगढ़ /99 दिनांक 5-12-99 जो आई0टी0आई0 पट्टी के भवन निर्माण हेतु था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? भवन निर्माण कराये जाने हेतु जिला योजना द्वारा वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में कितना धन स्वीकृत किया गया?

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 मुख्य मंत्री के आदेश सी0एम0/वि0को0/ एम0/ 28113/ प्रतापगढ़ /99 दिनांक 5-12-99 के सन्दर्भ में पट्टी के भवन निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

भवन निर्माण कराये जाने हेतु जिला योजना द्वारा वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र अतौली के ग्राम टोडा-कल्याणपुर में 33/11 के0वी0ए0 सब स्टेशन के निर्माण की मांग

153-श्री राजपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अतौली जनपद मुजफ्फर नगर के ग्राम टोडा-कल्याणपुर में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन के भवन का निर्माण 10 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्य पूरा होने के उपरात भी वहां पर सबस्टेशन को चालू करने हेतु कोई मशीन नहीं है? यदि हां, तो उक्त सबस्टेशन को चालू करने हेतु विद्युत मशीन कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र अतौली जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम टोडा कल्याणपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना नहीं की गई है और न ही प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण द्वितीय पारेषण के निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित है।

जनपद मुजफ्फरनगर, विकास खण्ड-शाहपुर में नये विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का प्रकरण

154-श्री राजपाल सिंह-

154-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकास खण्ड-शाहपुर जनपद-मुजफ्फरनगर में 66 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन स्वीकृत हैं? यदि हां, तो क्या उसका निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। विकास खण्ड शाहपुर में नये 66 के0वी0 उप-केन्द्र का निर्माण द्वितीय पारेषण के निर्धारित कार्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के बरदह विद्युत सब स्टेशन की ओ0सी0बी0 पुरानी मशीन बदलने की मांग

155-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद के बरदह सब-स्टेशन की ओ0सी0बी0 अत्यन्त पुरानी तथा क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत वितरण में प्राय: व्यवधान रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार बरदह सब-स्टेशन की ओ0सी0बी0 तथा अन्य पुरानी मशीनों को बदलकर नयी मशीन लगाकर विद्युत व्यवस्था में सुधार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जी हाँ।

नयी ओ0सी0बी0 लगाने हेतु प्राक्कलन बना लिया गया है जिसकी लागत रु0 12.93 लाख है धन की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक अनिवार्यता के अनुसार उपरोक्त कार्य शीघ्र सम्पन किया जायेगा। जिससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार आयेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान में की गई नियुक्तियों की रिपोर्ट की जानकारी

156-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त लखनऊ मण्डल के पत्र संख्या 1026/21 एम-129(99-2000) दिनांक 25 अगस्त, 2000 द्वारा महाप्रबन्धक लखनऊ जल संस्थान लखनऊ से लखनऊ जल संस्थान में की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी गई थी? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट आयुक्त लखनऊ मण्डल को कब भेजी गई? यदि नहीं, तो क्यों? उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

लखनऊ, जल संस्थान के पत्र संख्या-424/म0प्र0/2000-2001, दि0 31-10-2000 द्वारा भेजी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

157-श्री राम शंकर पाल-

(5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।)

जनपद महोबा में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु धनराशि आवंटन

158-श्री अरिमर्दन सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महोबा जनपद में पेयजल योजना के लिए आवंटित की गयी धनराशि की प्रथम किश्त का दुरुपयोग किए जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 10-11-98 मा0 नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? महोबा की जनता की पेयजल की भीषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए क्या उक्त योजना हेतु जो प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित की गयी है, उसका उपयोग उक्त योजना में किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? लोक महत्व की उक्त पेयजल योजना को कब तक पूरा किया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना का पूर्ण किया जाना सिंचाई विभाग से अतिरिक्त जल की माँग की पूर्ति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा?

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी में पुल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

159-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री के आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0-2/311193 दिनांक 07-02-2000 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ के मार्ग आदि के विकास कार्यों की स्वीकृति पूर्वान्चल निधि के राज्यांश से कब तक जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में से एक योजना "उसका में परैया नाले पर पुल निर्माण" के लिए रु0 7.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर, नगर पालिका परिषद नगीना के अध्यक्ष द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर चुनाव में निर्वाचित होने पर कार्यवाही की मांग

160-श्री लवकुश कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् नगीना (बिजनौर) की अध्यक्ष पद का स्थान पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित था? क्या यह सही है कि श्रीमती ताहिरा बेगम पत्नी श्री शेख खलीलूर्रहमान जो कि सामान्य जाति की है, पिछड़ी जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाकर अवैध रुप से चुनाव में निर्वाचित हो गयी है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

चुनाव याचिका दायर करने हेतु जिलाधिकारी, बिजनौर को निदेशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के मदरसा दरसगाहे आलिया इस्लामियां शरीफ के अध्यापकों/कर्मचारियों को विलम्ब से वेतन दिये जाने की जाँच

161-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दर्सगाहे आलिया इस्लामियां शरीफ नगर जिला मुरादाबाद के नियमित अध्यापकों व कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट सं0-30158/93 आदेश दिनांक 27-8-93 द्वारा प्रत्येक माह बिना विलम्ब के वेतन दिये जाने का आदेश दिया है? क्या रिट संख्या-22037/98 में दिनांक 12-8-99 को शासन द्वारा दिए गये प्रतिशपथ पत्र में मो0 सिद्दीक आदि को मान्य स्टाफ मानते हुए वेतन भुगतान की संस्तुति की गई है? क्या अन्य किसी को नियमित नहीं माना गया है? यदि हां, तो क्या नियमित स्टाफ मो0 सिद्दीक (प्र0अ0) आदि के स्थान पर अनियमित व्यक्तियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस संबंध में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा गजनफर अली खाँ-

जी हाँ।

मदरसा दर्सगाहे आलिया शरीफनगर मुरादाबाद के मो0 सिद्दीक आदि के शिकायती-पत्र पर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के जांच दल से जाँच कराकर जाँच आख्या शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं। जांचोपरांत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत वितरण मण्डल प्रथम मुरादाबाद चन्दौसी के प्रतिबन्धित ब्लाक में निजी नलकूपों के कतिपय कनेक्शनों की जाँच व कार्यवाही की माँग

162-श्री अकबर हुसैन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन, लखनऊ के पत्रांक 6240/रेस्पो/ग्रा0 दिनांक 15-10-98 के आदेशों के विपरीत विद्युत वितरण मण्डल, प्रथम, मुरादाबाद चन्दौसी के प्रतिबन्धित ब्लाक में निजी नलकूपों के कनेक्शन विलारी, डींगरपुर, बनियाखेड़ा, संभल में किन-किन व्यक्तियों को दिये गये हैं? क्या इस प्रकरण की जांच करा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

व्यक्तियों के नाम की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में रक्षित है, जिसको कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

इस प्रकरण में जांच कराई जा रही है। जाँच के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों के अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

163-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-9-2000 जो ग्राम अमरेंडी व ग्राम मसआझाला जनपद शाहजहांपुर को अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र को दिनांक 23-9-2000 को सचिव, ऊर्जा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रश्नकर्ता का पत्र ऊर्जा विभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

164-श्री अजय कुमार पोइया-

[दिनांक 4-5-2001 को अता0प्र0सं0-18 द्वारा उत्तरित]

(12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में आज की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्यसूची में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न एक लगा हुआ है जबकि नियम यह है कि अल्पसूचित तारांकित के 2 प्रश्न होने चाहिए। एक मेरा भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लगा था और इसके बारे में प्रश्न के रुप में सूचना भी मेरे पास आ गयी थी और उसका जवाब भी आ गया था तो ऐसा कौन सा नियम है, सरकार ने कौन सी अपनी कमजोरी दिखाई है कि प्रश्न को स्थगित कर दिया और वैसे भी दो प्रश्न लगने चाहिए थे एक ही लगा इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शाक्य जी, माननीय मंत्री जी ने जो दो प्रश्न लगे थे, एक प्रश्न को स्थगित करने का अनुरोध कुछ क्षण पहले किया जिसके कारण उस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया। यह पहले से परम्परा रही है कि माननीय अध्यक्ष से माननीय मंत्री जी सूचना न मिलने के कारण या किसी कारण से अनुरोध करे हैं तो उसको स्वीकार किया जाता है, इसलिये इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं आती है।

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूँ।

एस0डी0एम0 लालगंज (आजमगढ़) द्वारा आम का हरा पेड़ कटवाने तथा मकान गिरवाये जाने की सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जानकारी

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, एक व्यवस्था उन्होंने उठायी और उसके बाद आपने दूसरा विषय ले लिया तो अब कौन सी व्यवस्था आ गयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैंने एक मामला उठाया था तहसील लालगंज का और संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा था, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। मैं जानना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट कब देंगे क्योंकि लालगंज के एस0डी0एम0 ने आम के पेड़ कटवा दिये और मकान गिरवा दिया था।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दीजिए।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, नियम 300 में लिखकर दिया था मंत्री जी मे कहा था कि जवाब दे देंगे लेकिन आज तक नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाइयें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 18 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 3 सूचनाएँ स्वीकार की गई। पहली

सूचना श्री दद्दू प्रसाद की पढ़ी हुई मानी गयी, दूसरी सूचना डा0 सरजीत सिंह डंग की पढ़ी हुई मानी गयी, तीसरी सूचना श्री बनवारी लाल दोहरे की है।

श्री बनवारी लाल दोहरे-

मान्यवर, मैं इसे पढ़ देता हूँ।

(श्री दद्दू प्रसाद एवं डा0 सरजीत सिंह डंग की सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानीं गयीं तथा श्री बनवारी लाल दोहरे ने अपनी सूचना सदन में पढ़ी।)

जनपद चित्रकूट के ग्राम रैपुरा, ब्लाक मानिकपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद-

[महोदय, जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर में झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ग्राम रैपुरा बसा है। जिसकी जनसंख्या लगभग आठ हजार है। यहां गांव आस पास की छः न्याय पंचायतों की लगभग 75000 जनसंख्या का केन्द्र है। इस गांव में पुलिस थाना स्थिति है। परन्तु शिक्षण संस्थाओं की नितान्त कमी है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले गांव में मात्र प्राथमिक पाठशाला है। अभावों में पढ़कर इस गांव से लगभग 500 प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न उच्च सेवाओं में कार्यरत है। लगभग 100 व्यक्ति तो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है। परन्तु नारी शिक्षा का ग्राफ बहुत नीचे है। चूंकि 10 कि0मी0 दूर स्थित इण्टर कालेजों में छात्र तो जाकर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु छात्राओं का दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करना बिल्कुल असंभव है।

अतः क्षेत्रीय जनता की जोरदार मांग है कि ग्राम रैपुरा ब्लाक मानिकपुर में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की जाये। लगभग 75000 जनसंख्या को लाभ होगा।

अतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मंझवां स्थित क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सरजीत सिंह डंग-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर में स्थित ग्राम भौटी गहरवारी विकास खण्ड मझवां में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन लगभग नष्ट प्राय हो गया है। सभी कमरों की छतें क्षतिग्रस्त हैं। किसी कमरे में दरवाजा अथवा खिड़की शेष नहीं बची है।

पिछले 4 वर्षों से भवन के अन्दर अध्ययन-अध्यापन बंद है। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को बाध्य हैं। वर्षों ऋतु में विद्यालय बंद हो जाता है। क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई संभव नहीं है। किसी भी दिन विद्यालय का भवन गिर सकता है, जिससे छात्र-छात्रायें हताहत हो सकते हैं।

अतएवं इस विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन में प्रस्तुत करने का अवसर देने का कष्ट करें, जिससे कि इस भवन का पुनर्निर्माण शीघ्र हो सके।]

जनपद कन्नौज को फर्रुखाबाद जनपद में विलय करने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनवारी लाल दोहरे-

महोदय, वर्ष 1997 में सदन में उ0प्र0 सरकार ने कन्नौज जिला बनाये जाने की घोषणा की। तत्पश्चात जनपद कन्नौज में जिलाधिकारी कन्नौज और पुलिस अधीक्षक कन्नौज की तत्काल नियुक्ति हो गयी कोषाधिकारी की नियुक्ति हो गयी और अपर जिलाधिकारी की नियुक्ति और जिला के सभी कार्य सुचारु

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रुप से चलने लगे। इसके लगभग एक वर्ष बाद क्षेत्र डिवीजन हो गया और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हो गयी। हर प्रकार से कन्नौज जनपद पूर्णतया अपने पद पर निर्भर होकर हर दृष्टि से परिपूर्ण है। दिनांक 17.5.2001 को लखनऊ में नये जिलों के जिलाधिकारी और आयुक्त की बैठक बुलाकर बोर्ड आफ रेवन्यू के चेयरमैन ने बिना किसी प्रकार की जिलाधिकारी और कमिश्नर से बात किये एकाएक कन्नौज जनपद को समाप्त कर देने की बात कहीं। इस बात की जानकारी होने पर तुरन्त जनपद कन्नौज में मारपीट की स्थिति हो गयी और लाइन आर्डर पर संकट खड़ा हो गया है। बोर्ड आफ रेवन्यू के चेयरमैन ने जनपद कन्नौज को समाप्त करने की बात कहकर निश्चित ही जिला के जनमानस को झकझोर देने का काम किया है। ऐसे अधिकारी को जनपद समाप्त करने का कहां से अधिकार प्राप्त हो गया। कन्नौज जनपद सम्पूर्ण जनता की अर्थतया का प्रश्न खड़ा हो गया है ताकि जनता के लोगों ने बुद्धिजीवियों में समाजसेवी विभिन्न संगठनों ने जनपद कन्नौज बनाने हेतु वर्षों से धरना प्रदर्शन किये थे। जनता किसी हालत में फर्रुखाबाद में इसे विलय नहीं होने देना चाहती है। जनता कन्नौज जनपद में ही जनपद बना रहे की शासन में अपेक्षा करती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, जिनकी सूचना अस्वीकार की गई, उनके नाम हैं, श्री राम नरेश यादव तथा श्री उदय राज यादव।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 18 मई, 2001 की नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री दद्दू प्रसाद की पूर्वांचल तथा बुन्देलखंड विकास निधियों के अन्तर्गत विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के लिये निर्धारित सीमा से अधिक विकास कार्य स्वीकृत किये जाने के संबंध में है। इसी प्रकार की एक सूचना श्री आर0के0 सिंह पटेल द्वारा दिनांक 15 मई, 2001 को दी गई थी। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अत: अस्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री राम अचल राजभर की है विधायक निधि से धनराशि अवमुक्त किये जाने के बावजूद गांवों का विद्युतीकरण न किये जाने के संबंध में है, यह सूचना भी नियम-300 के अंतर्गत नहीं आती है, अत: अस्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार तथा श्री जगदम्बिका पाल की है, जो मंत्रिमंडल में व्याप्त मतभेद में उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह सूचना भी नियम-300 में नहीं आती, अत: अस्वीकृत की जाती है।

मंत्रिमण्डल में व्याप्त मतभेद के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(2) के मुताबिक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जब राज्य मंत्री किसी विभाग के खड़े होते हैं तो हम लोग आपत्ति करते हैं, या जैसे कभी संसदीय कार्य मंत्री सब विभागों के जवाब देते चले आते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं रहते तो राज्य मंत्री जवाब देते हैं तो आप कहते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहता हूँ कि राज्य मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है और वह मुख्य मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यद मंत्री जी उन्हें लालीपाप पकड़ा देते हैं। यह लोग कुछ समझते नहीं और इसी तरह विधान सभा समाप्त हो जायेगी तो [x x x x x] इस प्रकार [x x x x x] मेरे पास इसके साक्ष्य हैं, सबूत हैं। इन मंत्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन राज्य मंत्रियों की वही स्थिति है जो एक पति के रहते विधवा की हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकल दिया गया।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खेड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता जी, जो माननीय मुख्य मंत्री जी के दल में हैं, [x x x x]

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, [x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

यह कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

पाल जी, आज महत्वपूर्ण बजट है जो परस्पर सहमति बनी थी उसका पालन करें। प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस पर व्यवस्था की बात हो गयी। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

पर्यटन राज्य मंत्री द्वारा प्रथम सत्र 2001 के दूसरे मंगलवार के अता0प्रश्न संख्या-164 का उत्तर भाषण तथा इसी विषय पर दि0 15 मई, 2001 कराये गये वक्ता भाषण में परस्पर विरोधाभास होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है। यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो निदेश संख्या 165-66 के अंतर्गत अथवा विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दे सकते हैं। इसे निरस्त करता हूँ। अगली सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है यह नियम-300 में नहीं आती है अत: अस्वीकृत की जाती है।

जनपद जालौन के थाना कदौरा ग्राम मलेला निवासी सैनिक का स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री श्रीराम पाल की है। इस सूचना को मैंने नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मेरी सूचना नियम-300 में कैसे आती है, सुन तो लें....

श्री अधिष्ठाता-

कृपा करके बैठ जायें।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1)†

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं, सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1), जो भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल) में उल्लिखित सिंचाई विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं कृषि विभाग से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

नोट:- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश की तेरहवीं विधान सभा की नियम समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की नियम समिति (2000-2001) का प्रथम प्रतिवेदन, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-6 और 7 में कुछ नहीं है।

पर्यटन राज्य मंत्री से सम्बन्धित विषय की व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से पुन: उठाने का प्रयास

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, जो भी घटनाएं सदन के बाहर होती हैं उससे सदन का कोई तात्पर्य नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और अन्य मंत्री करते हैं, मान्यवर, माननीय पर्यटन राज्य मंत्री ने एक घोषणा की सदन को हम इस्तीफा दे देंगे अगर आप साबित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

व्यवस्था का प्रश्न क्या है, यह बतायें?

श्री राम औतार शाक्य-

व्यवस्था का ही प्रश्न है, उन्होंने हमको चुनौती दी।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, कोई प्रमाण लेकर आये हों, वह दे दें उसका आप परीक्षण करा लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

शाक्य जी, जो सुसंगत नियम हैं, उसके अन्तर्गत आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दुबारा इसी विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

इलेक्ट्रानिक मीडिया का संज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे एक विनम्र मार्गदर्शन तथा व्यवस्था चाहता हूँ कि आपकी पीठ से कई बार यह निर्देश दिये गये हैं, कि समाचार-पत्रों में कोई बात छपती है तो सदन संज्ञान नहीं लेगा, हम इसको शिरोधार्य करते हैं। मान्यवर, युग बदल गया है, इलेक्ट्रानिक युग आ गया है, इस विषय पर व्यवस्था चाहता हूँ कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन या तमाम चैनल हैं, अगर हम किसी साक्ष्य को देखें, बोलते हुये सुने तो वह रुबरु होता है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, क्या यह कार्यसूची में छपा है या इससे कोई सदन का कार्य विनियमित हो रहा है। कोई विषय तो हो, किस बारे में व्यवस्था चाह रहे हैं? यह तो चपलता है, जरुरत से ज्यादा नहीं उठना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ, पहले अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था होती थी कि समाचार-पत्रों का संज्ञान न लिया जाय। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रानिक युग में, इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी को बोलते सुनें, रुबरु सुने तो उस आधार पर कोई बात कहें....

(श्री अशोक यादव द्वारा बैठे-बैठे इलेक्ट्रानिक की हिन्दी पूँछने पर)

---

† छापा नहीं गया।

इलेक्ट्रानिक की हिन्दी इलेक्ट्रानिक होती है। जैसे हुकुम सिंह को हम हिन्दी और अंग्रेजी में हुकुम सिंह ही कहेंगे उनको आर्डर सिंह नहीं कहना पड़ेगा। अगर हुकुम सिंह की हिन्दी पूँछ लें तो आर्डर लायन कहना पड़ेगा। अशोक जी कहीं आपका नाम ले लिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने बहुत गम्भीरता से व्यवस्था चाही है, इलेक्ट्रानिक मीडिया में जब सामने देखते हैं, समझते हैं, उस समय कोई बात इस आधार पर कहें तो क्या उसका संज्ञान यह सदन लेगा या नहीं लेगा? अगर इस समय व्यवस्था न देना चाहें तो रुलिंग रिजर्व कर लें।

श्री अधिष्ठाता-

जो वर्तमान नियम हैं और मान्यतायें हैं, जो निदेश हैं, परम्परायें हैं उसके आधार पर यह सदन चलता है। जब तक नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा यह उन्हीं नियमों के आधार पर चलेगा।

इलेक्ट्रानिक मीडिया का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक नियम समिति कोई प्रस्ताव न करे। उसके बाद ही इस पर कुछ हो सकता है।

सदन की परम्पराओं नियमावली तथा पीठ के निर्देशों का पालन किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्न यह है कि मान्यवर, सदन आप की पीठ से दिये गये निर्देशों के आधार पर चलता है। मान्यवर, अभी आपने पीठ से व्यवस्था पर कुछ बातें कहीं हैं, बार-बार सदन की परम्पराओं का, नियमावली का और पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन न करना यह ठीक नहीं है। लेकिन मान्यवर, कुछ लोग बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाकर उसके माध्यम से अपनी बातों को कहने लगते हैं। मान्यवर, यह कहीं भी सदन के नियमों में नहीं आता है, मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई जानता नहीं है, अब यह लोग सदन में अच्छी तरह से पहचान लिये गये हैं, वह व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अव्यवस्था फैला देते हैं, जिससे सदन का समय नष्ट होता है। मान्यवर, मैं आपसे अपेक्षा करुंगा कि जिसके द्वारा यह कृत्य किया जाता है, उनको हतोत्साहित किया जाय। मान्यवर, केवल अखबारों में छपने के लिये यह हरकत की जाती है। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 18 मई, 2001 को नियम-56 के अंतर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। शलाका के आधार पर निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई:-

पहली सूचना डा0 अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह की है जो अन्तर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी के इलाहाबाद नैनी जेल से स्थानान्तरित होते समय पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के संबंध में है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है वह अत्यंत लोकमहत्व की सूचना है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, आज कार्य-स्थगन नहीं लिये जाने थे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है कि लिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठ जायें। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके संदर्भ में मैं स्पष्ट करता हूँ। सदन में यह बात नहीं आयी थी कि कार्य-स्थगन नहीं लिये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में यह सहमति बनी थी कि कार्य-स्थगन न लिया जाये तो ठीक होगा, मैंने कार्यवाही मंगवाकर देख लिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरदार जी से यह कहें कि एजेंडा का अवलोकन करें? यह 9 नम्बर पर है। डंग साहब सदन को हाईजेक करने का काम कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह मद कार्य-सूची पर है पढ़ लें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, सदन में निर्णय हुआ था कि कार्य-स्थगन नहीं लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मेरी व्यवस्था आने दीजिए, मैंने कार्यवाही दिखवा लिया है और कार्यवाही में ऐसा कुछ नहीं है कि नियम-56 नहीं लिया जायेगा। केवल माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में यह पारस्परिक सहमति नहीं बनी थी चूंकि महत्वपूर्ण बजट लिया जाना है सिंचाई का, निर्धारित हुआ था।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, तो फिर सहमति का मतलब ही क्या रह जाता?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी अनुमति दे सकते हैं उनको इस संबंध में अधिकार है। उन्होंने स्वीकार किया है उसी के अनुसार यह एजेंडें पर है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं (क्रमागत)

*कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियम 56 में दी है वह अत्यंत अविलंबनीय लोक महत्व की है। आज इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त गयी है सदन में अनेक बार यह सवाल उठाया कि कानून व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त की जाय। इसी मंगलवार को नूरबख्श जो बलूचिस्तान (पाकिस्तान) का रहने वाला है और जो भारत नेपाल के रास्ते से आकर यहां पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। यह इतना खूंखार आतंकवादी था कि इसने के कई हत्यायें की हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की गंभीरता देखिये कि यह पुलिस कस्टडी से भाग गया। इसको एस0टी0एफ0 के लोगों ने पासपोर्ट आफिस से पकड़ा था जब यह नकली पासपोर्ट बनवाने गया था। इस पर कई मुकदमें चल रहे हैं इसको गिरफ्तार करके लखनऊ में रखा गया और चूँकि इसके ऊपर हमला होने की आशंका थी इसलिये इसको नैनी इलाहाबाद को भेजा गया। यह इतना खूंखार आतंवादी था कि बैंकाक में इसने छोटा राजन पर गोली चलायी थी और इसने कुबूल किया कि दाउद के इशारे पर इसने गोली चलायी थी। इसको लखनऊ से नैनी ले जाया जा रहा था तो लालगोपाल गंज के पास गाड़ी रुकवा कर भाग गया। जैसे सिनेमा में दिखाया जाता है वैसी ही यह घटना है। इसने कचहरी से एक फोन पाकिस्तान किया और एक फोन दुबई किया तो कैसे उसको परमीशन दी गयी कि वह दुबई फोन करे या उसके साथ ही एक स्कोट क्यों लगाया जाता था। ए0डी0जी0 मिस्टर पंडित जो है उन्होंने कहा मुझे मालुम नहीं है कि वह भाग गया है। सरकार कितनी संवेदनशील है कि ऐसा खूंखार अपराधी पुलिस कस्टडी से भाग गया। मैं आग्रह करूँगा कि इस पर चर्चा करायी जाय।

डा0 अशोक बाजपेयी-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह प्रश्न देश और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अंतराष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी आपकी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया जिसको एस0टी0एफ0 ने तमाम प्रयासों के बाद पकड़ा था और जो अंर्तराष्ट्रीय माफिया है और जो बलूचिस्तान का रहने वाला था और जो देश में आतंकवाद फैलाने के लिये काम कर रहा था उसका पुलिस कस्टडी से फरार हो जाना यह किसी सरकार के लिये एक बहुत बड़े कलंक की बात है। जब यह प्रश्न उठाने का काम किया जा रहा था तो यह प्रश्न यहां न आसके इसमें व्यवधान डाला जा रहा था सरकार में हया नहीं रह गयी है। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। अभी 6 महीने पहले भारत सरकार ने तमाम अंतराष्ट्रीय माफियाओं को स्वयं ले जाकर समर्पित कर दिया था।

श्री अधिष्ठाता-

यह क्या विषय-वस्तु में आता है?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मैं इस सदन की 25 साल से सेवा कर रहा हूँ कौन सी बात विषय वस्तु से संबंधित है यह मैं जानता हूँ। मैं अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम सुरक्षा के लोगों ने मुश्किल से इसको पकड़ा था। ऐसे आतंकवादियों को पकड़ने के लिये सुरक्षाकर्मियों की जान जाती है और उनके घर की औरतें विधवा हो जाती हैं और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और सरकार की लापरवाही से ऐसे अपराधी भाग जाते हैं।

जिस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के लोगों को विदेशों में अफगानिस्तान को सौंप दिया गया वह स्थिति उत्तर प्रदेश में साजिश के तहत की गई। यह सामान्य घटना नहीं है। जब नैनी से उस आतंकवादी को यहां लाया गया यहां उसको छूट दे दी गई उसे दुबई और पाकिस्तान पी0सी0ओ0 से फोन करने दिया गया इसके बाद वह यहां से आराम से चला गया। जब सब जानते थे कि यह इतना बड़ा अपराधी है तो उसके साथ सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए, कोई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्कार्ट के साथ क्यों नहीं गए। इस तरह से राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर इतनी बड़ी लापरवाही, उदासीनता रहेगी तो प्रदेश को और देश की सुरक्षा को कोई बचा नहीं सकता। यह राष्ट्रीय शर्म का मामला है। सरकार को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और उसके लिए शर्म व्यक्त करनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस कस्टडी से इतना बड़ा देशद्रोही चला गया इसमें बड़ा तात्कालिक कोई अन्य विषय नहीं हो सकता है मैं नियम कानून में नहीं जाना चाहता लेकिन इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए आप सरकार को निर्दिष्ट करें कि उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इन्तजाम क्यों नहीं किए? उस अपराधी को सारी सुविधाएं क्यों देते गए? अगर सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं होगी तो प्रदेश के सामने गम्भीर संकट होगा मैं चाहता हूँ कि इससे बड़ा और कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रदेश की सुरक्षा और गौरव से जुड़ा है। इस तरह से अपराधी भाग गया व प्रदेश की पुलिस और देश की व्यवस्था को चकमा देकर भाग गया। अत: सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

*संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क,,पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, यह घटना कम से कम प्रशासन के लिए बहुत गम्भीर है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। निश्चित रुप से जितनी सतर्कता बरती जानी चाहिए थी उतनी सतर्कता नहीं बरती गई। यह इतना बड़ा आतंकवादी था इसके बारे में जिन पुलिस कर्मियों ने एक प्रकार से देशद्रोह का काम किया है जितनी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी वह नहीं दे पाए। इस आतंकवादी को गिरफ्तार करने में कोई कौर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सारे जनपद के पुलिस थानों को सतर्क कर दिया गया है अलग से भी प्रयास फोर्स द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो अगर उसकी लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रुप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में पुलिस फोर्स में अगर ऐसे नौजवान हैं जो ड्यूटी देते समय अपनी जान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो बलिदान करते हैं तो ऐसे नौजवान भी हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं इस देश में अगर शिराजुददौला हुए हैं तो मीरजाफर भी हुआ है। जिन पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है मुकदमा कायम करने के बाद एक को जेल भी भेजा है। निश्चित रुप से इस मामले की जांच कराई जाएगी जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जो भगोड़ा है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मैं जानना चाहता हूँ कि जो स्कार्ट लगाई गई थी उस अपराधी के साथ उसमें कौन कौन अधिकारी थे उसका इंचार्ज कौन था केवल कांस्टेबुल ही इतने बड़े अपराधी को लेकर जा रहे थे। इस काम का दायित्व जिला प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का क्यों नहीं था? मात्र दो कांस्टेबुल निलम्बित कर दिए। मैं जानना चाहता हूँ कि डी0एम0 और एस0एस0पी0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुम सिंह-

जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें एक उप निरीक्षक चन्द्र शेखर एक हेड कांस्टेबिल और चार कांस्टेबिल लेकिन अगर वे अपनी ही साजिश से भगा दे तो आप पूरी आर्मी रख लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, वह कोई साधारण अपराधी नहीं था अंतर्राष्ट्रीय खूंखार आतंकवादी था इसके लिये जिला प्रशासन जिम्मेदार है। आपने एक एस0आई0 तीन सिपाही के खिलाफ निलम्बन और एक को जेल भेज दिया तो क्या सरकार जिले के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? जांच किससे करवायेंगे और जांच रिपोर्ट सदन में रखी जायगी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो मानक के अनुरुप या एक एसआई चार कांस्टेबिल और एक हेड कांस्टेबिल उपलब्ध कराये गये। यदि उनके ऊपर आक्रमण हुआ होता तो बात और थी कि फोर्स कम थी। लेकिन चारों कांस्टेबिल हैड कांस्टेबिल एस0आई0 के रहते उसने कहा मुझे शौच जाना है उसे जाने दिया गया और वह भाग गया, इसी की जांच कराई जायगी। यह बड़ी चूंक हुई है इससे इंकार नहीं किया जा सकता। जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी, उत्तर में आ गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह घटना लखनऊ, कुण्डा, रायबरेली की नहीं इलाहाबाद की है। उसके साथ बराबर एक ही स्कार्ट लगता रहा उसमें स्कार्ट के रहते दुबई और पाकिस्तान फोन किया ऐसे नहीं भागा है वह। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से पूंछना चाहता हूँ कि जांच किससे करायेंगे और जांच रिपोर्ट सदन में रखी जायेगी या नहीं?

श्री हुकुम सिंह-

इस बारे में निर्णय शेष है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने डा0 अशोक बाजपेयी कुंवर रेवती रमण सिंह और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती। अत: मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ। अगली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अपराधी....

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अम्बिका चौधरी आप जिस आधार पर बोल रहे हैं। नियम यह है जिसकी सूचना होगी वही बोलेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पश्चिमी इलाके में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, मध्य और पूर्वी इलाके में जितनी नदियां बहती हैं उनसे नदियों के क्षेत्र में भू-कटाव की भयावह स्थिति पैदा हो गई है जिससे नदियों के क्षेत्र में बेशकीमती और उपजाऊ भूमि बर्बाद हो रही है और बह-बह कर समुद्र की तरफ जा रही है। नदियों के इस कटाव से कृषि भूमि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है और निरन्तर घटता हुआ कृषि क्षेत्रफल हम सबके लिये चिन्ता का कारण है। श्रीमन्, नदियों के बहाव से भू-कटाव हो रहा है और बड़े बड़े गहरे खार बनते जा रहे हैं जिससे वहां के जन-जीवन को खतरा पैदा हो रहा है। बुन्देलखण्ड पश्चिम में चम्बल घाघरा आदि जो नदियां बहती हैं उससे भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही है। यमुना जी से प्रतिवर्ष इटावा में 266 एकड़, आगरा में 240 एकड़ भूमि काटती जा रही है। बुन्देलखण्ड की नदियों की भी स्थिति ऐसी है वहाँ पर भी चम्बल से एक साल में 166 एकड़ और अन्य नदियों से उसी इलाके में 260 एकड़ भूमि के कटान की रफ्तार हो गई है। जिससे वहाँ पर बड़े बड़े खार बन गये हैं जो कि 5-6 सौ मीटर गहरे से कम नहीं हैं। वहां जो निवासी बसे हुए हैं, उनकी जमीन कट गई है, और नदियों में चली गयी वहाँ पर खेती की समस्या हो गयी है वे भूमिहीन हो गये हैं। वहां पर कोई कुटीर उद्योग नहीं हैं। यह भू-कटाव की स्थिति रोकी नहीं जा रही है। बाढ़ आती है तो सीमा विवाद हो जाता है। नदियों का पानी, एक जिले से दूसरे और तीसरे में भू-कटाव करता हुआ चला जाता है। आये दिन किसानों में उत्पाद अपनी भूमि को लेकर होता है। हमारा क्षेत्रफल घटता जा रहा है। एक एक नदी से प्रतिवर्ष एक जिले में 267 एकड़ भूमि का कटाव हो रहा है, खार बन गये हैं। वनस्पति की शुशकता तेजी से बढ़ रही है। कृषि क्षेत्रफल घट जाने के कारण भयानक स्थिति पैदा हो रही है। लोग भूमि हीन हो गये हैं, वहां कुटीर उद्योग हैं नहीं और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भू-कटाव की स्थिति को रोकने के लिये नई तकनीकी को अपनाने के लिये विश्वविद्यालयों ने कई शोध किये हैं। धरती के इस कैंसर को नियंत्रित करने के, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के शोध संस्थान हैं उन्होंने रिसर्च करके नई तकनीक डेवलेप की है। नदियों के कैचमेन्ट एरिया को भूमि संरक्षण की नई योजना बनाकर बचाने का प्रयोग करें तो हम सफल होंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि आगरा में भू-कटाव के शोध के लिये एक संस्थान बना है, भारत सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है। वहां से आपने कौन सा फायदा उठाया? मैं कहना चाहता हूँ कि भू-कटान को रोकने के लिये शोध की जो नई तकनीक आई है जिससे खेती का जो क्षेत्रफल घटता जा रहा है उसको रोका जा सके, उसके लिये एक हजार करोड़ रुपया की योजना बनाई जाय और उस योजना को पूरा करके युद्ध स्तर से भू-कटाव को रोकने की कार्यवाही नहीं करेंगे तो स्थिति खतरनाक हो लेगी, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, यह चिन्तनीय है। सरकार.....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

इसको रोकने में यह सक्षम नहीं हे यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है मैंने सुझाव प्रस्तुत किए हैं इस सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह-

संबंधित विभाग का बजट आने वाला है चर्चा हो जाएगी सरकार का पक्ष आ जाएगा अभी आपका भी अच्छा भाषण हुआ जो सुझाव होंगे तब और आ जाएंगे।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रघुवर दयाल वर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सूचना नियम - 56 में नहीं आती है अत: मैं इसको निरस्त करता हूँ।

(श्री श्रीराम पाल सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गई, अत: अस्वीकार हुई-श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री राजपाल सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री बिजेन्द्र आर्य, श्री वीरेन्द्र सिंह।

प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद तथा नोएडा में नकाबपोश बन्दर के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

हमने मान्यवर नियम-300 में सूचना दी थी उसको नियम-56 में अनुमति दी गई है।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण है। लोगों में आतंक व्याप्त है।

श्री अधिष्ठाता-

आपने जो सूचना दी है यह सूचना निरस्त हो गयी है। इस सूचना पर 24 तारीख को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य आया है। यह स्वीकार नहीं हुई है। अध्यक्ष जी ने इसको स्वीकार नहीं किया है।

*श्री समरपाल सिंह-

इतनी देर में तो बात हो जाती। पूरे प्रदेश के अन्दर नकाबपोश का आतंक फैला है पुलिस सैनिक और अर्धसैनिक बल की मांग कर रही है सैकड़ों लोग अस्पताल में पहुँच रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। विशेष उल्लेख के जरिए अनुमति दे रहा हूँ।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अज्ञात नकाबपोश का भय व्याप्त है। 100 से ज्यादा लोगों को वह घायल कर चुका है। नकाबपोष के आतंक के कारण लोगों ने छतों पर सोना बन्द कर दिया है रात में घरों से निकलना बन्द कर दिया है, पता नहीं नकाबपोश बन्दर क्या है? क्या अज्ञात चीज है जो खरोंच डालती है इसका हमला गाजियाबाद जिले में सबसे पहले हुआ। वहां तीन दर्जन लोगों को इसने घायल किया महिलाओं और पुरुषों को घायल किया फिर यह अदृश्य हो गया थाने में इसकी सूचना दी एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। मान्यवर, 15 मई को डासना में तीन स्थानों पर इसने हमला किया। दो महिलाओं सहित 12 लोगों को घायल किया, जो कि गम्भीर रूप से घायल है। लोग लाठी-डंडे लेकर इकट्ठे हुए, मिसलगढ़ी में एक महिला समेत पांच लोगों को घायल किया जगमोहन की छत पर तीन लोग सो रहे थे उनको खरोंच डालकर घायल कर दिया। उसके बाद लोहनी गाजियाबाद में पांच जगहों पर बारदात हुई छत पर सोते लोगों को घायल किया गया। एक जगह नकाबपोश छत पर गया वहां लोग इसको देखकर छत से कूद गए। नकाबपोश को पकड़ने में पुलिस असफल है। 50 हजार का इनाम दिल्ली पुलिस ने इस पर रखा है, पुलिस द्वारा सैनिक और अर्धसैनिक बल की मांग की गई है। लोगों में आतंक व्याप्त है। छतों पर लोगों ने सोना बन्द कर दिया है। हजारों लोग परेशान हैं लोगों में नकाबपोश का आतंक है। मोदीनगर डासना मेरठ में सभी जगह आतंक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्याप्त है। लोग लाठी-डंडे लेकर बाहर पड़े हैं यह अति लोक महत्व का प्रश्न है इसमें सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराऐं।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, कोई नकाबपोश कहता है, कोई बन्दर कहता है पता नहीं वह क्या है लेकिन सौ से ज्यादा आबादी वहाँ पर घायल हो गये हैं। वहाँ पर आतंक का माहौल है। गर्मी के महीने में लोग अपनी छतों पर, नीचे बाहर नहीं सो पा रहे हैं। मान्यवर, नोयडा, गाजियाबाद, डसना, मंसूरी तथा लोहनी में आतंक का माहौल है। नेशनल न्यूज में भी आधे घंटे की इसमें चर्चा हुई थी। मैं तो यह समझता था कि इसको देखने के बाद सरकार इसके बारे में खुद बतायेगी मगर यह सरकार खामोशी से बैठी है। उसको पता नहीं कि कौन है, कई आदमी घायल होते जा रहे हैं। पुलिस का यह मानना है कि हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं और सेना की मदद मांगी है। पड़ोसी प्रदेश से मदद मांगी है, इनाम भी रखा गया है। हमारी सरकार को नहीं मालूम कि क्या चीज है। मान्यवर, वह भी सही है कि ऊपर से गिरकर तीन लोग मरे हैं और सौ लोग घायल हैं लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार को आप निर्देशित करें कि इसमें चर्चा करायें और वक्तव्य दें कि इसमें हो क्या रहा है?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, आपने तो कहा था कि नियम-56 में नहीं लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जायें जिस समय आपका नाम पुकारा था आप नहीं थे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, कल कल की ही घटना का जिक्र कर रहा हूँ। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। दिल्ली और गाजियाबाद में इस प्रकार की घटना हो रही है यह दुर्भाग्य है। आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का माहौल है। दिल्ली और उ0प्र0 की पुलिस ज्वाइन्ट कार्म्बिंग कर रही है। उनकी एक ज्वाइन्ट टीम बनायी गयी है। मान्यवर, गाजियाबाद, डासना, लोहनी, मंसूरी, हिण्डन, नोयडा के इलाके में यह सुनिश्चित घटनाएं हो रही हैं। मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। छत से गिरकर मौत हो गयी एक महिला घायल हो गयी। आये दिन एक नकाबपोश बन्दर को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में भय व्याप्त है। सरकार की संवेदनशीलता इतनी है कि यह बन्दर को पकड़ने में सफल नहीं हो पा रही हैं। यह घटनाएं आये दिन बढ़ती जा रही हैं। यदि यह सरकार स्थिरता लाना चाहती है तो यह सरकार का दायित्व है कि आतंकवादी और षडयंत्रकारी को पकड़े। आज बच्चों के मानस पटल पर इसका असर हो रहा है। आये दिन यह घटनाएं हो रही हैं और यह पुलिस उस रहस्य का पता नहीं लगा पा रही है और उस तरीके से लोगों का जन-जीवन असुरक्षित है लोक महत्व का प्रश्न है तात्कालिक घटनायें घटित हुई हैं इस पर कार्य-स्थगन के रुप में कृपया इसे स्वीकार करने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, चूँकि माननीय पाल साहब कह रहे हैं कि वे स्वयं कल दिल्ली, गाजियाबाद गये थे तो उन्होंने तमाम क्षेत्रों का दौरा किया होगा दौरे में कोई मुलाकात हुई होगी मुझे पता नहीं है। मान्यवर, पहली बार 1 मई को नोयडा के कुछ सेक्टर में सबसे पहले बात आयी कि बंदर नाम की कोई चीज या उसे नकाबपोश कह लें कोई चीज घूम रही है। कई सेक्टर में सेक्टर 57 ब्लाक नं0 ए/6 सेक्टर 58 यहा कई गरीब लोग रहते हैं शोर मचा और एक व्यक्ति छत से कूद गया 14 तारीख को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। मान्यवर इसी तरह की एक घटना 15 मई को हुई रात्रि में शोर हुआ। इसी तरह से दादरी में 4 घटनायें 11,12,13 एवं 16 मई को हुई। मान्यवर, यह अभी तक बात सही है कि दिल्ली की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिकृत रुप से कहने की स्थिति में नहीं है, न जनता है या जो प्रभावित लोग हैं कि

वह क्या व्यक्ति है कि बंदर के आकार की कोई चीज है लोगों को चोटें भी आयी है खरोच भी आये हैं लेकिन वह कहने की स्थिति में नहीं है मान्यवर, जो कार्यवाही हमने की है अभी तक जितने भी नोयडा और दादरी के प्रभावित क्षेत्र है जहाँ लोग छत पर सोते हैं एक-एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमने बीट का इंतजाम किया है और आदेशित किया है कि रात भर चारों तरफ पेट्रोलिंग करते रहेंगे और कहीं पर शोर होगा तो वहाँ पर जायेंगे और जनता को समझायेंगे कि अनावश्यक रूप से प्रचार न करें और अगर कोई बात जानकारी में भी आती है तो कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, हाईवे पर जो गाड़ियाँ है चेतक है उनको भी सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं कि बराबर घूमते रहें हमारी सारी रात गाड़िया घूम रही है। इसके अलावा जो वहाँ पर जिम्मेदार थानाध्यक्ष और प्रभारी अधिकारी है वह गश्त कर रहे है। स्थानीय टी0वी0 के न्यूज के जो चैनल हैं और प्रेस के माध्यम से यह कहलवाया जा रहा है कि झूठी अफवाहों से लोगों को बचायें और जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी करें। मान्यवर, हमने स्थानीय अभिसूचना इकाई को सूचना एकत्रित करने में सबको लगाया है। मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि दिल्ली से लगे हुए इलाके हैं और उसको अभी तक पकड़ नहीं पाये हैं। मान्यवर, सरकार जो कर रही है वह मैंने बताया। मान्यवर, सारी लंका जल गयी थी और पकड़ नहीं पाये थे। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश है, भारत है यह वह हनुमानजी के अवतार नहीं है कि जला देंगे।

अब मान्यवर, न जाने क्या है प्रचार है, अफवाह है कि प्रचार करके आतंक फैलाने की कोई साजिश कर रहा है। आपके ज्ञान का भी हम लोग फायदा उठायेंगे आप कल वहाँ पर रहे हैं। कृपया कार्य-स्थगन के रूप में इसको अस्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री समरपाल सिंह-

अगर कोई सजिश है, षडयंत्र है तो यह गम्भीर मामला है सरकार इसको हल्के तरीके से ले रही है कि बंदर की तरह के किसी व्यक्ति का कोई सुनियोजित षड्यंत्र है।

श्री हुकुम सिंह-

जो वहाँ पर कल खुद गये थे वे ही नहीं पता लगा पाये।

श्री जगदम्बिका पाल-

अगर सरकार हमारे बल पर ही जानना चाहती है तो क्या कहें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

24 तारीख को सरकार का वक्तव्य इस पर आ रहा है। तब कुछ न कुछ निकल आये।

श्री समरपाल सिंह-

लोनी में वारदात हुई है लोनी में भी कृपया कुछ व्यवस्था करा दें।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं मद संख्या 10 लेता हूँ वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की माँगों पर चर्चा और मतदान।

(श्री ओम प्रकाश सिंह के लोक निर्माण मंत्री के खड़े होने पर सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा एवं लोकनिर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93- सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,37,65,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 10,48,11,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, प्रदेश के लिए सिंचाई की व्यवस्था कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसानों की समृद्धि के लिए और खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता के लिए इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जो इस समय प्रति हेक्टेयर उत्पादन है 1,7 टन उसको 20 वर्ष की कल्पना लेकर चलें, योजना लेकर चलें तो इसको बढ़ाकर 630 लाख टन खाद्यान्न जुटाना पड़ेगा क्योंकि 20 साल बाद आज की जो आबादी की दर है उसके अनुसार सम्भावना है कि प्रदेश की आबादी 27 करोड़ हो जायेगी और उसके लिए 630 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता पड़गी। अर्थात आज के उत्पादन की दर है वह 1.7 है इससे बढ़ाकर 3.4 टन प्रति हेक्टेयर करना होगा और इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से फसलों का, खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसकी सिंचाई की व्यवस्था को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखकर विभाग ने अपनी सारी योजनाये बनायी है, प्राथमिकता तय किया है क्योंकि केवल सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि कृषि क्षेत्र जिस तरह से प्रभावित हो रहा है जो जल जमाव है, जो बाढ़ है उनको भी रोकना पड़ेगा उससे भी कृषि क्षेत्र को बचाना पड़ेगा। इसलिए हमने जो प्राथमिकता तय की है नीति निर्धारित किया है उसमें सर्वप्रथम निर्माणाधीन जो परियोजनाये हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना, उपलब्ध जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करना, सिंचन क्षमता के सृजन में क्षेत्रीय संतुलन को कायम करना, सिंचाई साधनों की व्यवस्था कर सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग करना, पांचवाँ है सिंचाई साधनों का आधुनिकीकरण, छठां है जल भराव की समस्या का निदान जलोत्सारण का कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा।

मान्यवर, यह नवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है लेकिन पीछे के वर्षो में जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने इसके साथ कितना खिलवाड़, शब्द नहीं प्रयोग करूंगा लेकिन लापरवाही और उपेक्षा कहूंगा इससे सिद्ध हो जायेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गयी तो उत्तर प्रदेश में 25.35 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3.30 लाख हेक्टेयर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2.71 लाख हेक्टेयर तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3.50 लाख हेक्टेयर, चौथी पंचवर्षीय योजना में 4,73 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता मात्र सृजित हुई केवल पांचवी पंचवर्षीय योजना में 11.17 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता 5 वर्ष में सृजित की गयी। लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति आ गई और छठी पंचवर्षीय योजना में, जो 80-85 की थी, में मात्र 6.21 लाख हेक्टेयर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 4.43, आठवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 2.54 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई। आबादी बढ़ती गई, उस हिसाब से खाद्यान्न के लिये सिंचन क्षमता में और तेज गति से काम होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह पहली सरकार है, जिसने पिछले 18-20-25 साल से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर, वित्तीय संसाधनों की कमी होने के बावजूद बाह्य एजेन्सियों से पैसा लेकर, उन 29 परियोजनाओं में से 18 को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया और यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले 4 साल में इनमें से 13 परियोजनाओं को मार्च के महीने तक पूर्ण कर लिया गया और यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश में 15

लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना तक इतनी सिंचन क्षमता सृजित नहीं हुई, जितनी इन 4 वर्ष में सृजित हुई है। यह पहला वर्ष है, जिसमें 5 परियोजनायें जो शेष हैं, उन्हें भी पूरा किया जायेगा। इस प्रकार अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने के मामले में इस सरकार ने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। किसान के प्रति, जनता के प्रति, इस प्रदेश के भविष्य के प्रति सही अर्थ में, ईमानदारी से जिम्मेदारी को इस सरकार ने निभाया है। सिंचाई विभाग के प्रति, सिंचाई व्यवस्था में जो सुधार का जो दायित्व था, जो प्राथमिकता है, यह उसका प्रमाण है।

मान्यवर, अगर देखें तो कितना बड़ा अन्याय जनता के साथ हुआ, संसाधनों के साथ हुआ है। पॉचवी पंचवर्षीय योजना के समय से जो परियोजनायें लम्बित थीं, जिन्हें 5-6-7 वर्ष में पूरा हो जाना था, ऐसी परियोजनायें 1997 तक अधूरी पड़ी थीं, इससे कितनी बड़ी आर्थिक क्षति हुई है पूर्व सरकारों की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी के कार्यो से। नवीं पंचवर्षीय योजना में 29 परियोजनायें लम्बित थीं, इनकी कुल प्रारम्भिक लागत 1,110.21 करोड़ थी, आज यह लागत बढ़कर 8,778.90 करोड़ हो गई। यह जब दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होगीं, तब इनकी लागत और बढ़ जायेगी, इस प्रकार 8 गुना लागत बढ़ गई। निश्चित रूप से यह नियोजन की कमी का परिणाम है। जो 13 परियोजनायें पूर्ण कर दी गई हैं, उनकी प्रारम्भिक लागत 309.79 करोड़ थी और आज इनकी लागत बढ़कर 2886.76 करोड़ हो गई है। इसमें केवल लापरवाही ही नहीं हुई है, बल्कि इससे सिंचन क्षमता भी प्रभावित हुई है और खाद्यान्न का उतपादन ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है। जो 25 सालों तक सरकारों ने अन्याय किया और ध्यान नहीं दिया। अब सन् 2002 तक हम इन 5 परियोजनाओं को पूर्ण करेगें। इन पॉच परियोजनाओं की प्रारम्भिक लागत 333.13 करोड़ थी और आज यह बढ़कर इसका प्राक्कलन 1263.87 करोड़ हो गया है यानि कई-कई गुना लागत बढ़ गयी लेकिन इस सरकार ने संकल्प लिया है कि हम इन परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। धन की कमी धन का संकट इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के रास्ते में बाधक नहीं बनेगा। हमने 13 परियोजनाओं को चार साल में पूरा किया जो 25 साल में नहीं पूरी हो पायी थी और इस साल पाँच और परियोजनाओं को पूरा करके लगभग 2 लाख हेक्टेयर और अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित की जायेगी। यह किसानों और प्रदेश की जनता के प्रति और भविष्य के नियोजन के प्रति समर्पित दृष्टिकोण का परिचायक है। जो 7 और परियोजनाएं हैं जहां पर काम शुरु हो रहा है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी, उन पर तेजी से काम किया जा रहा है लेकिन एक और कमी इस प्रदेश में आयी है जिससे आप और आपका क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, इन सिंचाई की परियोजनाओं को बनाते समय क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया, परिणाम क्या हुआ कि सिंचाई के क्षेत्र में भी क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया, असमानता पैदा हो गयी और उसका परिणाम सीधे-सीधे समाज की आर्थिक स्थिति पर परिलक्षित होता है।

मान्यवर, बुदेलखण्ड में जो कृषि योग्य भूमि है, उसका केवल 34 प्रतिशत ही सिंचित है, पूर्वी क्षेत्र में 59 प्रतिशत सिंचित है, मध्य क्षेत्र में 67 प्रतिशत सिंचित है और पश्चिमी क्षेत्र में 84 प्रतिशत सिंचित है। हर क्षेत्र में सिंचाई बढ़नी चाहिए, अधिक से अधिक हो, जहाँ बढ़ी हुई है, खुशी की बात है, लेकिन कष्ट का विषय, दुख का विषय यह है कि जो क्षेत्र असिंचित रह गये हैं, पिछड़ गये हैं और आप देखें जैसी जहॉ की सिंचाई है वैसी वहॉ की आर्थिक स्थिति है, सामाजिक रहन-सहन है, घर की सम्पन्नता है। इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना भी इस सरकार ने अपना कर्तव्य समझा है और उसके अनुसार ही प्लानिंग हो रही है। बुन्देलखण्ड में सिंचाई सुविधा कम है, इसे बढ़ाने के लिए इस वर्ष 31 नई परियोजनाओं पर कार्य शुरु किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 31 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। इन पर 114.64 करोड़ रुपया खर्च होगा और इससे 25473 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा होगी। मान्यवर, चेक डैम बनाने की परिकल्पना पहली बार इस सरकार ने किया है। छोटी-छोटी परियोजनाओं के माध्यम से भी हम सिंचाई क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। पहाड़ से जो पानी आता है उसको छोटे-छोटे चेक डैम बनाकर 1-1,2-2 किलोमीटर पर नहरें निकाल कर सिंचाई क्षमता को बढ़ायेंगे। ऐसे 11 चेक डैम पर निर्माण कार्य शुरु हो गया है। औगौसी पम्प का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में बहुत सारे जलाशय चन्देला राज के समय बने हुए थे जो अब छिन्न-भिन्न हो गये हैं, उससे सिंचाई नहीं होती है लेकिन इस सरकार ने यह निर्णय किया कि हम उन सभी जलाशयों का पुनरोद्धार करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे और उन्हें फिर सिंचाई योग्य बनायेंगे। ऐसे 15 जलाशयों का निर्माण कार्य अभी इसी महीने शुरु किया गया है और इस तरह से 31 योजनाओं पर कुल मिलाकरके काम शुरु होगा। नए जलाशयों पर हमारी विस्तारीकरण की योजना है इसमें झाँसी में बरुआसागर, तैन्दुल टैंक, बड़वार झील, लडवार झील, घिसौली झील और मानपुरा इसी प्रकार ललितपुर में पाली टेंक, कल्याणपुरा टेंक, बैट तालाब, महोबा में-सालारपुर तालाब, मदन सागर, कीरत सागर, थाना टेंक और रैपुरा टेंक और चित्रकूट में पनहाई टेंक को लिया गया है। ये नए कार्य शुरु किए गये हैं। पिछली बार जब मैंने बजट पेश किया था तो कहा गया था कि आप कोई नए काम नहं शुरु कर रहे हैं। मैंने कहा कि नये कार्य पर पत्थर लगाने के लिए नया काम मनमाने ढंग से शुरु कर दें, पूरा न करें और जो चल रहे हैं वह भी अधूरे रहें, यह हमारी नीति नहीं है जब हम उनको पूर्ण करने की स्थिति में आ जायेंगे तब नया कार्य शुरु करेंगे। 13 परियोजनाओं को पूर्ण करने के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, 10वीं पंचवर्षीय योजना की पूरी प्लानिंग कर देंगे जिससे 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरु हो तो एक साल प्लानिंग में न जाय। उसी के अन्तर्गत यह काम शुरु कर दिया है क्योंकि प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जिस पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है उस पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। बुन्देलखण्ड में 31 नई परियोजनायें इस साल शुरु हो रही हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई की क्षमता कम है, यहां भी 4 परियोजनायें प्रारम्भ करने जा रहे हैं। जो चल रही थी उसको रि-मॉडलिंग करेंगे, ये हैं-जमानियां, भुकरौल, नरायनपुर और यमुना पम्प नहर। पम्प नहर जिनकी आयु कम हो गयी है, उनको रि-मॉडलिंग करने का काम लिया गया है। हम इसको 'नाबार्ड' से पोषित कराकर इनका पुनरुद्धार करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे और इस पर 132.26 करोड़ रूपया खर्च होगा और इससे 22,690 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी। इसी के साथ मैं माननीय सदन को यह बतलाना चाहूँगा कि "शारदा सहायक नहर" बहुत सालों से बना रहे थे, पिछले बजट में कहा था कि वर्ष 2000 तक पूरा कर देंगे। अब प्रदेश के किसानों के लिए, शारदा सहायक क्षेत्र के किसानों को गर्मी में भी पानी मिलेंगा। शारदा सहायक पहले मई व जून में बंद होती थी अब वह कभी बन्द नहीं होगी और बारहों महीने किसान को पानी देंगे, किसान अब तीसरी फसल उगाये और अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाये। इसी तरह से सरयू नहर पर काम तेजी से हो रहा है। सरकार की दृष्टि को देखिये जिन-जिन क्षेत्रों में सिंचाई के कारण से किसानों की समृद्धि एक तरह से अवरुद्ध हो गयी है, उन-उन क्षेत्रों को चयनित किया। सोनभद्र में कनहल परियोजना है। सभी जानते हैं कि कनहल परियोजना के लिए इस बार बजट में प्राविधान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त कर ली गयी है, पड़ोस की बिहार सरकार पिछले 3 साल से प्रयास करने के बाद सहमति नहीं दे रही थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वह लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे तो दूसरा लाभ न उठाने पाये, मनुष्य का ईर्ष्यालु स्वभाव होता है, उससे प्रभावित होकर और यह सोचकर कि बिहार समृद्धि की ओर नहीं जा रहा है, हम भी समृद्धि की ओर न जाय उन्होंने सहमति नहीं दी। परन्तु उत्तर प्रदेश के भाग्य से बिहार बँट गया झारखंड राज्य अलग हो गया। झारखण्ड से बात हो गयी है वह सहमति देने पर तैयार हो गये हैं और इस महीने वार्ता हो जायेगी और कनहल पर सहमति मिल जाने के बाद जून से काम शुरु कर देंगे या अगले कुछ महीनों में काम शुरु कर देंगे। इससे 108 गाँव लाभान्वित होंगे।

इसी तरह से वाण सागर परियोजना है। आपको जानकर खुशी होगी। वाण सागर परियोजना भारत की सबसे अनोखी परियोजना है 70 किलोमीटर पहाड़ काटकर बनायी गयी है और ढाई कि0मी0 टनल बना रहे हैं। भारत में किसी जगह ढ़ाई कि0मी0 टनल नहीं है। 70 कि0मी0 पहाड़ के किनारे-किनारे नहर बना रहे हैं। मान्यवर, हमने बाणसागर परियोजना को 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है और पिछले साल इस पर काम शुरु किया जा चुका है वरना कई सालों से यह काम बन्द पड़ा था। मान्यवर, इसके लिए हम पहाड़ों को काटकर इसके द्वारा मध्यप्रदेश, मिर्जापुर, इलाहाबाद को पानी देंगे, इसके द्वारा

अब तक जो किसान पानी को तरसते थे, हमने उनको पानी का अवसर प्रदान कराकर किसानों की निराश को समाप्त किया है इससे अब उन दुरुह क्षेत्रों के किसानों को भी पानी के अवसर उपलब्ध कराया है जिन क्षेत्रों में अब तक पानी की घोर समस्या थी।

मान्यवर, सरयू नहर परियोजना पर भी हमने काम शुरु किया है जिस पर ठीक से काम नहीं शुर हो पाया था। इस परियोजना का शुभारम्भ 1977 में हुआ था। जिसके लिए 299 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था जिससे अभी मान्यवर, 10 हेक्टेयर क्षेत्र की भी सिंचाई नहीं हो रही थी गलत नियोजन के कारण। तो मान्यवर, इसके लिए इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। इसकी मानीटरिंग के लिए हमने सचिव को लगाया है और जमीन के लिए संबंधित डी0एम0 को हर माह बात करने के निर्देश दिये हैं ताकि जमीन प्राप्त हो सके। 713 कि0मी0 नहरों का निर्माण किया जा चुका है, 1483 रजबहों का और 1210 कि0मी0 ड्रेनों का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका हे जिससे सिंचाई सुविधा शुरु हो गयी है। हालांकि अब तक संसाधनो की कमी थी, और बजट में भी इसके लिये कोई अलग प्राविधान नहीं किया गया है लेकिन फिर भी संसाधन की कमी नहीं है, इस योजना को पूर्ण करने के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है. हमने इसके लिए ए0आई0डी0पी0 से ऋण लिया है, बार्डर ऐरिया डपेलपमेंट एजेंसी से ग्रांट ली है और केन्द्र द्वारा पूर्वनिर्धारित योजनाओं द्वारा इस काम को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त किया है। 1997 से पहले हम, नाबार्ड से 45-46 करोड़ रुपये से अधिक ऋण नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि इनको पूरा करने की किसी की नीयत नहीं थी इसलिए पैसों की कोई व्यंवस्था नहीं करते हैं लेकिन अब हमने इसको पूर्ण करने के 397 करोड़ रुपये 1999 में, 2000-2001 में 559 करोड़ रुपये, 2001-2002 के लिए हमने 600 करोड़ रुपये लेने की योजना बनाई है। हम इस परियोजना द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्ण रुप से संकल्पबद्ध हैं, और इसके लिए हमें पैसे मिल रहें हैं।

मान्यवर, हम आन्ध्र प्रदेश की बात करते हैं, आन्धप्रदेश और कर्नाटक ने जितना पैसा केन्द्रीय सरकार की एजेंसी से लिया है उतना पैसा हम नहीं ले पा रहे है, हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, अधिक पैसा मिले। मान्यवर, हम स्वीकार करते हैं कि जो 50-100 साल पुरानी नहरें हैं, उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया इसका परिणाम हुआ कि आगरा, मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा, कानपुर देहात, इलाहाबाद, फतेहपुर यह ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी मुख्य नहरों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह टेल के जिले हैं। चाहे नहर का टेल हो या परिवार के टेल। कोई व्यक्ति हो चाहे कोई भोजन की पंक्ति की टेल पर हो उसको उस मात्रा में नहीं मिला करता है जितना पहले वाले को। इसीलिये जो जिले टेल पर है वहाँ उतनी सिंचाई नहीं हो पाती है। हम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, आगरा नहर का आधुनिकीकरण का प्लान बनाया है, स्वीकार हो गया है 2-3 महीनें के अन्दर काम शुरु हो जायेगा। इस समय आगरा नहर की क्षमता 2100 क्यूसेक है इसको 4100 क्यूसेक करने के लिए प्लान भी बना दिया गया है। प्लान स्वीकार हो गया है केवल धन की स्वीकृति होनी बाकी है। आगरा और मथुरा जिलों में पानी की समस्या खत्म हो जायेगी और यह संकट साल डेढ़ साल बाद नहीं रह जायेगा।

इसी तरह से पूर्वी यमुना नहर में पानी नहीं है इसके दो कारण है एक तो यमुना में पानी कम आ रहा है दूसरे दिल्ली बहुत अधिक पानी ले रही है। 381 क्यूसेक दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 1300 पानी ले रही है और हम अपना हिस्सा काटकर दिल्ली को पानी दे रहे हैं और यमुना में न्यूनतम पर्यावरण के लिए पानी रखने के बावजूद भी हम अपना हिस्सा काटकर दे रहे हैं। लेकिन यमुना नदी को जिस तरह से दिल्ली प्रदूषित कर रही है और उसका पानी हाथ धोने लायक नहीं रह गया है। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यमुना नाला बनकर रह जायेगी। जो ओखला बैराज है उसके आगे से जो पानी आता है उसमें दिल्ली की गंदगी आती है। हमारी जो धार्मिक आस्था है, सांस्कृतिक धरोहर है यह प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे और वह प्रयास करें जिस रूप में उचित समझे दिल्ली के ऊपर दबाव बनायें कि यमुना को और गंदी न करें। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में इस साल पानी नहीं मिला। खराब मौसम के कारण बर्फ कम पिघली जिससे पानी कम आया और पूर्वी यमुना नहर में पानी नहीं मिल पाया, लेकिन हम निराश नहीं है। हथनी कुण्ड बैराज का कार्य शुरु है, लगभग पूरा हो गया है और अगले खरीफ या रबी से हम हथनी कुण्ड से सीधे पानी लेने लगेंगे और हमें ताजे वाला, हरियाणा से मुक्ति मिल जायेगी। हरियाणा से पहले हम इसी जून में टनल तैयार कर लेंगे और हथनी कुण्ड में पानी लाने में सक्षम हो जायेंगे। इसलिए मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के किसानों

ा राम गंगा के टेल पर अगली फसल में कष्ट नहीं होगा। फतेहपुर, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद है, न्यवर, इसी तरह से वहाँ भी वही हाल है हमने निर्णय किया है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। ागनीपुर के ब्रांच, आगरा ब्रांच के लिए नाबार्ड से पैसा लेकर, 42 करोड़ की योजना बनाकर भेजी है। पैसा लने पर इस क्षेत्र की सारी नहरों का आधुनिकीकरण हो जायेगी और टेल क्षेत्र तक पानी मिलेगा। न्यवर, इसी तरह से अलीगढ़ नहर में पानी नहीं आ रहा है। इसकी रिमाडलिंग के लिए 1.98 करोड़ स्ताव भेजा है। नाबार्ड ने पैसा देने का आश्वासन दिया है पैसा मिलते ही कार्य शुरु करायेंगे और अलीगढ़ ुरा को पानी मिल सकेगा। इसी तरह से शारदा नहर से उन्नाव, हरदोई, रायबरेली प्रभावित हैं। इसकी माडलिंग का कार्यक्रम 3.5 करोड़ का बनाया है और पैसा ले रहे हैं। इस जिलों को जितना पानी चाहिये ह नहीं पहुंच रहा है। मान्यवर, हमारा ध्यान इस ओर भी है कि व्यवस्था मे जो कमियां है उनको दूर किया ाय। जिन नहरों में पानी नहीं पहुंचा है उनकी सफाई और रजबहों की सफाई करने पर ध्यान दिया है। यह ली सरकार है जिसने सभी माननीय सदस्यों को नहरों की सफाई के संबंध में सूची उपलब्ध कराई है र इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग मिला है। इस साल लगभग 28 हजार किलोमीटर नहरों की सफाई ी है। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुयी है लेकिन जहां कहीं शिकायत आयी है उस पर ार्यवाही की गयी है। जिस प्रकार से इस बार नहरों की सफाई हुयी है वैसी कभी नहीं हुयी। यह माननीय दस्यों के सहयोग का परिणाम है। माइनरों की सफाई कर देने से ही केवल काम नहीं चलेगा जो रजबहें हैं की सफाई होनी चाहिये यह पहली सरकार है जिसने रजबहों की सफाई करवायी है। इस साल 6 हजार लोमीटर रजबहों की सफाई करवायी है और 16 हजार कि0मी0 रजबहों की सफाई का लक्ष्य रखा गया हम दो तीन चरणों में रजबहों की सफाई का काम करेंगे ताकि टेल तक पानी पहुंच सके।

मान्यवर, जहां पर पानी खेती के लिये आवश्यक है वहीं पर जलजमाव के कारण भी कृषि भूमि ावित होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुख्य ड्रेनों की सफाई नहीं होती है। पिछले 50-60 सालों मुख्य ड्रेनों की सफाई नहीं हुयी है। पिछली सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हमने इस ओर ध्यान या है हम जो भूमि जलमग्न हो जाती है उसको जलजमाव से मुक्त करेंगे। पिछले साल पहली बार यह रकार ने निर्णय लिया है कि प्रति वर्ष 1 हजार किलोमीटर मुख्य ड्रेनों की सफाई की जायेगी। मुख्य ड्रेन 7 ार किलोमीटर हैं। 1120 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जलजमाव होता है। जलजमाव की भूमि को सुधारा जायेगा कि वहां के किसान दोनों फसलें ले सकें। 1 हजार के लक्ष्य के विपरीत 1999-2000 में 1300 ड्रेनों की ाई की गयी है और 2001-2002 में 1136 ड्रेनों की सफाई का लक्ष्य रखा गया है। मैंने पिछले वर्ष ्रनऊ में खुद तीन ट्रंक ड्रेन का निरीक्षण किया था अखबारों में छपा था हमारी गाड़ी उसमें इतनी तेजी से रही थी कि सड़कों पर उतनी तेजी से नहीं चल सकती। जहाँ-जहाँ ट्रंक ड्रेन बनी वह क्षेत्र जल जमाव मुक्त हो गए वहाँ दो फसलें ले रहे हैं व खुशहाली आ रही है। 2.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 1999-2000 में जमाव से मुक्त किया व 2.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जून तक मुक्त कराया है। यह हमारी नीति की मिकता है। बाढ़ के बिना बात पूरी नहीं होगी क्योंकि बाढ़ का मौसम पास आ रहा है। बाढ़ की सुरक्षा के ए जितना कार्य होना चाहिए था जिस गति से वह नहीं हो पा रहा है। 73.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से ावित है उसमें से 58.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा हैं जो बांध बनाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में अभी तक 15.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही सुरक्षित किया जा सका है। बाढ़ से पूरे क्षेत्र सुरक्षा अभी तक नहीं की जा सकी है। लेकिन हमारा प्रयास है कि चाहे जहां से पैसा मिले हम उसे कर इस कार्य को करना चाहते हैं। पिछले साल 80.91 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए इस बार 6.61 करोड़ रुपये बाढ़ सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं।

मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि केन्द्र सरकार ने 23 करोड़ रुपए बाढ़ सुरक्षा लिए अनुदान स्वीकार किया है इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और केन्द्र सरकार का आभारी हूँ। उन्होंने की जनता की बाढ़ से प्रभावित होने की पीड़ा को समझा है। उनहोंने यह सहायता दी है। इतना ही नहीं ी बार यह किया जा रहा है कि 318 बंधों को किस स्थान पर सुरक्षित करना है किस कि0मी0 से किस ोमीटर तक सुरक्षित करना है व इसके लिए कितनी धनराशि लगेगी यह निश्चित कर लेंगे इस काम में र्शिता हो यह भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हर माननीय सदस्य को कार्यो के चयन की सूची दे दी है कहां कहां इस संबंध में कार्य होने हैं वह भी देखते रहें। यह पहली बार किया गया है। धन के आवंटन स्थिति भी माननीय सदस्यों को बतायेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक समस्या है। नेपाल से वहां पानी आता

है व पानी जब नेपाल से आ जाता है क्षेत्र में आ जाता है तब लोगों को पता चलता है तब शासन को पता चलता है। इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किया गया केन्द्र सरकार के सहयोग से यह पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार व नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति बनी है।

बाढ़ पूर्वानुमान समिति गठित की है 'कमेटी आन फ्लड फोरकास्टिंग' नेपाल से पानी जब चलेगा तब जिले के अधिकारियों को पता चल जाएगा नेपाल से बता दिया जाएगा कि इतना पानी जा रहा है इतनी रफ्तार से जा रहा है जिससे सावधानी बरतने में आसानी हो जाएगी व जनजीवन की सुरक्षा हो जाएगी। यह प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के प्रयास का परिणाम है। यह भी शिकायत मिलती थी कि नदी बंधो के विपरीत रुख करके गांव के गांव काट देती थी ऐसा बार बार होता था इस सम्बंध में निर्देश दिया गया है कि जहॉ पर ऐसे स्थान है वहां तत्काल रेगुलेटर डिजाइन करके दें व जहाँ जहाँ पानी की निकास की आवश्यकता होगी वहाँ रेगुलेटर बनायेंगे।

मान्यवर, एक और हमने विशेष निर्णय किया है जिसकी मॉग बहुत समय पहले से चली आ रही थी। नदियों में कटान की सुरक्षा अब टुकड़ों में नहीं की जायेगी। अभी जब मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने गया तो वहॉ पता चला कि हरियाणा में नदी को पक्का कर दिया है तो मैंने भी इसका फैसला किया यमुना नदी पर 27 स्थानों पर पक्का कार्य हो रहा है और अब निर्णय किया है कि पूरी नदी के कटान को एक साथ प्रोजेक्ट बनाकर पक्का कर दिया जायगा जिससे पूरी नदी एक साथ कटान मुक्त हो जायेगी, जिसमें कि 91 स्थानों पर काम होना है और 55 करोड़ का प्रोजेक्ट नाबार्ड को इसके लिए भेजा जा रहा है, इसी तरह से घाघरा का परीक्षण करने के लिए भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रोजेक्ट अभी से तैयार कर लिया गया है जिसमें कि जल को एकत्र करके अतिरिक्त सिंचाई देनेवाली योजना होगी। इसके चार तरह के कार्य चिन्हित हो रहे हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते ही हम इसको लागू कर देंगे इसीलिए तैयारी पहले से की जा रही है। हम जितने भी पुराने बंधे हैं चाहे वह सिद्धार्थ नगर के हों बनवानपुर या झांसी के और चाहे वह मुगल काल के हों या जमींदारीकाल के इन सभी बन्धों का आधुनीकीकरण करके इसमें पानी इकट्ठा करने का कार्य किया जायेगा। पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में चेक डेम बनायेंगे जिससे 1,2 और तीन किलोमीटर में पानी इकट्ठा करके सिंचाई की जा सकेगी। बहुत सी नदियॉ बरसात में चलती है उसके बाद सूख जाती है उसमें विचार बनायेंगे। मथुरा में यह परीक्षण होने लगा है वहॉ पर रेगुलेटर लगाया जायगा और पानी को रोक कर 3,4,5 फिट पानी हर समय उपलब्ध रहेगा और इसके अलावा जो गिरता भूजलस्तर है उसमें भी कमी आयेगी इसके साथ ही किसान पम्प लगाकर पानी खींच कर सूखे खेतों में डाल सकेगा। ड्रेन में भी रेगुलेटर की व्यवस्था करेंगे।

इस तरह से चार तरीको से जल को रोकने का कार्य करेंगे इसके लिए और भी अध्ययन कृषि व अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है। परीक्षण कार्य भी चल रहा है। हम जल संचय करके किसान को लाभ पहुँचायेंगे जिससे सिंचाई सुविधा बनी रहे और भी बहुत सारी बाते हैं जिनको मैं बाद में कह दूंगा। अब हम किसानों को भी साझेदार बनाने जा रहे हैं जल प्रबन्धन व्यवस्था में 8293 समितियां बन चुकी हैं हर माइनर के ऊपर। इस क्षेत्र में आने वाले गॉव के दो-दो लोग एक जल प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष और उप प्रधान उसका उपाध्यक्ष होगा। एक अनुसूचित जाति के होंगे और दो बहुत गरीब किसान होंगे वे उसमें होंगे। ऐसे लोगों की समितियां बनाई गई हैं। इस समितियों के सहयोग से ही अब रजबाहे भी बनेंगे, बन्धों की मरम्मत का कार्य होगा, उनकी सफाई का कार्य होगा। इसी तरह से रजवाहा समितियां भी बनाई है जो लाभार्थी हैं, सही अर्थ में, वह प्रशासन के साथ जुटकर प्रशासन और किसान दोनों मिलकर सिंचाई व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस सारे कामों को करने में जो सफलता मिली है उसमें पारदर्शिता है। सभी लोग जानते हैं कि हमने एक्स0इ0एन0 को जो पैसा दिया उसकी चर्चा की। इसके पहले किसी सरकार ने आज तक एक्स0इ0एन0 को जो पैसा दिया उसकी जानकारी कभी भी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी। हमने पहली बार यह पारदर्शिता का व्यावहारिक कदम उठाया है। नहरों की

सफाई, ड्रेनों की सफाई, बन्धों की मरम्मत का कार्य शुरु होने से पहले ही उसका ब्यौरा दे दिया। पारदर्शिता नीयत में ही नहीं व्यवहार में इस तरह से क्रियान्वित करके दिखाई है। ऐसा तो नहीं है कि कदाचार नहीं है, गलत लोग नहीं हैं, लापरवाह लोग नहीं हैं, निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोग नहीं हैं। हमने इन पर भी अंकुश लगाया है। इसीलिये सिंचाई विभाग में 170 पत्रावलियां शेष रह गई हैं। 1997 में 1092 पत्रावलियां थीं, उनका निस्तारण तेज गति से किया गया और अब 170 पत्रावलियां शेष रह गई हैं। कहते हुए दु:ख होता है कि इसके लिये हमें 772 अधिकारियों को दंडित करना पड़ा, व्यवस्था में सुधार करने के लिये, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्योंकि "अच्छे को प्रोत्साहन और गलत को दंड" इस नीति से जब प्रशासन चलता है मान्यवर, तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त होता है। मेरा विश्वास है कि कोई भी प्रशासन ऐसा नहीं जो सुधारा नहीं जा सकता, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं जो काम नहीं करना चाहता है। अधिकांश अधिकारी काम करना चाहते हैं। स्पष्ट दिशा, निष्पक्ष निर्देश और निर्णय में दृढ़ता से कार्य करने का सन्देश मिल जाय तो कोई भी प्रशासन ठीक से काम करेगा। पद के रौब से प्रशासन चलाकर प्रशासन नहीं सुधरेगा। पद की प्रेरणा से प्रशासन चलेगा तो निश्चित रूप से सुधार होगा। इसीलिये यह सब लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आपने कहा बाकी बाद के लिये छोड़ दीजिये। माननीय सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। इसलिये अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमने लक्ष्य, नीति, नियम और परिणाम को सामने रखा है, कुछ कमियां होंगी, उनकी तरफ जो सुझाव माननीय सदस्यों के होंगे उनका पूरी तरह से सम्मानपूर्वक ग्रहण करते हुए क्रियान्वित करेंगे। पूरे सदन का सहयोग लेते हुए आज की स्थिति से 20 साल बात जो खाद्यान उत्पादन को ढाई गुना बढ़ाना है उसे और भी बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आज जो माननीय मंत्री जी का भाषण था, उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और पिछले 3 सालों का जो माननीय मंत्री जी का भाषण था, उसको पढ़ा है। आज के भाषण में, माननीय मंत्री जी ने 13 बार पहली सरकार है; का उद्धरण दिया, पीछे के तीन साल के भाषण में किसी में 17 बार 11 बार, और किसी में 9 बार "पहली सरकार" कहा है भाषण देखा जाए तो वही बात जो पिछले तीन भाषण में कही हैं लगभग उसी तरह की बात आज सुनने को मिली है उसमें कोई नवीनता दिखाई नहीं दे रही है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्यमंत्री (डा0 अरविन्द कुमार जैन)-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा0 अरविन्द कुमार जैन-

12 साल से यह एक रुपया कह रहे हैं दो रुपया क्यों नहीं कहते है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(हँसी)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

इनकी कमेन्ट्री कभी बैठकर कभी खड़े होकर होती है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर जैन साहब स्वास्थ्य विभाग का बजट रखते तो उस पर मैं बोलता। मान्यवर, आज जब माननीय मंत्री जी अपनी बातों को रख रहे थे और अपने विभाग की कर्मठता अपने द्वारा जो नीति बनाई हैं उसके अनुपालन नियोजन सभी नीतियों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। इनके विभाग में मान्यवर जो चौथा स्तम्भ लोकतन्त्र का है "पत्रकारिता" उसकी क्या राय है ? मंत्री जी ने अगर उसके बारे में संज्ञान लिया होता तो आज जो इन्होंने कहा है वह न कह पाते। श्रीमन् 2.2.2000 का "आज" लखनऊ से निकलता है उसमें हेडिंग है, बंजर सिंचाई विभाग का शाही अंदाज, इसी तरह से उसके बारे में काफी विस्तृत आकड़ों के साथ बताया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहारा है 19.8.2000 का, "विभाग का सही मायने में 1.07 करोड़ रुपया राप्ती में समा गया" मंत्री जी कहते हैं पानी पहुँचता है लेकिन 20 अगस्त 2000 का पेपर है इसमें लिखा है प्रदेश की 80 प्रतिशत नहरों का टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता। 25 प्रतिशत धान की फसल सूखने के कगार पर। 13.8.2000 का पेपर है लिखा है अधिसंख्यक नहरें सूखी हैं फिर भी कागजों में पानी, सिंचाई की कमी का फसलों पर प्रतिकूल असर, यह मेरी राय नहीं है वह लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ की राय है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आखिर इस खबर को लोगों को क्यों लिखना पड़ा, कारण क्या है? अगर इसकी तरफ आपका ध्यान चला जाए तो सचमुच प्रदेश का हित होगा। जब देश के किसान की ग्लोबोलाइजेशन डब्लू0टी0ओ0 की विश्व वार्ता आती है, आप प्रदेश के किसान को प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतारने जा रहे हैं। दुनिया के किसानों में भारत के किसान को उतारने जा रहे हैं तो आपको किसान को दुनिया की सुविधा भी देनी होगी। उद्यमी किसान अगर कहीं का है तो वह उत्तर प्रदेश का है पूरी दुनिया में कहीं जलवायु अच्छी है तो वह हमारे यहां की है उत्तर प्रदेश की है, उपजाऊ जमीन अगर कहीं की है तो वह उत्तर प्रदेश की है। गंगा जमुना के द्वाबा की है और उपजाऊ जमीन भी है और तीन-तीन फसल पैदा करने वाली भूमि-रबी, खरीफ और जायद है।

मान्यवर, जो सिंचाई का लक्ष्य होना चाहिए था प्रदेश के किसानों को मुफ्त और सम्पूर्ण सिंचाई का लक्ष्य यह नारा भारतीय जनता पार्टी का था कि "हर हाथ को काम और हर खेत को पानी।" लेकिन आज खेतों में पानी कितना पहुंच रहा है। यह जो सिंचाई विभाग की 2001-2002 की पुस्तिका है इसमें जे आंकड़े दिये गये हैं, उसके आधार पर, पेज-2 पर क्रम संख्या-12 में आपने दिखाया है कि एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल, यह लाख हैक्टेयर में हैं, 97-98 का लेकिन उसके बाद के आंकड़े नहीं हैं। आज की इन्फारमेशन टेक्नोलोजी के युग में, सचिव जिसकी मानिटरिंग करते हैं तो यह लिखते हैं कि 97-98 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 97-98 में दिखाया गया है 51.11 लाख हैक्टेयर। जो सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल आप दिखा रहे हैं वह 248.07 जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 240.93 लाख हैक्टेयर और उस पर कृषि 10.41 लाख हैक्टेयर और जो कृषि योग्य भूमि है वह 167.30 लाख हैक्टेयर। तो यह आपके आंकड़े हैं और 51.11 हैक्टेयर में एक बार से अधिक पानी दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। जितना बोया गया उसका एक चौथाई पानी देने में आप एक बार से अधिक सक्षम हो पाते हैं। मान्यवर, उत्पादकता केसे बढ़ेगी कैसे हमारे किसान विश्व के किसानों से मुकाबला कर पायेंगे। लक्ष्य तो यह बनायें कि मुफ्त और सम्पूर्ण सिंचाई। अगर मुफ्त सिंचाई देने में दिक्कत हो रही है तो सम्पूर्ण सिंचाई पहुंचाने का लक्ष्य रखिये ताकि किसानों को एक बार से अधिक सिंचन के लिए पानी मिल सके। मान्यवर, लक्ष्य होना चाहिए कि बरसात के एक-एक बूंद पानी का उपयोग हम करें ताकि बहकर व्यर्थ में समुद्र में न जा सके।

ही आदर्श स्थिति होगी। बरसात का पानी एक बहुत बड़ी संपदा है उस पानी का हम जितना अधिक पयोग कर ले जायें वह अच्छा है। मान्यवर, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि आज 95 प्रतिशत बरसात का ानी बहकर समुद्र में चला जाता है।

मान्यवर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से जुड़े हुए है पानी का ावाद है। अब उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के बारे में भी विवाद होगा इसलिए बरसात के पानी को जितना यादा से ज्यादा सुरक्षित कर सकें अब यह 60,70,80 प्रतिशत तक हो सकता है जो आज 5 प्रतिशत है वह मारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उस बरसात के पानी को हम कृषि के काम में ला सकें ग्राउंड वाटर ; डिस्चार्ज में ला सकें यह हमारी उपलब्धि होगी। आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा हे आपने कहा है कि न्देलखण्ड के क्षेत्रों में 10वीं योजना में बरसात के पानी को रोकने के बारे में कार्यवाही करेंगे। मान्यवर 0वीं योजना में किसकी सत्ता बनती है यह किसी को नहीं पता हमें भी नहीं पता तो इसका आकलन ापको अपने कार्यकाल में कर लेना चाहिए आपने इस समय बरसात के पानी का उपयोग करने के लिए ौन सी व्यवस्था करायी है आपको इस पर जरूर व्यवस्था करानी चाहिए। मान्यवर, आप सभी सदस्यों से हयोग मॉग रहे थे। दिल्ली में चाहे उच्चतम न्यायालय के आदेश का सहारा लेकर नोयडा के पास ओखला ; पास बैराज बनाकर के कार्यवाही करायी। मान्यवर, यह सही है कि दिल्ली से जो नीचे पानी आता है मारे यहां वह सीवेज में बहकर आता है। दिल्ली शहर के लोगों के लिए कहा गया कि सिंचाई का पानी दे या जाये। अब उत्तर प्रदेश में भी आगरा और मथुरा शहर है मान्यवर, आगरा एक ऐसा शहर है जहां गर शुद्ध पानी का इंतजाम हो जाये तो विदेशी पर्यटक और अन्य पर्यटक आते हैं उनसे बहुत सा राजस्व ल सकता है। मान्यवर, जो भी हिन्दुस्तान में पर्यटक आता है उसकी पहली चाहत आगरा होती है, लेकिन हॉ पानी की शुद्ध व्यवस्था न होने के कारण जो पर्यटक आते हैं वह लक्जरी कोच से आते हैं और देखकर ; वापस दिल्ली चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयास करना चाहिए कि चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाकर हें जो आगरा और मथुरा यह दोनों शहर ऐसी जगह पर है वहॉ के लोगों को शुद्ध पानी मिलना चाहिए ौर मान्यवर, जो वहॉ पानी मिलता हे उसको शुद्ध करने के लिए बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है सको कैमिकल के द्वारा शुद्ध करने में खर्चा आता है, मान्यवर, आगरा में दूषित पानी को लिफ्ट करके द्ध करने में कैमिकल का बहुत खर्चा आता है आगरा की जो व्यथा है वह सही है दिल्ली से नीचे जो यमुना ा पानी है अशुद्ध पानी है आप उसको आगरा वासियों को पिलाना चाहते हैं आपने कोई न कोई व्यवस्था स बजट भाषण में की होती। जो चम्बल नदी है उसमें पानी रहता है, गर्मी के दिनों में भी पानी रहता है, गर वह लिफ्ट करके आगरा में ला दें, अभी आपने बताया कि सिंचाई से ज्यादा आवश्यकता पेयजल की है सी आधार पर सिंचाई व्यवस्था का पानी दिल्लीवासियों को उपलब्ध कराया गया है। आगरावासियों को ाजल की समस्या से दिक्कत रहती है, उसकी दिक्कत का निवारण हो सकता है। आपने गोकुल बैराज नाने का, कानपुर बैराज बनाने का जो गंगा नदी पर बनेगा आगरा बैराज बनाने की बात कही, यह बैराज तब काम करता जब आपकी नदियों में शुद्ध पानी होता। आप यह गोकुल बैराज बनाकर पानी रोक रहे वह तो सीवेज वाटर, जब दिल्ली से पानी आयेगा नहीं, आप लखनऊ बैराज को देखले लखनऊ के मती नदी का जो पानी है, उसको उठाकर देखें तो अपने आप में सारी कहानी स्पष्ट हो जाती है कि आप खनऊवासी को कितना शुद्ध पानी पिलाने का काम कर रहे है। इसी तरह से दूषित पानी आयेगा तो सको बैराज बनाकर पेयजल की व्यवस्था करेंगे? पहले तो आप शुद्ध पानी का इंतजाम करिये और यह भव हो सकता है जब चम्बल के पानी को लिफ्ट करके आगरा तक पहुँचाया जाय।

इसी तरह से मान्यवर, मैं कुछ आकड़ें जो आपके विभाग के द्वारा दिये गये हैं उसकी तरफ ध्यान र्षित करना चाहता हूँ। आज हालत यह है कि आपने अपने संसाधनों के माध्यम से कहा कि जो काम ली पंचवर्षीय योजना, हर पंचवर्षीय का आपने जिक्र किया और कहा कि यह पहली सरकार है जिसने ानों के दर्द को समझ कर जो अधूरी परियोजनाएँ थी, यहॉ की सिंचन क्षमता को बढ़ाने का काम किया किसानों के दुखदर्द को समझकर कि ज्यादा किसान समृद्धशाली बन सकें इसलिये सिंचन क्षमता सृजन काम किया है। मान्यवर, 2000-2001 का जो अनुमानित बजट था वह था आयोजनागत में 111.06

करोड़ और 99-2000 का जो आपने बजट रखा था, उसमें निर्माण में आपने बजट रखा था 1415.92 करोड़ और आयोजनागत में 2000-2001 में 1112.06 करोड़ आपका इस्टीमेट था वह रिवाइज होकर हो गया 988.98 करोड़। आप किसान के बेटे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश का नेतृत्व एक किसान के बेटे के हाथ में है, मुख्य मंत्री भी किसान के बेटे हैं और रोज किसान के बारे में बड़ी लम्बी बाते सुनने को मिलती हैं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से। जितना आपने अनुमानित बजट रखा था, 123 करोड़ रुपये कम मिला है अगर आप ज्यादा की कोशिश करते तो निश्चित रुप से हम भी आपकी सराहना करते। 2000-2001 का बजट जो अनुमानित है वह योजनागत में 1072.46 करोड़ यानि 2000-2001 में जो 112.06 करोड़ अनुमानित था वह 2001-2002 में 1076.42 करोड़ है इसमें कमीं कितने की हुई है। जो आप ज्यादा काम करने जा रहे हैं तो इस साल का अनुमानित, जो पिछले साल का अनुमानित बजट इस साल के योजनागत में मात्र 40 करोड़ ही कम हुआ है। महँगाई बढ़ी है, सब चीजों के दाम बढ़े हैं, 10 प्रतिशत तो आटोमेटिक बजट बढ़ता है लकिन मात्र 40 करोड़ कम बजट प्लान साइज में रखा गया है, वहीं पर आयोजनेत्तर नान प्लान में 2000-01 में 527.39 करोड़ था और पुनरीक्षित हुआ तो 708.07 करोड़ यानि 181 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में नान प्लान का पैसा ज्यादा खर्च हुआ और इस साल 2001-2002 में जो अनुमानित है, वह है 697.82 करोड़ रुपये अगर हम पिछले साल का 527.39 करोड़ जो अनुमानित था। इस साल के अनुमानित से पिछले साल के अनुमानित को घटा दें तो मात्र 170 करोड़ रुपये इस साल नान प्लान में ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। आप विभागों के खर्च में कटौती करके अनुत्पादक मदों में कटौती करके, ज्यादा उत्पादक कामों के लिये धन लगाने की बात कर रहे हैं लेकिन आकड़े बताते हैं कि पिछले साल जितना खर्च हुआ, उससे कुछ ज्यादा आप इस साल नान प्लान में खर्च करने जा रहे हैं, इसके बाद पुनरीक्षित क्या होगा, वास्तविक क्या होगा, यह तो समय ही बतायेगा?

आज जो स्थिति है, जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से 33 परियोजनायें ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हैं, उन परियोजनाओं को आप पूरा करेगें, लेकिन आप किधर से पूरा करेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे? नान प्लान का पैसा बढ़ाकर, प्लान का पैसा कम करके, इससे परियोजनायें पूरी होगी? परियोजनाओं को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता होगी, उस पैसे की आप व्यवस्था कर ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से आपके बजट पढ़ने में परिलक्षित हो रहा था, जो आप कह रहे थे, काश वह सब कार्य हो जाते, कहने से हो जाते, करने की जरुरत ही न पड़ती तो मैं आपके कथन का अक्षरशः स्वागत करता। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है, विधान सभा में और अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहने भर से कार्य हो जाते हैं तो शायद संभव हो जाता। परन्तु काम करने के लिये पैसे की जरुरत होती है, नियोजन की जरुरत होती है, पैसे के सदुपयोग की जरुरत होती है। साथ की एक अच्छे शासन और प्रशासन की जरुरत होती है, इसलिये यह केवल कह देने से नहीं होगा। एक समय, मैं जब सिंचाई विभाग का इतिहास देख रहा था, जरुर आया था, 77-78 का वर्ष, जब यह लगा कि वह किसानों का वर्ष रहा है, किसानों के शुभचिन्तक लोगों का वर्ष रहा है। जितनी भी सिंचाई परियोजनायें शुरु हुई, वह सब 77-78 के वर्ष में शुरु हुई। सरकार किसकी रही, मैं यह नहीं कहता, जिसकी भी रही हो, लेकिन गाँव के चाहने वालों की सरकार रही है। वर्ष 1977-78 में सरयू नहर परियोजना, शारदा सहायक परियोजना का कार्य शुरु हुआ, नियोजन हुआ, व्यवस्था की गई। इन सभी परियोजना का काम शुरु हुआ, नियोजन हुआ, व्यवस्था की गई। इन सभी परियोजनाओं का लक्ष्य 84-85 तक पूर्ण होने का रखा गया था, परन्तु यह दुख की बात है कि वह सरकार 84-85 तक नहीं रही उस समय ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए, जिस ऐतिहासिक फैसले से पूरे ग्रामीण अंचल का जन जीवन बदला है। डी0आर0डी0ए0 की स्थापना, जिला योजना की स्थापना, वह 77-78 के केन्द्र सरकार का फैसला है और इस फैसले से एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, सिंचाई, शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में हो। इससे लगता है कि उस समय किसानों की [illegible] कोई नहीं है। मान्यवर, इस तरह का फैसला आपके बजट भाषण में सुनने को नहीं मिलता है इस तरह की अच्छी व्यवस्था यदि आपके बजट भाषण और इस पुस्तिका में देखने को मिलती तो मैं निश्चित रुप से

आपको धन्यवाद देता और कहता कि दो किसान के बेटों ने, मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री ये किसान के बेटे हैं और उन्होंने यह अच्छा बजट बनाया है। मान्यवर, यह हमें देखने को नहीं मिला।

आपने क्षेत्रीय असंतुलन की बात कही है। यह सही है, इस प्रदेश का एक बड़ा भूभाग, बुन्देलखण्ड की धरती आज पानी के लिए सिसक रही है, बड़ी उपजाऊ धरती सिसक रही है और उसका कारण है कि आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। मात्र यह कह देना कि पिछली सरकार की कमी रही है, सही है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के लिए ध्यान दिया गया होता तो आज यह दिन न देखने पड़ते। सिंचाई की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा ने की है। पंजाब के बेटे प्रताप सिंह ऐरो ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए परियोजनाएँ शुरु की थी और उसके लिए केन्द्र से पैसा लिया था और यही कारण है कि आज पंजाब में 95.5 प्रतिशत सिंचाई सघनता है और हरियाणा में 78.22 प्रतिशत सिंचाई सघनता है और उत्तर प्रदेश की मात्र 65.22 प्रतिशत है, यह आंकड़ा आपकी बजट पुस्तिका का ही है। जिस आंकड़े के बारे में अभी वित्त मंत्री ने, कितना सही है कितना गलत है मैं इस दिशा मे नही जाना चाहता उन्होंने उसे भारत सरकार के योजना को पेश किया था, योजना आयोग ने कहा कि पहले आप रिजर्व बैंक से जॉच करा कर लायें फिर देखेंगे। मान्यवर, हम कितना पीछे हैं। हम दुनिया के देशों से मुकाबला करने जा रहे हैं।

*वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")

योजना आयोग की बैठक में स्वयं उपस्थित था जो भी प्रतिवेदन दिया गया उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और यह तो जरुरत से ज्यादा हो गया कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से परीक्षण कराकर फिर लायें। यह तो सवाल ही नहीं उठता। बल्कि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मेरी शंका का समाधान हो गया लेकिन अखबारों में भी आया था लेकिन यहां अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता किन्तु अखबारों के माध्यम से जो सूचना मिली थी मैं वही कह रहा था।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, आज का बजट बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को जाना भी है मेरा अनुरोध है कि थोड़ा संक्षेप करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जब दुनिया के किसानों से हम मुकाबला करने जा रहे हैं, सिंचाई सुविधाओं के मामले में ही हम इतना पीछे हैं तो क्या हमारे यहाँ का किसान उनका मुकाबला कर पायेगा? दुनिया में आज आधुनिक टेक्नालोजी का उपयोग कर सिंचाई हो रही है। मंत्री जी को संज्ञान होगा, या मंत्री जी के अधिकारियों को ज्ञान होगा कि दुनिया में सिंचाई की कौन कौन सी प्रणालियां अपनायी जा रही हैं, किस तरह से वहाँ सिंचाई होती है, पानी का वह किस तरह से उपयोग कर ऊबड़-खाबड़ जमीनों को भी हराभरा बना रखा है और उसके लिए दुनिया के तमाम विकसित देश किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं उस दिशा को तो छोड़ दीजिए, आज जो हमने नहरें बनायी हैं वह बाबा आदम के जमाने की हैं। जो आपका रिसर्च विंग है वह क्या काम करता है? कम पानी का ज्यादा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, अगर नई शोध नहीं कर सकते, नई प्रणाली विकसित नहीं कर सकते तो हम विकसित देशों की नकल कर सकते हैं। अगर हम वह करते तो कम पानी में अच्छी सुविधाओं की शुरुआत कर सकते थे, किसान सबक सीख सकता। अगर आप पब्लिक सेक्टर में नहीं कर सकते तो प्राईवेट सेक्टर में करने का प्रयास कीजिए, स्पिंगगुलर विधि से सिंचाई करिये। मान्यवर, मार्डन विधियाँ हैं उनका उपयोग करके अधिक उपज पैदा कर सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी, एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस पर आपने चिन्ता व्यक्त की है कि हमारे नियोजन में निश्चित तौर पर दोष है। जिन योजनाओं को 1977-78 में बनाया था उसका लक्ष्य रखा था 1984-85 तक पूरा करने का। हमारी नियोजन प्रणाली में कहीं न कहीं दोष है। मैं इसके बारे में एक-एक नहरों का जिक्र नहीं कर सकता, समय ज्यादा लगेगा, संक्षेप में केवल एक नहर का जिक्र करूंगा। सारी की सारी नहरें 1977-78 में शुरू हुई थी और उनको 1985 तक पूरा करने का टारगेट था। यह 9205 किलोमीटर लम्बी नहर थी इसमें 4 पम्प कैनालें थी, घाघरा नदी से पम्प करने के लिए डुमरियागंज, अयोध्या, उतरौला और गोला। भूगर्भ जल का उपयोग करने के लिए 3600 नलकूप लगने थे, नाला निर्माण 9000 कि0मी0 होना था, यह पूरी योजना थी और इसको पूर्ण करने का 1977-78 से लेकर 1985 तक का था। 220 करोड़ रुपये में इस परियोजना को पूर्ण करना था। 220 करोड़ रुपये के सापेक्ष 1984 में 155 करोड़ रुपया मिला अर्थात् लगभग 90 प्रतिशत पैसा मिल गया तो फिर 80 प्रतिशत काम भी होना चाहिए था परन्तु मान्यवर, 155 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद एक इंच, एक विस्वा जमीन की सिंचाई नहीं हो पायी। यह आडिट प्रस्तर भी बना। 1984 में इसको पुनरीक्षित किया गया तो इसकी लागत 696 करोड़ रुपया हो गया। 1992-93 तक 354 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ और 1992 में फिर पुनरीक्षित हुआ और 1256 करोड़ रुपया हो गया और 1998 में यह बढ़कर 2810 करोड़ रुपया हो गया। जो बना है वह मान्यवर, 1999-2000 तक केवल 1933 किलोमीटर बन पाया है। मान्यवर, 2000-2001 में 695 किलो मी0 बनाने का प्रस्ताव था। तो जब अब कुल कार्य पूरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, इन्होंने 1980 में पांच मोटर कैनाल पम्पों का पैसा इन्हें प्राप्त हो गया था पांचों कैनाल पम्प तैयार हो जाने चाहिए थे लेकिन मान्यवर, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इन्होंने अब तक वह कार्य पूरा नहीं किया है मान्यवर, जब इनकों 1980 तक 80 परसेन्ट पैसा प्राप्त हो गया था तो अब तक कम से कम 80 परसेन्ट काम हो जाना चाहिए था। मान्यवर, 1885 तक इन्होंने सिर्फ 2 कैनाल पम्पों को शुरु करवाया है। मान्यवर, राप्ती बैराज बन गया लेकिन उसका उपयोग कहीं नहीं हो पा रहा है उसको आपको एक तरफ से शुरू करना चाहिए था। आपने सरयू नहर पर फीडल चैनल बना दिया उसका परिणाम क्या निकला, इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यह आपकी गलत नीतियों और गलत नियोजन के कारण हुआ है। जब आपको 80 परसेन्ट धन प्राप्त हुआ था फिर काम क्यों 20 परसेन्ट किया है आपने ऊपर का काम तो नहीं किया नीचे का काम शुरू कर दिया जिससे कि जो कार्य किया गया उसका कोई लाभ नहीं मिल सका।

मान्यवर, बाढ़ की सूचना देने के लिए आपने केन्द्र सरकार और नेपाल में एक समिति बनाई है जो बाढ़ के संबंध में सूचना देगी आपके अधिकारियों को सूचना मिल जायेगी कि पानी छोड़ा जा रहा है इससे कौन सा बड़ा फायदा होगा। आपने घोषणा की होती कि नेपाल सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिये करनाली और भलेरी डैम बनाने का निर्णय लिया है तो आपका सदन में स्वागत करते। केवल सूचना देने या समिति बना देने से तो बाढ़ नहीं रुक जायेगी। आज गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर जो जिले हैं जब तक करनाली और भलेरी डैम नहीं बनेगा तब तक इन जिलों की बाढ़ का हल नहीं निकलेगा। अगर यह डैम बना दिया जाय तो बाढ़ से बचाव होने के साथ विद्युत उत्पादन भी होगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार और नेपाल मिलकर कार्य करे। इसी तरह से 1995 में फ्लड प्रूफिंग स्कीम के तहत भी प्रस्ताव मांगे गये थे। 2000-2001 में गंगा फ्लड बोर्ड से एप्रूव होकर केन्द्रीय जल आयोग के पास प्रस्ताव गया था परन्तु आजतक उत्तर प्रदेश में 3 स्कीमें जो बोर्ड से पास हो गयीं थीं उनका कार्य आगे बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की लापरवाही के कारण पैसा नहीं मिला जबकि दूसरे प्रदेशों को पैसा मिल गया।

मेरी जानकारी में आया है कि 6 हजार करोड़ रूपया वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने की चर्चा चल रही है या जैसा हो रहा है, अगर तय हो गया है तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वह 6 हजार करोड़ रूपया विश्व बैंक से किन शर्तो पर लिया जा रहा है, किस कार्य के लिए लिया जा रहा है, उसमें कार्यदायी संस्था क्या होगी? जितनी विश्व बैंक की परियोजनाएं चल रही है उन्हें ठेकेदार या एजेंसी से वही तय करते

हैं। इसलिए जो 6 हजार करोड़ सिंचन क्षमता के लिए ले रहे हैं, अपनी शर्तों पर लेना चाहिये, क्योंकि उसकी अदायगी आपही को करनी पड़ेगी। इसके बारे में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। आप पिछड़े वर्ग के नाते आज सिंचाई विभाग की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दुःख होता है, कि कार्य प्रगति रिपोर्ट है सारे कर्मचारी और अधिकारी तैनात है, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या दी गयी है।

समूह 'क' में 1098 अधिकारी कार्यरत हैं, 934 इसमें अनुसूचित जाति के 90 हैं इस तरह से आरक्षण इनका 9.6 प्रतिशत होता है। जनजाति के 3 अधिकारी है इनका प्रतिशत 32 है। जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग का आँकड़ा ही उपलब्ध नहीं है और यह लिख दिया गया है कि उपलब्ध नहीं है। समूह 'ख' में 15.13 प्रतिशत आरक्षण है और समूह 'ग' में 12.43 प्रतिशत है, पिछड़ी जाति का आँकड़ा उपलब्ध ही नहीं है और इसी तरह से समूह 'घ' श्रेणी में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं है और पिछड़ी जाति का आँकड़ा ही उपलब्ध नहीं है। यही नहीं माननीय मंत्री जी ने बजट पुस्तिका देखा था कि नहीं, इसके अनेक पेजों पर आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। हर जगह यह लिखा है कि वर्ष 1999-2000 में जैसा उपकरण और मशीनें है जैसे अधिष्ठान अनुदान संख्या-93 के आँकड़ों के बारे में है, कितना खर्च हुआ है इसके आँकड़े नहीं हैं। कितना तत्पर विभाग है। माडर्न इनफारमेशन टेक्नालाजी का युग है। 1999-2000 के आँकड़े देने में आप सक्षम नहीं है। इसके बीसों पेजों पर आँकड़ों के बारे में यह लिख दिया गया है कि उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। आज तो इन्फारमेशन टक्नालोजी का युग हैं आपके आंकड़े नहीं है तो आप मानीटरिंग कैसे करेंगें? आपके अधिकारी मानीटरिंग कैसे करेंगें? माननीय मंत्री जी ने एक निर्णय लिया था और उसके अंतर्गत सींचपालों और ट्यूबवेल आपरेटरों को पंचायत राज के अंतर्गत कर दिया गया। जिस समय यह सवाल आया था उस समय हम सब विपक्ष के लोगों ने इस पर कहा था कि यह न किया जाय अगर करने की जरूरत ही हो तो कुछ जिलों में एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया जाय और इसके परिणाम देखकर इसको प्रदेश स्तर पर लागू करने की व्यवस्था की जाय। लेकिन हम लोगों की बात को नहीं माना गया और इन कर्मचारियों को पंचायती राज के अधीन कर दिया गया। यह बिल्कुल दिल्ली से दौलताबाद जैसी कहानी हुयी और आपके तुगलकी फरमान के कारण इससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ और आपके विभाग को भी नुकसान हुआ। आपको इन कर्मचारियों को आपको वापस लेना पड़ा। आपको जो राजस्व की क्षति हुयी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 1993-94 में 183.14 करोड़ रुपये सिंचाई से आपको मिले थे। 1995-96 में 144.53 करोड़ रुपये मिले। लेकिन 1999-2000 में जब आपने यह योजना लागू किया तो केवल 54.41 करोड़ रुपये ही आपको मिले। इससे जाहिर होता है कि आपने जो योजना लागू की उसके कारण आपको राजस्व की हानि हुयी। आपने इस साल 207 करोड़ का लक्ष्य रखा है मेरा ऐसा मानना है कि आप इस लक्ष्य को नहीं पा सकेंगें क्योंकि सिंचाई की दरों में जो आपने वृद्धि की थी उस पर मुख्य मंत्री जी ने रोक लगा दी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अब भी आप कोई योजना लागू करें पहले उसके गुणदोष पर विचार कर लें तब उसको कार्यान्वित करें। आपके 32 हजार से ज्यादा ट्यूबवेल हैं इनसे 50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था जबसे आपने उनकी जिम्मेदारी पंचायतों को दे दी तबसे कोई जमाबंदी या पड़ताल नहीं हुयी। जो आपके बहुउद्देश्यीय कर्मी थे इन्होंने ठीक से काम नहीं किया। ट्यूबवेल चला दिया चाहे जितनी सिंचाई करो। यह जो सिस्टम कई साल से बिगड़ा हुआ है उससे यह स्थिति हो गयी है कि आपका ट्यूबवेल एक ट्यूबवेल आपरेटर की तनख्वाह नहीं निकाल पाता है। आपकी व्यवस्था से अवगत हूँ किसलिए आपको निर्णय लेना पड़ा। पंचायती राज विभाग को देना पड़ा इससे नुकसान हुआ तमाम किसानों ने अपने निजी ट्यूबवेल लगा लिए और आपके ट्यूबवेल पूर्णरूपेण फेल हो चुके हैं इस सम्बंध में अधिकारियों/कर्मचारियों को लेकर कोई हल निकालें जिससे इतना पड़ा धन जो उत्तर प्रदेश सरकार का लगा हुआ है उस धन का कुछ न कुछ सदुपयोग हो सके। ऐसा मैं आपसे आग्रह करते हुए आज जितने भी माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखेंगे उनको आमंत्रित करते हुए उनके सुझावों से और भी बातें आएंगी जिनको सरकार शिकायत के रूप में न लेकर सुझाव के रुप में माने और काम करे ऐसा विश्वास करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर कई माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे इसलिए जिसको भी आमंत्रित करूँ, वह संक्षेप में अपनी बात रखे।

श्री बात चन्द्र मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन् पूरे विश्व में यह देश केवल एक विशेषता के लिए भिन्न है यह गांव का देश है इसलिए श्रीमन् यह किसानों का कृषि मजदूरी पर निर्भर रहने वालों का देश है। जिस प्रकार जीवनधारियों के जीवन के लिए शरीर में रक्त प्रवाह नितान्त आवश्यक है उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती वैसे ही कृषि के किसान के लिए कृषि उत्पाद के लिए सिंचाई अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिंचाई के बिना वांछित आर्द्रता की उपलब्धता के बिना किसी भी कृषि उत्पाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। मुझे याद है स्व0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय की वह पंक्तियॉ श्रीमन् उस पर ध्यान जाता है तो लगता है कि वह मनीषी थे। कृषि में भी सिंचाई में भी कृषकों के जीवन से स्वयं कितना उनका जुड़ाव था। अपने पुस्तकों में उन्होंने सिंचाई पर भी चर्चा किया है। भारत, जैसे देश के भीतर खेतों के, खलिहानों के, जो असमतली स्थिति हैं उसको दृष्टि में रखते हुए उन्होंने बड़ी सिंचाई योजनाओं को भारत के लिए उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना था। आवश्यकता थी छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं की। अभी कटौती का प्रस्ताव श्री बरखूराम वर्मा जी प्रस्तुत कर रहे थे वह अनुभवी सदस्य हैं। अपनी जानकारी के आधार पर जब वह कह रहे थे कि 1977-78 में ही सभी जितनी सिंचाई योजनाएं शुरू हुई इस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। मैं माननीय वर्मा जी का ध्यान आकृष्ट करूँगा महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में से एक का उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा वह है शारदा सहायक परियोजना वह 77-78 में शुरू नहीं हुई। 71 में उस पर काम शुरू हो गया था, 74-75 में तो राजस्व की प्राप्तियॉ शुरू हो गई थी। यह ठीक है कि 77-78 में संशोधित परियोजना फिर से बनी। दीन दयाल जी की धारणा को शारदा सहायक की परियोजना के परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट कर स्पष्ट किया जा सकता है। इसकी कुल शुरू की लागत तीन से चार करोड़ पचासी लाख रूपये थी लेकिन यह बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ तक पहुँच गई, और योजना जब बनी तो यह था कि 24 हजार क्यूसिक जल सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जायगा। और इतना होने के बाद भी केवल 16 हजार क्यूसिक जल ही मिल पा रहा है। इसका कमान्ड एरिया 19 लाख हैक्टेयर का माना गया था और इस बड़ी परियोजना के दाहिने बॉये वाटर लागिग का क्षेत्र है। उससे वह लगभग आधा करोड़ एरिया प्रभावित होकर अनुपजाऊ हो गया है। आज 19 लाख हेक्टेयर कमान्ड एरिया की जगह उसका आधे से ज्यादा वाटर लागिंग से मुक्त है। न वहॉ गेहूँ न तिलहन होता है और न कोई फसल वहां दिखाई भी देती है कुछ एक फसल तो ठूँठ सी खड़ी रही है। बड़ी सिंचाई परियोजना का यही परिणाम है। जैसे जैसे पानी लिफ्ट करने के लिए ऊचाई पर ले जाना होता हैं बहाव से अवरोध पैदा बहुत से अवरूद्ध पैदा होने से दवाव बढ़ा। इसका जो हेड एरिया है वहॉ से ही लाभ मिल पा रहा है टेल में तो त्रुटि के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह तो अब वही बात है कि कोई मकान का ढांचा उलटा सीधा सड़ा गला खड़ा कर दिया गया और अब उसे परिमार्जित करना पड़े, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़े उसका। माननीय मंत्री जी कर सकते हैं इनके अंदर क्षमता है।

मैं दो अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी को कानपुर की जानकारी है मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14.5 किलोमीटर नहर गुजरती हे उसका परिमार्जन तथा नहर की पटरियॉ पक्की करके दुरुस्त कर दी जाय तो उसका सदुपयोग होगा। एक नहर उसमें से और निकलती है जिसे पाट दिया गया है पूरा का पूरा और नहर विभाग उसका संज्ञान नहीं ले रही है। हजारों एकड़ जमीन का मामला है। नहर पट गई है। शहर के लोगों ने उसको व्यवसाय के रुप में बेच रखा है। मेरा निवेदन है कि उस पटी हुई नहर का एरिया जो हजारों एकड़ है, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, सार्वजनिक है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि इसका संज्ञान लेकर, कैसे वह मुक्त होगी, कैसे वह धन सार्वजनिक कोष में

आयेगा, इस पर भी विचार करें? इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री उदयराज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ है, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, सिंचाई विभाग के बारे में माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में पढ़ा। अच्छे ढंग से सदन के सामने सारे लोगों को यह अवगत कराया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो कृषि उपजाऊ भूमि है उसकी सिचन क्षमता बढ़ी है। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, पूरी आवश्यकता को उठाकर देखने का काम करें कि आज वास्तव में जो सिंचाई के साधन नहरें और माइनर थे, जिनसे किसानों को पानी मिलने का काम होता था। प्रदेश के जो नलकूप थे जिनसे किसान अपने खेत को सींचने का काम करता था और दूसरी जोड़ने आदि साधन थे जिनसे किसान अपने खेत को सींचने का काम करता था। मैंने अनुभव किया है, मेरे उन्नाव जनपद के विशेषकर पुरवा विधान सभा क्षेत्र में मैंने नहरों को देखा कि 10 साल पहले जो नहरों, ब्रान्चों या माइनरों से लोग सिंचाई करते थे अपने खेतों की उसमें पानी बहुत कम जाता था। आज स्थिति यह हो गई है कि माइनर और रजवाहों की स्थिति के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। आज पानी जाने की बात तो दूर रही। पानी तो नहीं जा रहा है। स्थिति यह हो गई है, बराबर माननीय मंत्री जी कहते हैं और यह सही भी है हम लोग भी अनुभव करते हैं, मंत्री जी पूरा प्रयास करते हैं। हम लोगों को पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि किन-किन जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में कौन-कौन काम कराये जा रहे हैं? शिकायत होती हैं तो उनको भी देखने का काम करते हैं। मान्यवर, आज आप आवश्यकता को देखिये। वास्तव में क्या कोई माइनर और नहरों की सफाई होने का काम होता है?

आज बड़ी नहरों, ड्रेनों में पानी टेल तक जाने का काम नहीं होता है अनुमान लगाकर देखने का काम करें कि छोटी माइनर और नहरों में पानी क्यों नही जाता है? आपने तो यहां पर अवगत कराने का काम किया है कि प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र है उसकी क्षमता बढ़ी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, उन्नाव जनपद के बारे में जरूर कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग द्वारा आज से 10 साल पहले जितनी भूमि का सिंचन होता था आज उसके आधे से भी कम भूमि का सिंचन हो रहा है उदाहरण दे रहे हैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं यह आंकड़े इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज आपके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। आंकड़े इसलिए दे रहे हैं कि सिंचाई विभाग के सींचपाल, ट्यूबबैल के ट्यूबबैल आपरेटर होते है वह आपके विभाग में कार्यरत नहीं है आपके यहां वास्तव में कोई कार्यवाही हीं हुई, नहरों में पानी गया या नहीं गया है माइनर में पानी गया या नहीं गया, रजवहों में पानी गया या नहं इसकी सही जानकारी आपको देने वाला कोई नहीं है। जब से आपने कर्मचारियों को बहुउद्देशीय कर्मचारी बनाने का काम किया है जब से सींच को लिखने का काम आपने लेखपालों को सौंपने का काम किया है वह लोग जानकारी नहीं करते हैं और पुराने रिकार्ड को देखकर 10-20 प्रतिशत बढ़ाकर आंकड़े दे रहे हैं।

मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, पूरी जानकारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो आंकड़े आप दे रहे हैं भूमि की सिंचाई के वह फर्जी और गलत हैं। आपने पारदर्शिता का जिक्र किया है उसके बारे में मान्यवर निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक पारदर्शिता का सवाल उठता है मैं जानता हूँ आप प्रयास कर रहे हैं नहरों की मरम्मत हो, नहरों की सफाई हो, नहरों की क्षमता बढ़े, नहरों में पानी ज्यादा आवे, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन चिन्ता का विषय है कि आज वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर कहीं विश्व बैंक से लोन लेकर नहरों की सफाई, नहरों की मरम्मत का प्रयास करते है लेकिन अगर वास्तविकता में जाए मैंने आपको लिखने का भी काम किया। धन जो आ रहा है उसको आप मरम्मत में खर्च करने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम कर रहे हैं। आप पारदर्शिता लाने का काम कर रहे हैं, एक दो माह पहले हमारे यहां सफाई हुई मैंने निरीक्षण किया क्षेत्र में, अधिशासी अभियन्ता को तीन चार पत्र लिखे लेकिन मुझे पता नहीं लगा कहीं नहर की सफाई हुई है कहीं मरम्मत हुई है। आप पारदर्शिता लाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ पारदर्शिता आए लेकिन आपके विभाग के जो अधिकारी हैं वह काम नहीं करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

श्री उदयराज यादव-

मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं यह मानकर चल रहा हूँ बजट जो उत्तर प्रदेश सरकार का है चाहे विश्व बैंक से चाहे केन्द्र सरकार से पैसा आ रहा है बड़े पैमाने पर खर्चा करने का काम किया जा रहा है। मेरा मानना है इससे उत्तर प्रदेश सरकार पर इससे बोझ बढ़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री उदयराज यादव-

इन्हीं शब्दों के साथ बी0आर0 वर्मा जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं बल देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री कृपा शंकर सिंह-

मान्यवर, आपने माननीय सिंचाई मंत्री जी के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में नहरों की दुर्दशा को ठीक करने का काम किया है और वह बधाई के पात्र हैं। इसके पूर्व नहरों के कामों में घास कटाई होती थी। यह पहला अवसर है कि जब नहरों की सफाई मानक के अनुरुप हुई हैं। रजबाहों और माइनरों की सफाई का कार्य किया गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। शारदा सहायक के माध्यम से हरदोई, उन्नाव और रायबरेली के किसानों को खेती सींचने का अवसर मिलता था। लेकिन 20 वर्षो पूर्व शारदा नहर के आकार को घटा दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हरदोई, उन्नाव और रायबरेली की सिंचन क्षमता आधी से कम हो गयी है। इन नहरों में टेल तक पानी लगभग 20 वर्षो से नहीं पहुंचा है। यही कारण है कि यहाँ का किसान कमजोर से कमजोर होता चला गया है। डलमऊ बी-पम्प कैनाल 15 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी इसमें 16 हजार हैक्टेयर भूमि के सींचने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन, दस हजार से अधिक सिंचन क्षमता नहीं हो पायी है। वहाँ के माइनर और हैड को पक्का करने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक आधुनिकीकरण नहीं किया जाता सिंचन क्षमता नहीं बढ़ती है। हरदोई, उन्नाव और रायबरेली के किसानों पर कुठाराघात किया गया है और इसकी पूर्ति किसी भी दशा में नहीं हो सकती है। नहरों के आधुनिकीकरण की योजना का प्राविधान किया गया है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि डलमऊ बी-पम्प कैनाल का आधुनिकीकरण करने का काम किया जाय। मुझे विश्वास है कि आप उत्तर भाषण में इन तीन जनपदों की बेहतरी के लिए आप कुछ कहेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट-

मान्यवर, आपने माननीय वर्मा जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई के लिए जो चिन्ता व्यक्त की है वह कोरी कल्पना है। जो आंकड़ों का भ्रम जाल फेंका है वह अधिकारियों के चाल में फंस गये हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन करने की शक्ति नहीं रह गयी है। मेरे जनपद में माननीय मंत्री जी आप जानते हैं, सरयू नहर परियोजना है जो तीस वर्षो से चल ही है। अरबों रुपया खर्च हो गया मगर एक बूँद भी पानी नहीं निकाल पाये है। कोई सिंचन कार्य किसान के खेत में नहीं हो पा रहा है। उस योजना से सिंचन का काम शुरु किया जाय। पिछले दिनों में विधान सभा में कई सवाल आये, पानी का चिन्तन हुआ, जल स्तर घट गया है, ट्यूबवैल और इण्डिया मार्क-11 से पानी मिलना दूभर हो गया है इसपर चिन्ता व्यक्त की गयी। यह कहा गया कि जितने ट्यूबवैल लगे हैं उससे पड़ोस के तालाबों को भर दिया जाय जिससे जानवरों को तो पानी पीने की सुविधा हो जाये लेकिन मुख्य मंत्री ने चिन्ता व्यक्त की, आपने कहाँ किया मेरे जनपद बाराबंकी में और उसके आस पड़ोस में पानी का बहुत बड़ा संकट है। वह इसलिए कि बिजली नहीं मिल पा रही है और बिजली मंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि जितनी चाहे बिजली ले लें। ढपोरशंखी बात करते हैं, मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदमपुररोली बांध है। मान्यवर, अबकी बार घाघरा अटवा के पास बरामपुर खुरमपुर के पास में आ गयी है सिंचाई विभाग के जो आपके अधिकारी हैं उनको भी पता है कि घाघरा नदी में भी पानी आ गया है आपके पास रिपोर्ट भी आ गयी है आज तक की लेकिन आज तक आदमपुररोली बांध के लिए एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है मान्यवर, यह बॉध का गोंडा और उससे सीधे पानी निकलेगा बहुत बड़ी संख्या में घाघरा नदी में जल का बहाव सीधे गोंडा की तरफ निकलेगा। आप पिछले दिनों बहराइच गये थे तो आपके संज्ञान में लाया गया था कि इस बांध को आप टेकअप कर लीजिये। मान्यवर, नानपारा, शिवपुर, मेहसी होकर यह गुजरती है, बांध बहुत बड़ा है। तमाम पेड़ कट गये थे जो सिंचाई विभाग के थे और बेच लिये गये कागजों में दिखाया नहीं गया। आपके अधिशासी अभियंता चले गये और उसके बाद कार्य ठप हो गया आपने उनका ट्रांसफर कर दिया, ठीक किया लाखों रुपये के पेड़ काटकर सिंचाई विभाग की जो सम्पत्ति थी उसको खत्म कर दिया। इतना ही नहीं आदमपुर रोली बांध का बंधा घाघरा नदी ने काटा था, बाँध में फंसे हुए लोगों को बसाने के लिए जमीन देने की बात थी लेकिन अभी तक बसाने की व्यवस्था नहीं हो पायी। वे लोग बांध के किनारे-किनारे बसे हुए हैं जो भी अधिकारी आता है नोटिस देता है और भगाने की कोशिश करता है लेकिन उनके बसने के लिए जगह नहीं मिल पाती है तो मान्यवर, बांध में जब बाढ़ आ जाती है तो उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। जिला बहराइच और फकरपुर मेहसी नानपारा सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है कोई भी रजवाहे नगर चल नहीं रही हैं आपने कहा था कि सींचपाल को हटाकर वहॉ से अलग कर देंगे। सिंचाई किसी की है और किसी के पास बिल चला गया आपने कहा था ठीक करा देंगे आप जरूर ठीक करा रहे होंगे। खुर्रमपुर के पास घाघरा नदी में बिल्कुल बांध के किनारे खोता बना दिया गया है आप विशेष रुचि लेकर अपने अधिकारियों को लगाकर इसमें कार्यवाही करायें। बांध से किनारे घाघरा नदी बह रही है बांध आपका अबकी कटेगा जिस वक्त मान्यवर, बांध बना था 54 लाख रुपये में बना था कम से कम 10 करोड़ रुपये अब तक खर्च हो चुका है। लेकिन यह बांध इतना जरुरी है कि आप लखनऊ से बाराबंकी चलकर बहराइच जायें तो 20 किलोमीटर की जो आपकी पक्की सड़क है वह घाघरा नदी में परिवर्तित हो जायेगी आप विशेष ध्यान दीजिये बोल्डर वहॉ पड़े हुए हैं। वहां तालाब बने हुए है सोख्ता बन गये हैं उनको ठीक किया जा सकता है कैरेट बनाकर डाला जा सकता है लेकिन यह काम 10 दिन के अन्दर हो जाना चाहिए। इस समय वहां के किसानों का उस क्षेत्र के लोगों का यह चिन्ता का विषय बना हुआ है। इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय बी0आर0 वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने बड़ी लम्बी चौड़ी और लुभावना बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका व्यावहारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं तो विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आकड़ों का सब्जबाग दिखाते हुए तो कोरी घोषणा की हे उसके मैं कुछ दृष्टान्त आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी यदि वाकई में किसानों के हमदर्द है और सिंचाई के प्रति गम्भीर हैं तो उसके क्रियान्वयन के लिए गम्भीरता से विचार करें। मैं माननीय मंत्री जी को इसबात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर सिंचाई से संबंधित, सिल्ट सफाई से संबंधित पत्र व्यवहार तो आप माननीय विधायको से करते रहते हैं लेकिन माननीय विधायक जो क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हैं उस पर कभी भी माननीय मंत्री जी गम्भीर नहीं होते हैं। आपके माध्यम से मैं केवल माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ कि आप सिल्ट सफाई तो करवाते है किस लिए करवाते है रजबहा और माइनर में पानी तो जाये, सिल्ट सफाई हो जा रही है, करोड़ों रुपये का भुगतान भी हो रहा है लेकिन किसी भी माइनर में साल ड़ेढ़ साल से पानी पहुँचा ही नहीं मान्यवर, पतीली में चावल पका है या नहीं इसको जानने के लिए केवल एक चावल ही टटोलते हैं मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आंकड़ा प्रस्तुत करुंगा तो बहुत समय लग जायेगा इसलिए मैं दृष्टांत के रुप में केवल अपने विधान सभा के रजबहा और माइनर का जिक्र कर रहा हूँ चूकि आपने पत्र व्यवहार भी किया है आपका पत्र भी मिला है आपने कार्यवाही के लिखित निर्देश दे दिये है लेकिन आपके लिखने के बाद भी आपके मुख्य अभियंता ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया है।

मान्यवर, ऊंचाहार रजबहा, कनरांवा रजबहा डलमऊ रजबहा और रामगंज रजबहा यह जितने रजबहा हैं इसमें साल भर में मुश्किल से एक बार पानी आता है। इसी तरह से माइनर है मीरापुर माइनर, नजमपुर माइनर, सर्वदा माइनर, किशुनदास माइनर, होरैश माइनर, धचखरा माइनर, कन्दरांवा माइनर, मुरैठी, धूता माइनर, गौरा माइनर, डलमऊ माइनर, खलालपुर माइनर, प्रतापपुर माइनर, किशुनपुर माइनर, इटवा माइनर ये हमारे विधान सभा क्षेत्र में सारी माइनर है जहाँ लगातार 2 साल से पानी माइनर में पहुंचा ही नहीं पानी न पहुंचने के बाद भी किसानों से निरन्तर सिंचाई वसूली जा रही है, 2 साल से पानी नहीं पहुंचा। पानी रजबहा में नहीं गया हेड में तो गया ही नहीं टेल तक पानी पहुंचने का स्वप्न ही लोग देखा करते है मैं जानता हूँ आप बहुत गम्भीर है लेकिन किन कारणों से आपकी मशीनरी आपको फालो नहीं कर रही है इसको टटोलने की जिम्मेदारी आप पर जाती है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे यदि आप हर खेत को पानी नहीं दे सकते हैं तो फिर किसानों से सिंचाई किस बात की वसूलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सन् 98 में जो किसानों ने सिंचाई अपने खेतों की की है, उसी को मानक मानकर आज तक आपके सिंचाईकर्मी सिंचाई की वसूली करते हैं। मंत्री जी, आप भी किसान के बेटे हैं इसलिये किसानों के दर्द को भली भाँति समझते हैं, इसलिये आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इस तरह जो खेत की सिंचाई देनी पड़ रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिये और गलत वसूली करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिये।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बड़े पैमाने पर नहरों की सफाई करवाई है और मैं केवल इतना बता देना चाहता हूँ कि कुछ नहरों की सफाई हवा-हवाई हुई है, उसके विषय में मैंने आपको लिखित अवगत कराया, उस पर आपने हमें लिखित अवगत कराया कि मुख्य अभियंता को लिखा है, लेकिन इस शिकायत के बाद, आपके निर्देश के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी चीज, सन् 1998-99 में एस0आर0वाई0 योजना के तहत प्रधानों के माध्यम से आपने सिल्ट सफाई करवाने का काम किया था, आपके सिंचाई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार आपके निर्देश के मुताबिक सिल्ट सफाई के नाम पर खर्च तो ले लिये, लेकिन मंत्री जी उन मजदूरों का क्या दोष है, जिन्होंने यह सोचकर नहर की सफाई की कि हमको इसका मेहनताना मिलेगा, लेकिन आज तक मेहनताना नहीं मिला। शारदा सहायक खंड-45 वर्ष 1998-99 में एस0आर0वाई0 योजना के तहत ऊँचाहार नहर का भुगतान आज तक नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आज भी मजदूरी पाने से वंचित रह गये हैं। कहाँ कमी रह गई है, इस पर गंभीरता से आपको देखना है।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या कारण है कि पूरे विभाग में एक ही तरह के लोग सारा काम करते हैं और क्यों करते हैं, इस पर शायद आपने गंभीरता से चिन्तन नहीं किया होगा। एक-एक जे0ई0 एक-एक ए0ई0 10-10, 15-15 साल से एक ही जिले में एक ही क्षेत्र में पड़ा है और वह जे0ई0 अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार भी हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वह दादागिरी करता है, आपके निर्देशों को धता बताते हुये व्यावहारिक रुप में जो क्रियान्वयन होना चाहिये, वह नहीं हो पाता है। इसकी मिसाल आपको शारदा सहायक खंड-45 में मिल जायेगी, वहाँ कुछ ऐसे कर्मचारी-अधिकारी हैं जो 10-10, 15-15 साल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कुंडली मारकर बैठे हैं और जो भी आपके द्वारा, आपके निर्देश पर यहाँ से सिल्ट सफाई के नाम पर खर्च जाता है, उसको ठीक से न करके खा जाने का काम करते हैं, इस पर आप नजर रखें। इसी तरह से शारदा सहायक खंड-45 में 2000-2001 में कि0मी0 16 से 200 मी, और कि0मी0 17 से 400 मी0 प्रधानों के माध्यम से सिल्ट सफाई कराई गई है, लेकिन इसका भी भुगतान नहीं हुआ है, बिचौलिये खा गये। मैं यह चाहता हूँ, आपकी मंशा तो साफ है, लेकिन जो धन का दुरुपयोग करने के लिये कुछ विभागीय लोग कुंडली मारकर बैठे हैं, इस पर अंकुश लगाने की व्यवस्था आप सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ मान्यवर, आपने कहा कि 97 किलोमीटर झीलों की सफाई भी किया है, लक्ष्य रखा है। आपके संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहूँगा। हमारे डलमऊ विधान सभा क्षेत्र में जड़सेल, मदुरा और गारौ झील हैं, इन झीलों के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन जून के महीने में भी जलप्लावित रहती है। मान्यवर, जब जून के महीने में यह स्थिति रहती है तो बरसात के महीने में क्या स्थिति रहती होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ और आपकी भी मंशा सिंचाई विभाग में सुधार करने की है तो आप कड़े कदम उठायें जिससे आपके निर्देशों को आपके मातहत भी फालो करें लेकिन इसके लिए आपने कोई ठोस कार्यवाई नहीं की है और उनसे कभी भी स्पष्टीकरण नहीं चाहा है, स्पष्टीकरण नहीं माँगा है कि जो यहां से निर्देश दिये जा रहे हैं उसका फालो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके लिए आपको समीक्षा बैठक करना चाहिए ताकि किसान जो इस प्रदेश और देश की जान है, किसान बहुल प्रदेश है, 80 फीसदी जनता किसान के रूप में खेती-बारी करती है, उसको सही मायने में लाभ होना चाहिए। यह जो सिंचाई विभाग की मंशा है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है इसलिए मैं माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात रख रहा हूँ और साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यह सुझाव है और इस पर अंकुश रखने के लिए और कड़े कदम उठायें जिससे प्रदेश के किसानों और जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके और साथ ही साथ जो बड़ी-बड़ी झीलें हैं यदि उनकी सफाई नहीं हो पा रही है तो बन्धा बना करके इसके पानी को कलेक्ट करना सुनिश्चित करें जिससे किसानों की सिंचाई की सुविधा को और बेहतर अन्जाम देने का काम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वर्माजी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*डा0 राम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने की अनुमति दी है, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने किसानों के लिए हितकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट पेश किया है और पिछले वर्ष से सारे प्रदेश में नहरों, रजबहों की मशीनों द्वारा जो सफाई करायी गयी है यह इस सरकार की देन है जबकि पिछली सरकारों के समय में मात्र घास और सिल्ट सफाई का काम कागजों पर ही हुआ करता था। इस वर्ष यह काम अच्छे हुए हैं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगे हुए जो नरौरा हेड वर्क है, जो निचली गंगा नहर क्षेत्र है वहाँ पर 28 वर्षो से सफाई नहरों और ड्रेनों की नहीं हो पाई थीं, 28 वर्षो बाद यहाँ साइफनों और नालों की सफाई हो सकी है इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई देते हुए अपने क्षेत्र के सुधारों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी और एल0जी0सी0 तथा पी0एल0जी0सी0 के बीच का कई हजार एकड़ भूमि सीपेज के कारण बहुत ही उपजाऊ थी, बेकार पड़ी दलदल का रूप ले चुकी है। मान्यवर, इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार कराई जाय। यहां के 20-25 गांवों के लोग पैदावार न होने के कारण आदिवासियों का जीवनयापन कर रहे हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित करें कार्य योजना तैयार करायें जिससे वहाँ की जमीन जो दलदल का रूप ले चुकी है वह उपजाऊ हो सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सुमेरा रजबहा है जिसमें कई वर्षो से पानी नहीं आ रहा है न ही इससे लगे हुये माइनरों की सफाई हो रही है, पानी न आने के बावजूद, किसानों से आबपासी ले रहे हैं। इस ओर विशेष ध्यान दीजिये मान्यवर, शाहगढ़ नगरिया, चहारम पट्टी, कासिमपुर, दभौर के कृषकों की सिंचाई की विकट समस्या खड़ी हो गयी है। मध्य गंगा नहर खण्ड-2 के कई रजबहे-ममोरी माइनर, छवीलपुर माइनर, मझौला माइनर, कनोवी माइनर तथा विरसुआ माइनर में टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धान की फसल अच्छी हो सकती है अगर टेल तक पानी पहुँच रहा है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धान की फसल अच्छी हो सकती है अगर टेल तक पानी पहुच जाय तो काफी धान की पैदावार हो सकती है। एक मोहकमपुर रजबहा है जो अतरौली रजबाहे से निकली है। बरला रजबहे की बेल्ट ऊँची होने से आजादपुर माइनर, दतावली माइनर में पानी नहीं पहुँच रहा है। माननीय मंत्री जी इसकी ओर ध्यान दें। इसके साथ ही माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई देते हुये तथा सिंचाई बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रामवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बी0आर0 वर्मा जी द्वारा रखे गये सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया है। मैंने पिछले वर्ष भी अपने जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना की ओर ध्यान आकर्षित किया था परन्तु माननीय मंत्री जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, भेदभाव नीति के चलते किसानों का शोषण होता है इससे जनहित के कार्यो में बाधा उत्पन्न होती है। सिंचाई मंत्री जी ने गत वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई नालों का जिक्र किया था। गोपालपुर रेगुलेटर से कानपुर, भोगनीपुर इटावा, ब्रांच निकलती हैं। इन तीन ब्रांचों में पानी का जलस्तर बरसात के दिनों में बढ़ जाता है तो आसपास के गॉव भयंकर तबाही के कगार पर पहुँच जाते हैं, जिससे जन सामान्य को हानि होती है। गरीब लोगों के मकान ढह जाते है जब उनके मकान ढहते हैं तो जन-हानि भी होती है। इसके अलावा आपके विभाग को भी लाखों 10-20 लाख रूपये का नुकसान होता है, नहर की पटरियां कट जाती है और उसकी मरम्मत कराने के लिए 10-20 लाख रूपये की खन्दक लगवानी पड़ती है। बरसात के दिनों में जब नहरों का संचालन होता है तो वह पानी गॉवों को तबाही के कगार पर पहुँचा देते हैं। असामान्य स्थिति पैदा होती जाती है। जिलाधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दिया और पिछले बजट सत्र में माननीय मंत्री जी आवा नाले के संबंध में आपसे कहा था और मान्यवर, आपने वह आश्वासन दिया था कि आवानाला 31 मार्च तक अवश्य पूरा करा दिया जायेगा लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हो सका जिससे मान्यवर, वहां के लोगों को काफी दिक्कत होती है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक और दूसरा नाला है भरेश नाला जिसके दूसरी तरफ अरिन्द नदी पड़ती है, तो मान्यवर, आपने इस नाले काफी पैसा भी लगा दिया है और काम अधूरा छोड़ दियाहै, इससे क्या फायदा हुआ मान्यवर, मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहूँगा हमारे वहां तीन नहरें बहती हैं जिनसे काफी मिट्टी का कटान हो रहा उस तरफ भी सरकार ले कोई ध्यान नहीं दिया है। इसकी शिकायत कई बार की गई हैं लेकिन आपके अभियन्ता अधिकारी उधर

जाते हैं लेकिन सिर्फ जांच पड़ताल करके लौट आते हैं, लेकिन उन नहरों के द्वारा जो पानी वहां भर जाता है उसकी जांच पड़ताल करने बावजूद भी वह सिर्फ झूठा आश्वासन देकर वहां से लौट आते हैं उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती हैं। हमारे यहां जो कानपुर ब्रांच है और भोगिनीपुर ब्रांच है उसकी पटरी ध्वस्त हो गयी है। आपसे मेरा निवेदन है कि नहरों की जो पटरियां हैं उनको पक्का कराया जाय। जसराना विधान सभा क्षेत्र में जो नहरें हैं उनके बंधों को पक्का किया जाय। नहरों की पटरियों के पक्का करने के संबंध में जो पक्षपात किया जाता है उसका नुकसान आपके विभाग को ही होता है आप देख ले कि जो आपके भागनीपुर के एक राज्य मंत्री है उनके वाहं तक तो निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है इस तरह से आपने 10 किलोमी0 क निर्माण कार्य पूरा करवा दिया है बाकी छोड़ दिया है, तो जो इस तरह का अधूरा कार्य कराया जाता हे उससे नुकसान तो राजस्व का हो होता आपके ही विभाग का नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्य करके पक्षपात का काम न करें और कहना चाहता हूँ कि ऐसा करके आपको क्या फायदा प्राप्त हुआ है?

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री रामबीर सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां नहरों के सारे पुल टूटे हुए हैं, कोई भी चारा इन पुलों से निकलने का नहीं है। अरिन्द नदी का पानी भर जाता है, नहरों का पानी भर जाते है जिससे कटान भारी पैमाने पर हो रहा है अरिन्द नदी की पटरियों पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें जिससे जनता को लाभ प्राप्त हो, आपके विभाग का फायदा हों, सेंगर नदी का कार्य भी अभी तक नहीं पूरा किया जा सका है। यदि आप इन नहरों का काम पूरा करवा दें तो लगभग 20 लाख रूपये की राजस्व प्राप्ति आपको हो सकती है, और वहां की सिंचाई व्यवस्था को भी लाभ प्राप्त होगा इसलिए आप ऐसा काम करें जिससे आपको लाभ हो, जनता को लाभ हो, राजस्व में वृद्धि हो, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, सिंचाई विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, यह देश एक कृषि प्रधान देश है ओर उसमें भी पूर्वांचल पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित क्षेत्र है। 1-2 परसेन्ट लोग नौकरियों और व्यवसायों से जुड़े है। बकिया कृषि पर आधारित है। मान्यवर, सिंचाई की व्यवस्था पर चिन्ता हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 6 रजवहा, 9 माइनर है चहां हेड से टेल पर पानी हमेशा पहुंचता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। मौर्या जी ने कहा कि रजबहों में से टेल तक पानी नहीं पहुँचता है। पुनः कहा हमारे यहां जून में हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी पानी नहीं आ रहा है तो टेल के किनारे हजारों-हजार एकड़ जमीन जलमग्न कैसे हो गई? मान्यवर, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होने का प्रमाण है। प्रतिवर्ष किसानों की उपज बढ़ती चली जा रही है इससे परिलक्षित होता है कि सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। नहरों की सिल्ट की सफाई की बात आयी। वर्मा जी ने चिंता व्यक्त किया है और यह कहा यह पहली सरकार है कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। मान्यवर, सचमुच पहली सरकार है, इसके पहले की सरकारों के द्वारा जो भी कार्य हुआ करता था मौके पर नहीं होता था पेपरों पर होता था। एक कहानी याद आयी है 1991-92 माननीय अखिलेख सिंह स0पा0 के विधायक थे, और मैं कभी विधायक था लाबी में बैठे थे, हाऊस चल रहा था। मैंने पूछा कि भइया हम देखतें हैं कि जो सत्ता पक्ष के मा0 मंत्री गण जो जवाब देते हैा प्रतिपक्ष में बैठे, सदस्यगण किस तरह से सुनते हैं किस तरह से उत्तर देते हैं, उन्होंने कहा भइया सत्ता पक्ष के सदस्य अगर आम को आम कहेंगे तो प्रतिपक्ष के लोग आम को आम नहीं इमली कहेंगे विपक्ष की भी सच्चाई स्वीकारना चाहिए।

मान्यवर, जो नहर जितनी मात्रा में स्वीकृत हुई है और जितना धन स्वीकृत होता है उससे जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है। मान्यवर, बंधों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल में महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। बजट में बंधों का प्राविधान किया गया है, ताकि बाढ़ को रोका जा सके। मान्यवर, ड्रेनों की सफाई की आज तक बजट में व्यवस्था नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे पतले-पतले ड्रेन है। ड्रेनों की खुदाई होती है और फसलों नहीं हुई है जिससे पानी खेतों के ओवरफूलों होता है और फसलों का नुकसान है। मान्यवर, छोटे ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र भैन्सी ड्रेन है। जब से खुदाई नहीं हुई। नहरों और रजवहों से पुल बने हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण किसान को खेतों पर पहुँचने के लिए 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है। नहरों और रजबहों पर फुटब्रिज की आवश्यकता है।

मेरे क्षेत्र में टेढ़वा नदी है। यहां पर तटबंध की आवश्यकता है। नदी का तल ऊपर है और उसके नीचे 4-5 गांव बसे हैं। अगर तटबंध 300 मीटर बना दिया जाय तो बाढ़ से बचाव होगा। अगर कहीं तटबंध टूट गया तो वहां के 4-5 गांव बुरी तरह से प्रभावित होंगे। मैंने मंत्री ती के संज्ञान में यह बात कई बार लायी है इस तरफ ध्यान देकर कार्यवाही कराये। मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आपके विभाग द्वारा नहरों के किनारे शीशम के पेड़ लगाये गये हैं इनकी देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लोग रात में इनको काट लेते हैं हमारे क्षेत्र में लोग इनको काट रहे हैं इस पर अंकुश लगाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं सिचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

* श्री तौफीक अहमद-

मान्यवर, आपने मुझे बरखूराम वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कई दिन की कोशिश के बाद, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझ जैसे अदना इंसान को इस सदन में बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कई मा0 सदस्यों ने इस पर तमाम बातों को रखा। इत्तिफाक से मैं जिस जिले से आता हूँ उसका नाम सिद्धार्थ नगर है। 6 महीने तक तमाम अंचल तहसीलें और ब्लाक जिला हेटक्वार्टर से कट आफ रहता है। इत्तफाक से सिंचाई मंत्री जी सिंचाई, सड़क और हायर-एजुकेशन को देखते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वह सूबे में सिंचाई व्यवस्था में बहबूदी और बेहतरी लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने एक मीटिंग 27 मार्च को बुलायी थी जिसमें जन प्रतिनिधि और अधिकारी थे। बस्ती डिवीजन में बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर आते हैं। इत्तफाक से मंत्री जी का मेरे जिले से बड़ा गहरा रिश्ता है। मैंने उस मीटिंग में कहा था, मेरे डुमरियागंज तहसील में तमाम नहरों का जाल बिछा है। इत्तफाक से इनके विभाग के डिवीजन जो है कोई गोण्डा में, कोई बलरामपुर जिले में और कोई बस्ती जिले में और कोई संतकबीर नगर में हैं। एक जनप्रतिनिधि कितने हाथ पांव कर सकता है कि वह 5-6 जिलों में अपने काम के सिलसिले में अधिकारियों के पास दोड़ने के लिये वक्त निकाल सके। मैंने इस संबंध में मंत्री जी को पत्र लिखा था और उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भी लाया था कि कम से कम एक जिले में इन सारे डिवीजनों को कर दिया जाय ताकि बहुत ज्यादा दौड़ भाग न करनी पड़े। मेरे जिले के वार्डर पर जो नहरें हैं 8 कि0मी0 9 किमी0 हैं, उसकी बस्ती जनपद में कर दिया जाए न जाने किस हालात में वह लटके हैं। कुछ नहीं हो पा रहा है। हाय तोबा तब मचती है जब बाढ़ आती है तब मंत्री जी हेलीकाप्टर से पहुचते हैं हम और अधिकारी तो वहाँ परेशान रहते ही हैं जन सामान्य तबाह हो जाता है। जब योजनाएं बनाएंगे तब उस वक्त दूर अंदेशी से काम न करके हर जगह नहरें बना दी पानी निकलने का कोई जगह नहीं बनाई, साइफर रेगुलेटर नहीं बनाए बरसात का पानी व बाढ का पानी से वाटर लागिंग हो गई। पानी की जो नहरें बनी हैं इसमें पानी के निकासी का साधन बनाया जाए मंत्री जी से गुजारिश है कि वह रहम दिल से काम लेने की कोशिश करें यह कहा जाता है कि डेढ़ कि0मी0 से पहले दूसरा पुल नहीं बना सकते हैं तीन कि0मी0 से पहले दूसरा साइफन नहीं बना सकते हैं किसानों की जमीन ले ली गई उनको मुआवजा नहीं दिया गया मेरे गांव विधरिया में पम्प योजना में मेरे गांव की जमीन वगैर मुआवजे के ले ली गई गांव के किसानों को उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहर की पम्प योजना से एक कतरा पानी नहीं दिया जा रहा है उनके आवागमन के लिए जहां श्मसान पड़ता है, कब्रिस्तान पड़ता है, कर्बला पड़ता है एक सीट ब्रिज के लिए कहते रहे पत्र भी लिखा कि एक ब्रिज बना दे लेकिन नहीं बनाया गया। आप एक समिति बना दें उन जिलों में जहां बाढ़ से तबाही हो खासकर पूर्वांचल के लिए बस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर महराजगंज, बलिया, देवरिया, गोरखपुर आदि के तब कोई बात कही जाती है तो उस पर आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन अमल नहीं होता है। आज तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको 8 साल पहले 10 करोड़ में बनना था आज वह 25 करोड़ में पहुँच गए हैं। अगर किसी नहर का खुदाई का काम होना होगा तो अगर 5 कि0मी0 में खुदाई का काम होना हो तो एक कि0मी0 में खुदाई का काम होगा 4 कि0मी0 में मिट्टी पड़ी रहेगी. किसानों के ट्रैक्टर काम करेंगे न वह जमीन किसानों के इस्तेमाल में रह जाती है न वह सिंचाई विभाग के इस्तेमाल में रह गई इससे किसान का कितना नुकसान होता है उनके लिए क्राइसेस और बरबादी हो रही है। आपने ड्रेनेज विभाग खोल रखें हैं उनके किसी अधिकारी का पता नहीं चलता एक अधिकारी चीफ इंजीनियर वी0के0गुप्ता हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में वह दौरे पर आए थे उनके साथ उनके ए0सी0 भी थे लेकिन ड्रेनेज विभाग का कोई भी आदमी नहीं था चीफ इंजीनियर साहब तलाशते रहे लेकिन नहीं मिल सके। यह तमाम समस्याएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे साथी राम ललित चौधरी जी ने कहा कि पी0डब्लू0डी0 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है सिद्धार्थनगर में ज्यादा है तो सिद्धार्थ से एक डिवीजन तोड़कर बस्ती जिले में मिलाएं। बस्ती तो मण्डल का मुख्यालय है वहां तमाम अधिकारी बैठते हैं उसके बाद भी हमारे चौधरी साहब का पेट नहीं भर रहा है। बस्ती जिला सिद्धार्थनगर जिले में एक भी असिस्टेंट इंजीनियर नहीं है काम चले तो कैसे चले? मेरे एक और गुजारिश है कि चौधरी साहब हमारे बड़े भाई हैं उनकी बातों पर ध्यान न देकर हम छोटे कार्यकर्ताओं पर ध्यान दीजियेगा और हमारे विधान सभाक्षेत्र में एक ही जिले से सारा काम लेने की कोशिश कीजिए। हम प्रतिनिधि लोग कहाँ कहाँ तक किस किस डिवीजन में जायेंगे इतना तो हमें टीएडीए भी नहीं मिलता। अपनी बात को खत्म करते हुए मैं श्री बरखूराम वर्मा जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ। एक शेर अर्ज है-- "खुदा जाने मेरी बर्बादियों में हाथ किसका है, मगर सब सुनने वाले आपका ही नाम लेते हैं।"

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे माननीय मत्री जी ने सृजित सिंचाई सुविधाओं का समुचित रखरखाव एवं सिंचाई क्षेत्र में पुनर्गठन का कार्यक्रम चलाया है सराहनीय है और एआईबीपी एवं आरआईडीएफ के माध्यम से जो अधिक संस्थागत वित्त प्राप्त करने की योजना है सराहनीय है, विश्व बैंक की सहायता से एक बृहद परियोजना भी कार्यान्वित की जायेगी जिसकी मैं सराहना करता हूँ। किसानों और सिंचाई विभाग के बीच बेहतर तालमेल के लिए जन सहभागिता प्रवर्धन को लागू किये जाने का कार्य भी बहुत सराहनीय है। माननीय मंत्री जी ने एक अक्टूबर 2000 से 28 फरवरी 2001 के मध्य 27500 किलो मीटर नहरों की सिल्ट सप्लाई का कार्य कराया, प्रदेश में बाढ़ एवं जल प्लावन से सुरक्षा एवे जल निकासी परियोजनाओं के लिए 47.51 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निर्माण कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के पुनरीक्षित 765.45 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2001 2002 हेतु 991.30 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में बृहत एवं मध्यम वाह्य सहायता कार्यो हेतु 150 करोड़ रूपये, नाबार्ड पोषित कार्यो हेतु 145 करोड़, त्वरित सिंचाई लाभ के कार्यो हेतु 350 करोड़ का प्राविधान, बाढ़ नियंत्रण कार्यो हेतु 29.39 करोड़ की व्यवस्था की है यही नहीं आप द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध जो अभियान चलाया गया है उससे इस विभाग की छवि सुधरी है। मैं कुछ निवेदन और करना चाहता हूँ हमारे यहाँ गोकुल बैराज पूर्ण हो गया है मंत्री जी से निवेदन है कि उसका लोकार्पण करने हमारे यहाँ जरूर आयें। गोबर्धन ड्रनराला ड्रेन तथा मथुरा स्केप हेतु धन की व्यवस्था करने पर आपको मैं बधाई देता हूँ। मथुरा में लोअर कैनाल में पानी की सुविधा के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री अरिमर्दन सिह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय बरखू राम वर्मा जी द्वारा इस पर रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड में महोबा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन है और कोई ट्यूबबेल नहीं है। यहां बड़े बड़े चन्देल कालीन तालाब हैं जिनमें सिल्ट जमा हो गया है और जिनको गहरा किया जाना आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने तालाबों को गहरा करने के लिये पैसा दे दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पैसा अभी तक नहीं आया है। या तो पैसा आया नहीं है या फिर आ गया है तो काम क्यों नहीं शुरू कराया जा रहा है। टैंक कब खुदवाये जायेंगे? जब बरसात आयेगी तब एक और तालाब खुदवायेंगे दूसरी ओर बे बरसात के पानी से भर जायेंगे। अगर पैसा गया है तो समय से काम होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र समेत पूरे जनपद में छोटे-छोटे चैक डैम बनाये जाने की बात कही है। अगर मान्यवर, कथनी और करनी में अन्तर नहीं है तब ही कोई काम हो सकता है। मेरे विधान सभा के क्षेत्र में पिपरामऊ की जमीन पर उर्मिल बांध बनाया गया है जो कि महोबा के लिये वरदान है जिस जमीन पर यह बनाया गया है उसकी शेष बची जमीन कृषि योग्य है लेकिन सिंचाई से वंचित है। इस जमीन का स्तर ऊंचा है लोगों को पानी नहीं मिलता है वे लोग दूर से ही भरे पानी को देखते हैं लेकिन उनको पानी सिंचाई के लिये मिल नहीं पाता है। पम्प कैनाल के 6 पम्प 1994 से बेकार पड़े हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पिपरामाफ के पास इन्टेक बेल बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि यह लिफ्ट योजना वहां लागू कर दें ताकि किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिल सके। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुख्य नहर से 7.20 किमी0 नहर निकाल दी है। बरसात के पानी को छोटे-छोटे बन्धों में भरकर गांव में सिंचाई हो सकती है। माननीय मंत्री जी खेद का विषय है कि अधिशासी अभियंता द्वारा सिंचाई प्रखण्ड मोदहा बांध, उर्मिल बांध में क्रमश: सिक्योरिटी 50 प्रतिशत कमीशन देते हुए रिलीज कर दिया है। यह ग्रामों के पुनर्वास का पैसा है। जिनको पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। वह अधिकारी आपके जो हैं मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इतने कर्मठ, बहादुर, ईमानदार मंत्री हैं। हमारे बुन्देलखण्ड में आपने सिंचाई के लिये जो पैसा दिया है लेकिन उससे काम नहीं कराया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि पैसा अगर नहीं गया है तो जल्दी भिजवाने का काम करें और चला गया है तो काम कराये जाने के लिए निर्देश दें ताकि बरसात शुरू होने से पहलें वहां पर कार्य हो सके। इन्ही शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री बेचन राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं बजट का समर्थन करता हूँ। सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई विभाग का बजट और बाढ़ से संबंधित बजट सदन में रखा है। मान्यवर, कृषि की ऊपज सिंचाई के संसाधनों पर निर्भर करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तबसे माननीय सिंचाई मंत्री जी इस पद पर आसीन है तबसे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आपके कुशल प्रबन्धन में सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो रही है, नहरों के माध्यम से, 32 हजार सरकारी नलकूपों के माध्यम से जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण भारत में अन्न उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। मेरे क्षेत्र में कुछ रजवहे हैं कुछ नहरें हैं मेरे क्षेत्र की नहरें काफी दूरी से चलकर मेरे क्षेत्र में पहुँची हैं। फिर भी नहरों की सफाई समय से पहले होने के कारण पानी टेल तक पहुँचता है और किसान समय से खेतों की सिंचाई करते हैं। मान्यवर, बुंदेला बाजार के विधान सभा क्षेत्र में चाहे धान की फसल हो, चाहे तिलहर की फसल हो चाहे गन्ने की फसल हो बहुत अच्छी होती है। मान्यवर मेरे क्षेत्र में नदियां राप्ती गोदावरी हैं माननीय मंत्री जी ने क्षेत्र का दौरा कई बार किया मंत्री जी के कुशल प्रबन्धन के नाते प्रमुख सचिव का दौरा कई बार हुआ, सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ौरा हुआ। 1998 की बाढ़ प्रलय के रूप में आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से ुशलतापूर्वक बाढ़ पीड़ितों का सहयोग किया और बाढ़ विरोधी कार्यक्रम किए जिससे लोगों के जान-माल ी सुरक्षा हुई। फिर बाढ़ समाप्त होने के बाद माननीय मंत्री जी के कुशल प्रबन्धन में कटे बंधों की मरम्मत ई। हम लोगों के क्षेत्र में सुधार हुआ। अब बाढ़ आने वाली है 15 जून तक बंधों को ठीक करा लिया ाएगा। हमारे यहां सिंचाई विभाग का कोई प्रमुख अभियन्ता नहीं हैं यथाशीघ्र इस पर किसी की नियुक्ति हो ाए ताकि प्रमुख अभियन्ता से मुलाकात हो सके और समस्याओं का निपटारा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूँ।

ी राम ललित चौधरी-

मान्यवर, माननीय बी0आर0 वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन रते हुए चन्द मिनटों में चन्द सुझाव देते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जो चिट्ठियां हम लोग ाननीय मंत्री ती को भेजते हैं मंत्री जी उनका समय से जबाव देते हैं कि अमुक अधिकारी के यहां पत्र ापका भेज दिया गया है, उसके बाद पता नहीं चलता वह पत्र कहां चला जाता है, पत्र का अन्त तक पीछा रने के लिए कोई युक्ति मंत्री ती बता दें कहां पत्र जाता है? मान्यवर, मंत्री ती ने तस्लीम किया है नेपाल पानी सिद्धार्थनगर बस्ती, गोरखपुर, देवरिया आदि से चलता हुआ चुपके से घरों में घुस जाता है लोग ोते रहते हैं। पता ही नहीं चल पाता पानी आ जाता है। मैं यह नहीं कहता कि इंडिया नेपाल के बार्डर पर ा बना दें लेकिन बस्ती डुमरियागंज इटवा मार्ग में देईपार से आगे जल निकासी के निए प्रबन्ध करा दें। . मीटर की पुलिया बनवा दें। लुम्बनी दुद्धी मार्ग मानिक चन्द्र चौराहे से आगे वालिडीहा के पास बस्ती ावल मार्ग, वाघनगर से आगे जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है पुलिया पुरानी हो गई है फसल तेग्रस्त हो जाती है मकान गिर जाते हैं लुम्बनी दुद्धी मार्ग मालिक चन्द्र चौराहे से आगे वालिडीहा के पास स्ती मैदावल मार्ग बार्घनगर पर जल निकासी नहीं होती है। यहाँ पर जल भराव रहता है। आपसे अनुरोध कि वहाँ पर 12 मीटर की एक पुलिया बना दी जाय। मान्यवर, यदि यह पानी रूक जायेगा तो गॉव में नी भर जायेगा और उससे फसल क्षतिग्रस्त हो जायेगी। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूँगा कि नहरों साइफन की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी नहर अण्डर कन्स्ट्रक्शन है जहाँ-जहाँ आवश्यकता हो साइफन गाया जाय। जो नहरें खोदी जा रही है हम लोग नहीं जानते हैं कि उसके मानक क्या है। नहर मानक के नुसार नहीं खोदी जा रही है और उससे सीपेज की समस्या उत्पन्न हो जायेगी उनके लिए भी माननीय ी जी निराकरण करेंगे। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जो ग्राम समाज की जमीन है जो नहर जाती है ाका मुआवजा ग्राम समाज या ग्राम प्रधान को मिलना चाहिए। मान लीजिये चार बीघा जमीन है वह नहर गयी तो उसका मुआवजा पता नहीं कहाँ चला गया यह पता नहीं चल पाता है कायदतन उसका मुआवजा त्र में जाना चाहिए। चौथा मेरा सुझाव यह है कि चकबन्दी विभाग और सिंचाई विभाग में को-आरडिनेशन ा चाहिए। यह न होने के कारण बहुत लोगों की पूरी की पूरी जमीन निकल जाती है एक फुट भी जमीन ीं बचती जो मुआवजा आप दे रहे हैं वह काफी नहीं है। इन्हीं चन्द सुझावों के साथ मैं माननीय बी0आर0 र्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

ा0 पूर्णमासी पंकज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में नने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि-

"चारों तरफ नहरों का बिछा पूरा जाल है
हर खेत को पानी मिले इसका ख्याल है,।
सारी नहरों में पानी पहुंच रहा टेल तक.

त्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छी व्यवस्था से किसान मालामाल हैं।
किसानों का है रखा पूरा ध्यान बजट यह.
किसानों का कर रहा है कल्यान, बजट यह।
बंधा बना कर जल प्रबंधन किया जा रहा,
पूरे प्रदेश का करेगा उत्थान बजट यह।
हम तो ड्रेन नहरों की सफाई में लगे,
असिंचित सभी खेतों की सिंचाई में लगें।
शर्म नहीं आती जो हल्ला मचा रहे,
जो लोग पूरे जोर से सिंचाई में लगे।
अंत में माननीय वर्मा जी से यह कहना चाहूँगा कि-
कटौती आप कर रहे हैं किस विचार से
नाराज किसानों से है या मेरी सरकार से
कटौती वापस लें वरना मुंह दिखायेंगें कहाँ.
निवेदन है हमारा श्री वर्मा बी0आर0 से।"

इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में नहरों, अल्पिकाओं, रजबहों में सफाई के नाम पर घपला हुआ है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, एक दूसरा महत्वपूर्ण बजट भी लगा हुआ है।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, सिंचाई विभाग का बहुत महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा चल रही है वैसे ही आप देख लें इधर बहुत कम सदस्य है सत्ता पक्ष को बहुत जल्दी है तो हम वर्मा जी से कहेंगे कि हम लोग चले जाते हैं और आप बजट पास कराकर चले जायें जिनको रेलगाड़ी की रफ्तार से जाना है वे चले जायें। तीन बजे से यह शुरू हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

एक बजकर चौंतीस मिनट से शुरू हुआ है।

संसदीय कार्य पंजीयन एवं स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (हुकुम सिंह)-

"आप चले जाना शान्ति से लेकिन इनके पास होने के बाद।"

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, मैं अपने जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीर गंज के संबंध में कहना चाहता हूँ सिंचाई विभाग का अभियंता खण्ड टांडा हैं। मान्यवर, यहाँ नहरों, अल्पिकाओं की सफाई, माइनरों की सफाई, रजवहों की सफाई में काफी घपला हुआ है मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाँगीर गंज के संबंध में टांडा के विधायक, अकबरपुर के विधायक टठहरी के विधायक हम सबने लिखित रूप से किया था मंत्री जी को कि सिंचाई विभाग टांडा के अधिशासी अभियंता को यहाँ से हटाया जाये वह हटाये गये लेकिन उनको पुन: 6 महीने बाद उन्हें वहाँ रख दिया गया हम लोगों को बहुत दु:ख है। मान्यवर, 40 लाख रूपये मेरे क्षेत्र में नहरों की सफाई के नाम पर गये लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वह पैसा केवल कागजों पर खर्च हुआ सफाई पर नहीं। मैंने शिकायती-पत्र भी दिया था मंत्री जी को और 2 अप्रैल की प्राक्कलन समिति की बैठक में प्रमुख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सचिव जी को पत्र दिया था कि वहाँ सफाई नहीं हुई है आप जांच करा लें सर्वे करा लें उन्होंने हमें समय दिया लेकिन आज तक नहीं गये। फैजाबाद के अधीक्षण अभियंता से भी कहा कि जहांगीरगंज में 040 से 060 केवल घास छीलकर वह भी ठीक तरह से नहीं धन निकाला गया उसकी शिकायत डी0एम0 से की गयी डी0एम0 ने एस0डी0एम0 को मौके पर भेजा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दोषी पाया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे हम लोगों को कष्ट है उसी तरह से मकाई नाहर में सफाई कागजों में हुई है आप मौके पर जांच करा लें इसी तरह से शिवतारा रजबहा है सफाई दिखाई गयी लेकिन टेल तक पानी नहीं पहुँचा वही हालत मकाई की है उसकी जांच करा लें मान्यवर, इसका अधिशासी अभियन्ता स्वयं ठेकेदारी करता है जिसकी शिकायत मैंने कई बार की मान्यवर, आज वहाँ पुलियों की समस्या है जितनी पुलियां बनी है वह पुराने समय की मैं उसको चौड़ा करवाया जाये आज आबादी बढ़ गयी है। नहर, माइनर रजबाहों पर पुलिया नहीं है इसका सर्वे करा लें हम लोगों का साथ ले लें और जहां पर पुलिया की आवश्यकता है वहाँ पर पुलिया बनवाने का काम करें। 1 माइनरों और नहरों को जो 1000 किमी0 तक बनाने का वादा किया था वह अधूरा है। जो आधी अधूरी बनी है उनका भी भुगतान नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उसे भी आप दिखवा लें। इसके साथ ही मैं माननीय बी0आर0वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का बल देता हूँ।

डा0 अरविन्द कुमार जैन-

मान्यवर, हमारे माननीय वर्मा जी ने कहा कि पूँछ तक पानी नहीं जाता हम कहते हैं कि इनका भी शासन रहा है इन्होंने तो पूँछ तक पानी नहीं बहाया। हम तो इंतजाम कर रहे हैं। देखिये, 25 साल से योजना चलायी हमारे कांग्रेसी भाई भी रहे हैं वह योजना आज तक पुरातत्व विभाग की सम्पत्ति बन गयी।

(भावना के मध्य सदस्यों द्वारा टोका-टाकी एवं हंसी से व्यवधान)

हम भी दिन भर बैठते हैं, आपको सुनना पड़ेगा आप तो बोलते हैं हम सुनते हैं। आज हमारे माननीय मंत्री जी ने तमाम योजनायें शुरू कर दी हैं। ललितपुर जे0पी0सी सन् 74 में डायवर्ट की थी कांग्रेसी बंधुओं ने, कुंवर साहब भी रहे हैं, चली कब जब मंत्री जी ने हाँ की। 41 करोड़ रूपये खर्च हुए कार्य के, उसका फायदा क्या हुआ 23,000 हेक्टेयर की सिंचाई मिली, हमारे यहाँ ललितपुर में जितने गाँव है सबके लिये सिंचाई मिली, पानी मिला। कुंवर साहब चलकर देखिये जो काम हुआ है। वहाँ जितनी भी योजनायें माननीय मंत्री जी को मैंने दी उन्होंने सोचा, क्यों कि ऐसी योजना दी, 2 लाख का खर्च हो और 2 करोड़ की आमदनी, यह ऐसी योजना दो तो मंत्री जी मानेंगे आप हल्ला करते हैं कि नहीं चलेगी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं आपने एरिया में जाकर देखा कि क्या काम चल रहा हैं जाकर देखें (व्यवधान)

मान्यवर, आज भी ललितपुर जिला यू0पी0 के अंदर नंबर दो की गल्ले की मण्डी है, सिंचाई के कारण, 11 दिन पूरे यू0पी0 को खाना दे सकता है हमारा जिला एक माह का खाना देंगे यह सिंचाई विभाग की उपलब्धता है। ये कहते हैं कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी हमारी सरकार तो इसे सही में करती हैं इनका तो हाल यह था कि एक हाथ में डण्डा और एक हाथ में मुण्डा। इनकी सरकार का यह हाल था। (व्यवधान)

हम 10 घण्टे आपको सुनते हैं आप एक मिनट हमें नहीं सुनना चाहते। जो योजनायें हमारे यहाँ चली है उसमें पारदर्शिता है। नहरों में सफाई नहीं हुई तो क्या मंत्री जी सफाई करोंयेगे हम एम0एल0ए0 थे एक घुड़की दी सफाई हो गयी। यह पता नहीं क्यों अधिकारी से दबते हैं हमने सिंचाई मंत्री से कभी नहीं कहा खुद खड़े होकर कहा क्यों नहीं सफाई हो रही है, सफाई हुई आपने आत्मबल नहीं है आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सिंचाई मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने का आपने अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आपका तो एक रूपये का बजट है, कोई विदेशी देखेंगा तो हंसेगा जहां अरबों रूपये का काम है, वहाँ एक रूपये का बजट दे रहे हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है, यह सोचने की बात है। यह लोग दिमाग शून्य हैं। इसी के साथ गीता का एक श्लोक कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा "सत्यम् ब्रूयात,

प्रियम ब्रूर्यात, न ब्रूर्यात सत्यम अप्रियम" इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री रामाधार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय श्री वी0आर0 वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, 17 जून, 1999 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी हमीरपुर दौरे पर गये थे, वहाँ उन्होंने 3 लिफ्ट कैनालों की घोषणा की थी जिसकी क्रम संख्या क-29/99/4848832921 है, इसके अन्तर्गत उन्होंने 3 लिफ्ट कैनालों की घोषणा की इसमें पहली सरीला विकास खण्ड में वेतवा नदी पर भेडी जलालपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना थी, जिसकी लागत 401 लाख 30 हजार थी। दूसरी परियोजना वेतवा नदी पर गोहाण्ड विकास खंड में मगरौठ थी, जिसकी लागत 624.81 लाख थी और इसी प्रकार तीसरी परियोजना यमुना नदी पर कुरारा विकास खंड में भीतरी बिलोटा थी, जिसकी लागत 494 लाख थी। इसके संबंध में सचिव, मुख्यमंत्री श्री डी0के0 कौटिया ने प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को निर्देशित किया था कि उपर्युक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा अनुभाग को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें। यह जो पत्र उनको भेजा गया, इसकी संख्या 179(1)/घोषणा/क-29/99 दिनांक 23-6-99 है। परन्तु इसको 2 साल हो गये लेकिन अभी तक बजट नहीं गया, न काम की शुरू हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसका बजट दें दें। अगर इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री की घोषण का पालन नहीं हुआ तो इस सदन की गरिमा क्या रहेगी?

मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि सिंचाई में क्षेत्रीय असंतुलन है। बुंन्देलखंड में 34 प्रतिशत, पूर्वांचल में 59 प्रतिशत, मध्य में 62 प्रतिशत और पश्चिमी क्षेत्र में 83 प्रतिशत सिंचाई होती है। बुन्देलखंड के लिये सिंचाई सुविधायें बढ़ाये जाने की बहुत आवश्यकता है। यों तो पूरा बुन्देलखंड सिंचाई के मामले में सर्वत्र पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें भी जिला महोबा का चरखारी क्षेत्र और हमीरपुर का राठ क्षेत्र और भी ज्यादा पिछड़ा है। यहाँ केवल 20 प्रतिशत ही सिंचाई होती है। मान्यवर, इस क्षेत्र की सिंचाई लहचूरा बांध से होती है। यह लहचूरा बांध सन् 1905 में बना था, यह बहुत पुराना बांध है जिसमें पुराव हो गया है और पानी का ग्राह्य क्षमता बहुत कम हो गई है, अब पहले की अपेक्षा आधी भी सिचाई नहीं होती है। यह बांध कमजोर भी हो गया है और कभी भी टूट सकता है, जिससे जन धन की हानि हो सकती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये सन् 1980 में उस समय की सरकार ने वहाँ उसके नीचे 5 किमी0 नीचे नवीन लहचूरा बांध बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसका कार्य सन्1981 में शुरू हो गया था, इस पर 2 करोड़ रूपया खर्च भी हो गया था किन्तु सन्1982 में इतनी बाढ़ आई कि जितना ऊँचा बांध बनाने की योजना थी, उससे कही ज्यादा पानी आ गया, जिससे वह योजना फेल हो गयी और काम बन्द हो गया।

मान्यवर, उसके संबंध में लगातार 2 लाख से सरकार से सदन में आपके माध्यम से बांध बनाने की मांग करता चला आ रहा हूँ। मैंनें प्राक्कलन समिति से इस बांध के संबंध में जानने के लिये पूछा था तो अवगत कराया गया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्तावित है और 110 करोड़ की योजना है जिसको 2001-2002 में शुरू किया जाना प्रस्तावित है, इसमें 2/3 भाग केन्द्र सरकार को देना है और 1/3 भाग प्रदेश सरकार को देना है जिसकी स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसकी स्वीकृति के लिये वरीयता के आधार पर प्रयास किया जाय।

मान्यवर, आपने निसंदेह ट्यूब्बेलों के तालाबों को भरवाने के लिये यहाँ से निर्देश लिये थे, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन मेरे राठ विधान सभा क्षेत्र में एक भी तालाब भरे नहीं गये हैं। मैं इस संबंध में आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में पुन: निर्देश देकर तालाब भरवाने का काम करें, वहाँ पानी की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

त्राहि-त्राहि मची है, जानवरों के लिये घास की बड़ी समस्या है। इसी के साथ मैं माननीय वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय श्री बरखू राम वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, ज्यादा समय नहीं लूंगा 2-3 बातों में अपनी बात खत्म कर दूँगा मान्यवर, आप भी भिज्ञ हैं और पूरा सदन भिज्ञ है कि सिंचाई की समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए एक सिंचाई बौछार परियोजना भी प्रारम्भ की गयी है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उत्तर प्रदेश में कितना धन खर्च किया गया। मान्यवर, मुझे जानकारी है कि जिस लक्ष्य के लिए यह परियोजना प्रारम्भ की गयी थी वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस परियोजना को भी दिखवा लें और सुनिश्चित करवा लें कि कहीं किसी स्तर पर गड़बड़ी तो नहीं हुई है।

दूसरा सुझाव यह है कि हमारी नहरें सौ, डेढ़ सौ वर्ष पहले की बनी हैं, मेरा कहना है कि यह जो वर्तमान में ढांचा है, वह ढांचा ही सुरक्षित बना रहे, नई नहरें न खोदें, नए पुल न बनायें लेकिन जो रजबहे हैं उनके मध्य में आवागमन के लिए जो पुलियाँ बनी थी वह बहुत सी क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, टूट गयी हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से सुझाव है कि वह पूरे प्रदेश में इसके लिए एक सर्वेक्षण करा लें ताकि यह पता लग जाए कि यह कौन-कौन सी पुलियां है जो टूटी हुई हैं और इससे आवागमन अवरूद्ध हो गया है।

तीसरी बात यह है कि एक रिट याचिका दायर की गयी थी, रिट याचिका 309/2001 एन0सी0 माहेश्वरी बनाम स्टेट इसमें माननीय न्यायलय ने आदेश दिया था कि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का पद 25 दिन के अन्दर भर दें तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का एक्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि यह अभी तक क्यों नहीं हुआ, सम्भवत: उत्तर भाषण में मंत्री जी इसे भी बताने की कृपा करेंगे। मान्यवर, जो मैनपुरी जनपद में बेबर फीडर में एंक परियोजना है यह कहा जाता है कि यह परियोजना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है लेकिन मुझे जानकारी है कि वह वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रही है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ये इसकी जॉच करा लें कि उसमें कहा पर टेक्निकल डिफेक्ट है जो पानी को फीड करने की परियोजना है वह फीड नहीं हो रहा है। अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देकर सरकार और सदन को गुमराह कर दिया जाता है। मान्यवर, बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं एक-दो की बातें पहली बार अपने क्षेत्र की माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ग्राम सुल्तानगंज में ग्राम नगला धौकल मौजा तिसौली के पास महदवा माइनर की पुलिया एवं इसी ब्लाक में भोगॉव माइनर में ग्राम छाछा सुलखनपुर के मध्य टूटी पुलियों का पुनर्निमाण करवा दें। छोटा सा बजट है, मंत्री जी की कृपा होगी यदि इन पुलियों का पुनर्निर्माण करा देंगे। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस सिंचाई विभाग के बजट के डिबेट में कुल 18 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। किसी ने किसी रूप में सभी माननीय सदस्यों ने जो सिंचाई विभाग की कमी है, टेल तक पानी पहुँचने की, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कमियों को दर्शा कर मेरे द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके औचित्य को सिद्ध करने का काम किया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो प्रयास है उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। एक काम इन्होंने अच्छा शुरू किया है पत्र लिख करके जहॉ पर पैसा जा रहा है वहॉ के माननीय सदस्यों को अवगत कराने का, मंत्री जी माननीय सदस्यों को अवगत करा रहे हैं। पारदर्शिता का जो सिद्धान्त है उस दिशा में अग्रसर होकर जो काम शुरू किया है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ।

मान्यवर, आप चिट्ठी लिखते हैं और हम लोग जो कमियां होती हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, आपकी तरफ से लिखकर आता है कि अमुक अधिकारी तक आपका पत्र कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है उस पर कार्यवाही हो इसके लिए मेरा सुझाव है कि उन पत्रों को कम्प्यूटर में फीड कराकर समय-

समय पर उसकी मानीटरिंग कराने का कष्ट करें जिससे कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तभी मकसद हल हो पायेगा। आपने इस बात को स्वीकार किया कि यमुना नदी में हम पानी नहीं दे पाये हैं। यह भी एक स्वस्थ परम्परा का परिचायक है इसके लिए भी बधाई दूँगा जब तक हम स्वयं से अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे, कमियां दूर नहीं हो पायेंगी। नहरों की सफाई सभी प्रयास किया गया है। सभी सदस्यों ने अवगत कराया है कि यह एक सराहनीय कदम है। जल भराव दूर करने के लिए जो आपने ड्रेनों की सफाई के लिए पैसा दिया है वह अपर्याप्त है। मान्यवर, एक मिलियन वेल स्कीम थी जिसके माध्यम से सभी माननीय सदस्य ड्रेनों की सफाई करा लेते थे। यह स्कीम समाप्त हो जाने के बाद ड्रेनों की सफाई के लिए कोई पैसा नहीं रह जाता। अब इनकी सफाई विभाग के माध्यम से ही सम्भव हे और इसके लिए जो पैसे का प्राविधान किया गया है वह बहुत कम है इसमें पैसा बढ़ाना चाहिए।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि कटौती रख रहे हैं, जबकि आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं)

कटौती रखना लोकतन्त्र में परम्परा है, लोकसभा और विधान सभा की परम्परा है उसका अनुपालन किया जा रहा है। वित्त मंत्री जी चले गये वर्ना मैं उनसे भी अनुरोध करता इसमें पैसा बढ़ाना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि सिंचाई विभाग को जितना पैसा दिया है वह बहुत कम है इसका तीन-चार गुना पैसा दें ताकि सिंचाई की जो अधूरी परियोजनायें है वह एक वर्ष में पूरी हो सके। तभी सही माने में प्रदेश का नेतृत्व करने वाला किसान का बेटा होगा। 10वीं0 पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया। नदियों में पानी नहीं है बरसात के पानी का उपयोग करने के बारे में योजना बना रहे हैं। यह अच्छा होता कि अपने रहते हुए इसके बारे में कुछ धन की व्यवस्था कराकर इस दिशा में अग्रसर हो पाते। बुन्देलखण्ड के बारे में जिक्र किया पूरे प्रदेश को पानी की आवश्यकता है। बरसात के पानी के बारे में मेरा सुझाव है कि जितने पोखरे, ताल, झील हैं स्वायल इरोजन के कारण उथले हो गये हैं उनकी खुदाई करके जल संचय करके सिंचाई के काम में ला सकते हैं। इससे बहुउद्देशीय काम होगा, ग्राउण्ड वाटर ऊपर आयेगा, मत्स्य वलिंन के लिए उपयोग हो सकता है तथा आन्ध प्रदेश की तरह इसके ऊपर कुक्कुट पालन भी किया जा सकता है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए धन की कमी बाधा रही है। जो गॉव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के पास एस0आर0आई और जे0आर0आई रोजगार ओरिपेन्टेड स्कीमों का पैसा नाली और खड़ण्जे में 10-15 सालों से खर्च हो रहा है अब गांवों में काम अवशेष नहीं है और उस पैसे का दुरूपयोग हो रहा है।

मान्यवर, कच्चे काम, तालाब, तालाब, पोखरों की सफाई के संबंध में एक स्कीम बनाकर कार्य किया जाय, पक्के काम शुरू कराने का निर्णय हो और हर गांव में पंचायतघरों का निर्माण किया जाय और इन स्कीमों का पेसा रोजगारपरक योजनाओं में लगाया जाय। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि स्थानातरण की प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार करना होगा। जो स्थानातरण वर्षो से लम्बित पड़े रहते हैं और इसमें जो आपके प्लानिंग इजीनियर और डिजाईनिंग इजीनियर है, अक्सर देखा जाता है कि वह 25-25 साल तक एक ही स्थान पर जमे रहते हैं। उनको आपको 5 साल बाद या दो साल बाद एक दूसरे के स्थान पर स्थानातरित कर दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार मान्यवर, आपके यहां जो प्रमुख अभियता है उसके दो तथा पद जो ई0एम0सी0 सिंचाई के हैं, वह खाली पड़े हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उन रिक्तपदों को भरा जाना चाहिए। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अक्सर यह देखा जाता है इन पदों पर जिनकी नियुक्ति की जाती है उनका कार्यकाल 3-4 माह ही शेष रहता है तब उनकी नियुक्ति की जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप को इस रिक्त पदों पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए जिनका कार्यकाल कम से कम 3-4 साल शेष रहता हो ऐसा करके आप उनकी जवाब देही सुनिश्चित कर सकते है लेकिन जिनका कार्यकाल सिर्फ 3-4 माह ही शेष रहता है उनकी जबाब देही क्या होगी? इस प्रकार आप अपने ई0एन0सी0 की जाता के प्रति विभाग के प्रति जबाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं।

मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस विभाग में जो कार्य कराये जाते हैं, उामें 5 परसेट जे0ई0,3 परसेट ए0ई0 और 2 परसेट एक्शियन कमीशन ले लेता है और जो

मजदूरी होती है उसको मिलाकर कम से कम 20 परसेट की धनराशि कमीशन में चली जाती है। तो जो कमीशन लिया जाता है वह ठेकेदार को दिया जय। यह जो कमीशन लिया जा रहा है इस पर कहीं कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। मेरा माानना है कि यदि आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कमीशन समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कमीशन को जायज करार कर देा चाहिये और लीगलाइज कर देना चाहिये कि इतना कमीशन ले सकते हैं ताकि आय के स्रोत बढ़े और इस पर इनकमटैक्स लिया जा सके ताकि राजस्व की प्राप्ति हो।

श्री हुकुम सिंह-

अगर ऐसा कानून बना दिया जायगा तो दोनों लोग कमीशन लेने लगेंगे।

श्री बी0आर0 वर्मा-

आज कमीशन का मर्ज बढ़ता जा रहा है इसको रोका जाय। देखा यह जा रहा है कि कमीशन अब अधिकार बन गया है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त आज जो हमारी नदियों में गर्मियों के दिन में पानी कम आ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण दिन-प्रतिदिन ग्लेशियर का पीछे खिसकना है और ग्लेशियर के पीछे खिसकने का कारण प्रदूषण है। इसके बारे में, उत्तराखंड तो हमारे पास नहीं है, परन्तु उत्तराखंड हिमालय से नदियां निकलकर आती है, गोमती को छोड़कर तो उत्तराखण्ड से, हिमांचल प्रदेश से हमें बात करके केन्द्रीय सरकार के माध्यम से एक योजना बनानी चाहिए। क्योंकि ग्लेशियर जिस दिन समाप्त हो जायेगें नदियां सूख जायेंगी। और प्रदेश की स्थिति भयावह हो जायेगी। हमारा 7-8 सौ करोड़ वेतन में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता है हमें उनसे काम भी लेना चाहिए। कम पानी में अच्छी सिंचाई हो सकती है, इस दिशा में व्यवस्था करनी चाहिए। आज नहरों से सिंचाई जो की जाती है, फसलों को जितने पानी की आवश्यकता है उससे ज्यादा पानी जाता है और उससे फसल अच्छी नहीं हो पाती है। कम पानी में ज्यादा सिंचाई कैसे कर सकते हैं इस तरह की नीतियों पर चिन्तन होना चाहिए ताकि कम पानी में अधिक सिंचाई हो सके। हम इसका रास्ता निकाले या विदेशी सिस्टम को एडाफ्ट करें या इस दिशा में शोध होना चाहिए ताकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो सके।

यूरिया खाद के बारे में कहना चाहता हूँ यदि बेसिल ड्रेसिंग किया जाए तो अधिक यूरिया लगती है, परन्तु उसको पानी में घोलकर छिड़काव किया जाये तो 1/4 यूरिया लगेगी और खाद की बचत हो जायेगी। इस तरह की विधियों को आज दुनिया के तमाम देशों में प्रयोग में लाया जा रहा है। अपने संसाधनों को देखकर हमें ऐसी विधाओं का विकास करना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो सके। एक चीज और कहूंगा कि आज सिंचाई परियोजनाओं में खास तौर से जो 33 परियोजनाएं लम्बित पड़ी है उसको पूरा कराने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेना चाहिए। निजी क्षेत्रा से पूंजी निवेश कराकर इस क्षेत्र में हमें निवेश की संभावनायें तलाश करनी चाहिए।

मान्यवर, निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिये निवेशकों को आमंत्रित करना चाहिये। अगर इस दिशा में पूँजी निवेश सरकार करा सके तो इससे बड़ा लाभ होगा। नहरों की पटरियों को पिच कराने का काम नहीं बन्द करना चाहिए इससे दो प्रकार के फायदे होते हैं, एक तो नहरों की पटरियां पक्की होने से लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होती है, दूसरे जो नयी सड़कों के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, और जिसकी पूर्ति खेतों की जमीन लेकर की जाती है, वह जमीन बचेगी और नहरों की जो पटरियां है वह भी मजबूत बनेगीं। मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी इस काम के लिए सिंचाई विभाग को पैसा दें। मैं जानता हूँ कि आपके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है लेकिन यदि इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था की जा सके तो जरूर करनी चाहिए। आपकी कुछ नहरें बनी हैं उनमें टेक्निकल डिफेक्ट है उदाहरण के लिए शारदा नहर है, उसमें सिल्ट इंजेक्टर गलत तरीके से लगाया गया है उसकी वजह से नहर की सिल्ट रिजेक्ट नहीं होती है और वह नहरों में जमा होती है। ऐसी परियोजनाएं बनाने के पहले जो आपका सिसर्च विंग है, रूढ़की में हैं वहां से. और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए। मेरी जानकारी है कि इस काम में केवल एक सोज बनाया गया है, जबकि दो सोज बनाने की आवश्यकता थी। विदेशी विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया

था लेकिन उस पर काम नहीं हुआ जब ऐसी परियोजना बनें तो उसमें विशेषज्ञों की सहायता अवश्य लेनी चाहिए ताकि परियोजना का फेल्योर न हो, काफी चिन्तन और सोच समझकर ऐसे काम किये जायें।

अन्त में एक बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा, आपके 32,000 नलकूप हैं इसके बारे में कोई न कोई रास्ता निकालाना चाहिए ताकि सिचाई के काम में इनका उपयोग हो सके। इस संबंध में जब आप अपना उत्तर भाषण दें तो इसका जबाब दें। मैं एक बार पुन: वित्त मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके विभाग को अधूरी परियोजनाओं के लिए धन दें चाहे उसके लिए ऋण लें या किसी अन्य माध्यम से धन उपलब्ध कराये जिससे संसाधन आपके विभाग को दिये गये हैं, जो आपकी लम्बी चौड़ी फौज है उसके लिए वह कम नहीं हैं। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 10 सौ करोड़ रूपये रखे गये हैं। मैं चाहता हूँ कि इस धनराशि को कम से कम 20 सौ करोड़ करना चाहिए ताकि परयोजनाओं के निर्माण कार्य पूरे हो सके। मैं इतना अनुरोध करते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री ओम प्रकाश सिंह

मान्यवर, मुझे बहुत ही बल मिला है जिसकी मैं कल्पना नहीं करता था, इस बजट पर जितने माननीय सदस्यों ने विचार रखे सबने मेरे प्रयासों को स्वीकार किया है। यह मेरे लिए गौरव की बात भी है और इससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने अपने बजट भाषण में कहा था उससे भिन्न कुछ नहीं कहा गया है। जो कमियां थीं मैंने उसके बारे में पहले ही कह दिया था। माननीय सदस्यों ने जो अपनी पीड़ा रखी है उसको मैं महसूस करता हूँ। इस चर्चा में जितने माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनमें से जो यहा पर उपस्थित हैं और मुझे सहयोग दें रहें हैं, इसके अलावा जो उपस्थित नहीं है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

जो आप सबने मेरे प्रयासों के प्रति विश्वास व्यक्त किया है व जो इच्छाएं व्यक्त की हैं उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा ताकि इस विभाग में सुधार हो सके। यह विभाग निश्चित रूप से इस प्रदेश के गांव और किसान की समृद्धि का आधार है यह बात कही गई कुछ लोगों ने कहा कि फसलों को पानी नहीं मिला, कुछ लोगों ने कहा कि नहरों में पानी नहीं आया, कुछ लोगों ने कहा कि टेल तक पानी नहीं आया। अगस्त के बाद से लेकर मार्च तक बल्कि अप्रैल तक जब फसल पकती है, कटाई शुरू होने तक वर्षा नहीं हुई इस प्रदेश की नदियों में यमुना है, शारदा है 60-65 प्रतिशत पानी कम आया दिसम्बर से मार्च तक गंगा जैसी नदी में 50 प्रतिशत के आस पास लम्बे समय तक पानी रहा एक समय ते ऐसा आया कि 45 प्रतिशत पानी रह गया उसके बावजूद पानी की कमी के बावजूद किसी क्षेत्र की फसल सूख गई हो यह न पहले सूचना थी न आज सूचना है। यह निश्चित रूप से श्रेय जाता है उस परिश्रमी किसानों को उसके पुरूषार्थ को व नहर क्षेत्र की व्यवस्था का। विभाग के इंजीनियरों ने पानी पहुँचाने की कोशिश किया गंगा से पानी चाहे यमुना में देना पड़ा घाघरा से पानी अन्य प्रदेश में देना पड़ा हो किसानों की फसलें सूखने नहीं पाई अवषेण के बावजूद फसलें सूखने नहीं पाई। मैं आप सबका पत्र लिखता रहता हूँ पत्र के माध्यम से प्यार बनाए रखता हूँ, सम्बंध बनाए रखता हूँ।

यह प्रथम चरण है बरखूराम वर्मा जी ने कहा भी कि यह स्वस्थ परम्परा है उन्होंने यह भी कहा कि औपचारिकता के नाते कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने एक-एक बहुमूल्य सुझाव दिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके सुझावों को ध्यान में रखूँगा। पूरे सदन का लक्ष्य एक ही है कि किसान की समृद्धि हो। सन् 2020 में ढाई गुना खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमने खाद्यान्न में उपज नहीं बढ़ाई तो हमें दूसरी जगह से खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा इस समय तो हमारा खाद्यान्न सरप्लस है। जो टेल तक पानी पहुँचने की बात है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इलाहाबाद हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, इन जिलों में पानी की कमी है यह हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यह टेल में है। वर्मा जी आप स्वयं उस समाज की चिन्ता करते हैं जो टेल के सम्बन्ध में रखता है चाहे समाज हो प्रकृति या परिवार, या नहरों की बात टेल वाला हमेशा घाटे में रहता है समाज का दलित वर्ग टेल ही है। या परिवार का छोटा लड़का टेल ही है यह तब हमेशा घाटे में रहते हैं। टेल तक के किसानों को पूरा पानी मिल सके इसके लिए एक परियोजना बनाई गई है उसमें नाबार्ड से पैसा लाने का प्रयास कर रहे हैं समाज की चाहे जो प्रकृति हो

या प्रकृति की भले ही प्रकृति हो लेकिन हम टेल तक के किसानों का पानी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। समाज में जो ऊपर के लोग हैं वह दूसरों का हक मार लेते हैं। पिछले 10 वर्ष में दो फसल का क्षेत्र बड़ा है यह 60 से 80 प्रतिशत हो गाया जहां दो फसलें हो गई।

इसका मतलब है कि जितनी परियोजनायें बढ़ रहीं है पानी जहां बढ़ रहा है वह पानी वे लोग पी रहे हैं जो पहले से सम्पन्न है। यह सब कमियाँ हैं हमारे समाज में जहाँ अधिक पानी है वहाँ के किसान जबरदस्ती पानी ज्यादा ले रहे हैं और कुछ क्षेत्र जैसे कानपुर बुन्देलखण्ड के लोग तो लट्ठ मारकर ले रहे हैं वहाँ तक कि वे यह भी नहीं चाहते कि यदि हम पानी ले रहे हैं तो किसी तरह से पडोस के गांव का आदमी पानी न ले पाये तो सामाजिक विकृतियाँ भी परिलक्षित हो रही है।

अभी सुझाव आया कि चम्बल का पानी घाघरा में डाल दिया जाय तो यदि वहाँ पर पानी होता तो मैं जरूर डालता लेकिन वहाँ पानी है नहीं। एक तो चम्बल में वैसे ही विवाद चल रहा है। यह भी कहा गया कम बजट है परियोजनायें कैसे पूरी होंगी तो मैं काम में विश्वास करता हूँ। खाली घोषणाओं पर नहीं। क्योंकि आज घोषणाओं पर से राजनीतिज्ञों पर से आम आदमी का विश्वास उठता चला जा रहा है। मैंने पिछले चार साल में जिन जिन परियोजनाओं के लिए कहा उसे पूरा किया यह प्रभावित करता है धन की कमी परियोजनाओं की प्रगति में बाधक नहीं बनेगी और न बनने दिया जायेगा न बनने दिया गया हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं अपने चार साल के अनुभव के आधार पर। नई सिंचाई प्रणाली की बात कही गई तो इसके लिए प्रयास हो रहे हैं और इसके लिए किसानों में जागरूकता की आवश्यकता है। इसलिए हमने किसान कृषक सहभागी सिंचाई व्यवस्था माइनर रजवाहा क्षेत्र में किसानों की समिति बनाई है उनको हम ब्लाक लेबिल पर प्रशिक्षण देंगे इसके लिए बीडियो फिल्म बना ली गई है पहले हम कमिश्नरी लेबिल पर अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे फिर हम ब्लाक लेबिल पर। आज किसानों की धारणा है खूब पानी है तो खूब दें दों लेकिन अब खूब पानी नहीं है अब हमारे पास आवश्यकता ज्यादा है और पानी कम है यह उन्हें समझाना है। यह पानी बढ़ने वाला नहीं है हमारी आवश्यकतायें जरूर बढ़ आयगी आबादी, बढ़ जायेगी, खाद्यान्न की मांग बढ़ जायेगी। इसलिए हमें कम पानी से ज्यादा काम लेना होगा। हमसब मिलकर प्रशिक्षण करेंगे समझेंगे और दूसरो को समझायेंगे। एक बात माननीय सदस्य बरखू राम जी ने कही कि शारदा और अन्य परियोजनाओं का गलत नियोजन हुआ है। अगर गलत नियोजन न हुआ होता तो आठ से दस गुना दाम न बढ़ जाते। लेकिन अब गलत नियोजन नह। है। हमने इसे सही रास्ते पर ला दिया है। नेपाल की बात कही गई तो यह दो राष्ट्रों के बीच की बात है और मान्यवर, राजनीति हर जगह है इस मामले में भी है और विरोध भी है। इस समय आपको अवगत कराना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के साथ पानी के मामले पर ही नेपाल में लोगों ने पोलिटिकल इश्यू खड़ा कर दिया है। मैं केन्द्र सरकार को बधाई दूँगा कि नेपाल के साथ अब तक लगभग आधा दर्जन बैठके हो चुकी है और हम भी प्रयास कर रहे हैं इस मामले को सुलझाने में। हमारा प्रयास है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ के प्रभाव से मुक्त हो। विश्व बैंक की बात पूछी गई। विश्व बैंक के साथ हम समझौता करने की प्रक्रिया चला रहे हैं। विश्व बैंक का पैसा हम केवल इसलिये ले रहे हैं कि इस प्रदेश की नहरें जो कोई 150 साल, कोई 100 साल पुरानी हैं, कई जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश को क्रमवार 3-4 फेसेज में प्रत्येक नहर को रिमोडलिंग करेंगे। किसानों को पानी अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिये पूरा पूरा प्रयास करेंगे और जो पानी हमको मिल सके, इसके लिये पूरा-पूरा प्रयास करेंगे और जो पानी हमको मिले उसका पूरा-पूरा सदुपयोग हो सके। पर्यावरण सही हो, रहन-सहन सही हो, यह सब इस परियोजना के अन्दर है। यह योजना 2-2½ साल से परीक्षण में चल रही है। अभी यह फाइनल स्टेज पर पहुचने वाली है। इसके लिये 6 हजार करोड़ रूपया मिलेगा। 500 करोड़ रूपया फर्स्ट फेज में मिलेगा। समझौता हो गया तो जो पहले गरीब क्षेत्र हैं, गोमती बेस्ड बहराइच, सुल्तानपुर जौनपुर को इसमें लिया गया है। इसमें विकास करने के बाद आगे के क्षेत्रों में काम करेंगे। शर्त यह है कि जितनी जल्दी पैसा आयेगा उसका हम जितनी जल्दी सदुपयोग कर लेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमको दूसरे चरण का पैसा मिल जायेगा। यह योजना ठीक ढंग से लागू हो, इसके लिये हमने अपने यहां के जो

ए0ई0 नियुक्त होकर आये हैं, टैलेन्टेड हैं 40-45 को चिन्हित किय. है कि यही इस योजना को देखेंगे इसी के हिसाब से इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आगे यही एक्स0ईन0 और एस0ई0 बनेंगे।

हम चाहते हैं कि जब तक यह योजना उत्तर प्रदेश में लागू हो इस पर हमारे ही लोगों का नियंत्रण हो, बाहरी किसी को इसमें न बुलाया जाय। हम चाहते हैं कि विश्व बैंक हमको पैसा दे और नियंत्रण इसमें हमारे इन्जीनियर्स का हो, हम चाहते हैं कि वे इसमें विशेषज्ञ हो जायं। अभी पैसा नहीं आया है लेकिन हम इस योजना के लिये अपने इन्जीनियर्स को अभी से उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। यह 40-45 इंजीनियसर्य जिनको हमने संलेक्ट करके ट्रेनिंग दे रहे हैं वे विश्व बैंक की इसी योजना का काम देखेंगे। हमको लगता है कि सबका मत बना तो इस पैसे को प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के इन्जीनियर्स ही इसको चलायेंगें यह हमारा संकल्प है, इच्छा है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसको बाहर के लोग नहीं चलायेंगे। दूसरी एक बात आरक्षण कोटे की कही गई। यह तो बहुत अच्छी बीमारी है। यह बात सही है, इसीलिये भारतीय जनता पार्टी संध संगठन की सरकार केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहती है कि उन्होंने इस आरक्षण के कोटे को पूरा करने के लिये संविधान तक को संशोधित किया है। इसलिये हमने यह सिर्फ भाषण में ही नहीं कहा कि हम हिमायती है दलितों के बल्कि संविधान में संशोधित करके दिखा दिया है। प्रोन्नति में 50 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

जो इसका परिणाम है, वह आपकी यह बजट पुस्तिका बता रही है कि यह कोटा पूरा नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अगर कोटा हर जगह पूरा होता तो केन्द्र सरकार को निर्णय क्यों लेना पड़ता। कमियां रही हैं, आरक्षण भरने का, प्रोमोशन देने का काम 1,2,3 साल का काम नहीं है। यह तो आप हम मिलकर दूर करें। जिन्होंनें इसको दूर नहीं किया उनको जनता सिखा रहीं है। हमको आपको इस गरीब दलित के बारे में, जिसको मिलना चाहिए, संविधान के जिसको हक दिया है, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं दिया गया है, उन्हें देने के लिये सब चुनौती स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार ने कोटा भरने का निर्णय लिया चाहे कोई नाराज हो या कोई खुश हो। हम कोटा पूरा करेंगे। आपने ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या इस आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिये कोई विशेष अभियान चलाने की योजना है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रमोशन के जो कोटे हैं उन्हें जो भर्ती हैं, कार्यरत हैं उन्ही में से करना होगा। डायरेक्ट तो होगा नहीं। ध्यान दिलाया गया है, निश्चित रूप से इसका विशेष ध्यान रखेंगे।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मैं आपकी अनुमति से एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूँगा जिन पोषक संवर्ग में डायरेक्ट भर्ती है जब बहन मायावती जी की सरकार थी और सिंचाई मंत्री जी थे तब विशेष अभियान चलाकर वैकवर्ड और शिडयूल कास्ट के लोगों की भर्ती करने का काम किया था।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आप जे0ई0ए0ई0 की बात कर रहे हैं यह कोर्ट में है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

स्पष्टीकरण तो सदैव मांगा गया है इनसे कोई स्पष्टीकरण मांगे इनको दो-दो बार अवसर मिला उस समय के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के साढ़े चार साल के आंकड़ों को देख लीजिए सब पता लग जाएगा। सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले लोग दलितों के वोट के सौदागरों ने इनके साथ न्याय नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने न्याय किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इनके बोलने के लिये अच्छा समय नहीं है।

डा0 समरजीत सिंह डंग-

खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। कोई तर्क तो मिल नहीं रहा है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

डंग जी सक्षम हैं सिंचाई विभाग का उत्तर देने के लिए इनको सिंचाई विभाग का उत्तर देना चाहिए था। यह सिंचाई विभाग की प्रगति रिपोर्ट है यह बता रही है कोटा आरक्षण का किससे पूरा किया है। कौन उनका हित चाहने वाला है कौन हित चाहने वाला नहीं है जो माई होगी वह माई रहेगी जो दाई होगी वह दाई रहेगी, दाई कभी माई नहीं बन पाएगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सींचपाल को भेजने का प्रयोग निश्चित रूप से सफल नहीं हुआ। इसके लिए फिर विचार कर रहे हैं एक नलकूप की बात कही गई नलकूप सिचाई विभाग में था तो भी कम आलोचना नहीं होती थी, तब कहते थे 30 प्रतिशत बन्द हैं 50 प्रतिशत बन्द हैं 40 प्रतिशत बन्द हैं 20 प्रतिशत तो शायद ही किसी ने कहा हो। नलकूप दूर-दराज गांव में खेतों में लगे हैं विभाग उनको नहीं देख पा रहा है। हर सरकार में यही हालत है इसका मतलब यह है कि दूर-दराज में होने के कारण ऐसा होता है। हमें ग्राम पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा यदि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा तो अधिकार और दायित्व दोनों को देंगे दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग अधिकार तो लेना चाहते हैं लेकिन दायित्व लेना नहीं चाहते हैं। बिना दायित्व के ग्राम पंचायत सुदृढ़ नहीं होगी। ग्राम पंचायत का विकेन्द्रीकरण हुए बगैर वह सुदृढ़ नही हो सकती है। कहा जाता है कि गांव की प्लानिंग ऐयरकंडीशन में बैठकर बनती हैं इस सरकार ने विकेन्द्रीकरण किया और जो गांधी जी का स्वप्न था, गांधी जी के अनुयायियों ने तो उसको पूरा नहीं किया लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस स्वप्न को पूरा किया है। प्रधानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिनको लाभ लेना है वह नहीं देख पा रहे हैं तो कर्मचारी देखने में सफल कैसे होंगे। इसीलिए नलकूप व्यवस्था उनको दी गई है। अभी भी प्रयास हो रहा है कि वह रूचि लें और नलकूप चलवाएं नलकूप व्यवस्था अभी वापस नहीं ले रहे है इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, वाटर लोगिंग की बात कही गयी। जब लाइनिंग होती गयी तो सीपेज कम होता गया। मैं बताना चाहता हूँ कि लखीमपुर में पहले 2,525 हेक्टेयर था अब घट करके 853 रह गया है। सीतापुर में 6,262 हेक्टेयर था अब वह 1,713 रह गया है, बाराबंकी में 3,035 हैक्टेयर था अब वह 118 हेक्टेयर रह गया है। रायबरेली में 700 था अब वह घटकर 169 हेक्टेयर रह गया है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर में 4,517 रह गया है। जब से लाइनिंग हुई सीपेज कम हो गया है। एक योजना और विचाराधीन है। जो नहर सीपेज के कारण अगल बगल जल भराव हो रहा है उस पर भी धन दे रहे हैं। बर्ल्ड बैंक की स्कीम से दे रहे हैं। संकल्प यह है कि जल जमाव से कृषि योग्य भूमि नष्ट हो रही है उसको कृषि योग्य बनायें, पानी पहुचाने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ायें। यह लक्ष्य लेकर सिंचाई विभाग काम कर रहाहै। तालाबों की बात आयी कि पानी नहीं जा रहा है। इसके आदेश हो गये हैं। 15 मई से तालाब भरे जायें इसका प्रयास होगा। यह कहा गया कि दस साल पन्द्रह साल से जो जे0ई0 एक जगह कार्यरत है, मुझे नहीं लगता है कि होंगे, दोबारा आ गये होंगे। शारदा यहायक खंड-41 की बात कही गयी है हम इसको दिखवा लेंगे। अगर कोई होगा या और कहीं भी कोई लम्बे समय से होगा तो उसको हटाने का नीति है। लेकिन इस अवसर पर एक बात करूंगा कि मैं नीति का कड़ाई से पालन करना चाहता हूँ और नीति भी बनाना चाहता हूँ लेकिन मान्यवर, राजनीति दबाव का क्या करूं? 250 से ऊपर पत्र मिल चुके हैं। रोज ही मिलते हैं और आप तो जानते हैं कि मैं कड़ाई से पालन करने के लिए बुरा बनता हूँ लेकिन फिर भी नीति का पालन करता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द हो जाये तो इन अधिकारियों को नेकनीयती पैसा का उपयोग करने के लिए तथा किसान के धर जाने के लिए बाध्य कर दूँगा। ठेकेदारी की बात आती है आप जानते हैं कि उसके पीछे क्या है? यह सबके सोचने का विषय है जिस तरह से गुणवत्ता और नियमों में हस्तक्षेप हो रहा है यह पूरे समाज के लिए, प्रशासन के लिए स्वस्थ नहीं है। मेरा तो अनुभव है कि जितने खराब है उसकी उतनी ज्यादा राजनैतिक सोर्स है। ईमानदारी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। उसके लिए एक दो ही लिखते हैं क्योंकि वह किसी के पास जाता ही नहीं है। तो जो कदाचारी है, स्वार्थी है वहीं सब वहाँ दौड़ते हैं। मान्यवर, एक

एक्स0एन0वे दो साल रहते 11 सांसदों से लिखवाकर लायें। कई मंत्रियों, सांसदों और राज्य मंत्रियों ने लिखा था लेकिन मैंने उससे यह कहा कि इतना सोर्स लगाते हो, आज दो साल से वह अटैच्ड हैं।

मान्यवर, मैं तो कहता हूँ कि नियम से सब हो यह अधिकारी किसी के नहीं है सबको मिलकर उनके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास करना है लेकिन अगर पीठ पर हाथ हो जाता है तो निश्चय ही वह मजबूत हो जाता है और इस मजबूती को कम करने की आवश्यकता है तब निश्चय ही सब व्यवस्था ठीक हो जायेगी। अभी बात आयी कि सिंचाई की सफाई का पैसा प्रधान खा गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

उसका पेमेन्ट ही नहीं हुआ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जन प्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा अगर वे गलत हो जायेगा तो व्यवस्था निश्चित रूप से गलत होगी पद रोब से नहीं पद में प्रेरणा से काम चल सकता है प्रभाव से काम चल सकता है। अगर पंद का दुरूपयोग होता तो विकृतियां आयेंगी। मान्यवर, बाल संरक्षण कार्यो की बात आयी यह निर्देश है और सूची भी दी है कि 15 जून तक काम हो जाना चाहिए और 20 से 30 जून के बीच एक-एक काम की चेकिंग करायेंगे और अगर पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से दंडित होंगे। मान्यवर, निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है लेकिन निजी क्षेत्र को लाभ न होने के कारण बहुत प्रोत्साहित नहीं है उसको लाभ देंगे तो शासन को भार बहन करना पड़ेगा सिंचाई दर बढ़े तो यह भी किसान के हित में नहीं है। मान्यवर, तालाब और पोखरों के पुनर्उद्धार की बात कही गयी केन्द्र सरकार इस पर पैसा दे रही है 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से 5 साल में 27 करोड रूपये देने का निर्णय लिया गया है 5.39 करोड़ रूपये उपलब्ध है लेकिन यह पैसा ग्राम्य विकास विभाग को दिया गया है। मान्यवर, बहुत से छोटे-छोटे कामों की चर्चा की गयी यह बात सही है कि पैसे की कमी है। हमें बड़ा काम करने दीजिये इन छोटे कामों के लिए विधायक निधि से सहयोग मिल जाये तो उत्तम होगा। माननीय बी0आर0वर्मा जी ने कहा कि बजट बढ़ा दिया जाये हमने वित्त मंत्री जी से कहा है हम लोग बैठक तय करते है लेकिन विधायक निधि तो निश्चित है कम से कम 25 प्रतिशत अपना दे दें तो पैदल पुलिया आदि की मरम्मत और निर्माण हो सकता है। मैं पुन: जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ निश्चय ही सबके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। कहीं कमियां हैं कहीं अच्छाइयां है सबका सहयोग जरुरी है मान्यवर. भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो सर्वत्र व्याप्त हो रही है यह एक दो के करने के नहीं सबके संकल्प से इस पर अंकुश लगेगा। आइये सब संकल्पित होकर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगायें ताकि एक-एक पैसे का उपयोग हो और सिंचन क्षमता में उन्नति के लिए वह काम आये।

मान्यवर, माननीय बी0आर0 वर्मा जी से आग्रह करूँगा कि कृपया अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और पूरे सदन से आग्रह करूँगा कि इस बजट को पारित करायें।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बी0आर0 वर्मा जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री बी0आर0 वर्मा-

एक हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर दो हजार करोड़ रूपये कर दें तो मैं प्रस्ताव वापस लें लूँगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव की परिभाषा से माननीय सदस्य कहते हैं कि सारा बजट घटाकर एक रूपया कर दिया जाये माननीय वर्मा जी कह रहे हैं कि इसे बढ़ाकर दो हजार कर दिया जाये तो सबकी समझ में यह आ रहा है कि स्वयं कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहें हैं तो मुझे लगता है कि कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की इनकी पूरी मंशा है एक वाक्य कृपापूर्वक कह दें कि ले रहे हैं।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विभाग का पैसा 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया जाय तो मैं कटौती का प्रस्ताव सहर्ष वापिस लेने को तैयार हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या-93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,37,65,54,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-10 (2)

.माननीय वर्मा जी, कटौती का प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं तो सहर्ष कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन माननीय वित्त मंत्री की कृपादृष्टि किसानों के ऊपर, उनकी समृद्धि पर नहीं हो रही है इसलिये मैं मजबूर हो रहा हूँ। मैं कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने में असमर्थ हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या - 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान केंअधीन मॉग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अनतर्गत होने वाले परिव्यायों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,48,11,95,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आज की कार्य सूची की मद संख्या-10 (3) अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) का स्थगन कर 24 मई 2001 की कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता-

यह निर्णय लिया गया है कि आज की कार्यसूची में मद संख्या 10 (3) पर उल्लिखित अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) की मॉग पर चर्चा और मतदान आज स्थगित कर दिया जाय। उक्त अनुदान की मांग 24 मई, 2001 की कार्य-सूची में पूर्व निर्धारित विभागों कं अनुदान की मांगों से पहले रखी जायेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 18 मई,, 2001 को नियम-51 के अन्तर्मत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई। निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई:-

1-श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मानक एवं नियमों के विरूद्ध रीडर एवं प्रवक्ताओं की नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

2- श्री रूप चौधरी — जनपद गाजियाबाद में घटिया निर्माण सामग्री से बहुमंजिली इमारतों के बनाये जाने से भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3- डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — प्रदेश के छह जनपदों का नया परिसीमन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4- श्री श्रीराम पाल — जनपद जालौन के थाना-कदौरा के ग्राम-चतेला निवासी भारतीय सेना के जवान श्री नसीम अहमद एवं उनके परिवारजनों को पुलिस द्वारा उत्पीड़त किये जाने के सम्बन्ध में।

5- श्री रामचन्द्र यादव — निदेशक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान हेतु किये गये आयोजन में शासन द्वारा स्वीकृत धन का दुरूपयोग एवं अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

6- श्री अजय कुमार पोइया — व्यापार कर अधिनियम को धारा-4 'ए-ए' के प्राविधानों की विसंगितयों के सम्बन्ध में !

7- श्री प्रभु नारायण सिंह यादव — जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां, अन्तर्गत ग्राम सभा-चकना में हुए अग्निकाण्ड के प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा राहत एवं समुचित सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई:-

1- श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कैरोसीन आयल मानक के अनुसार वितरित न किये जाने के सम्बंन्ध में।

2- श्री बिन्दु लाल — जनपद बलरामपुर की सीमा से लगी सिद्धार्थनगर की सीमा पर बांध बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3- श्री सौलत अनी एडवोकेट — श्री अनीस अंसारी, श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 शासन द्वारा आल इण्डिया सर्विस (कन्डक्ट) रूल्स, 1968 का उल्लंघन करके बाम्बे मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि0 बम्बई के निदेशक पद का चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में।

4-श्री उदयराज यादव — अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम में किये जा रहे करोड़ों के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5- डा0 पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदासनगर भदोही में बेसिक शिक्षा कार्यालय में लेखाधिकारी वित्त के न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6- श्री दद्दू प्रसाद — जनपद चित्रकूट की तहसील कर्बी अन्तर्गत ग्राम-निही में कोलों की भूमि को बड़े काश्तकारों द्वारा अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7-श्री विजय पाल सिंह — लोक निर्माण विभाग खंड-2 आगरा द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8- श्री भीम प्रसाद सोनकर — अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित, सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

1- श्री संजय गर्ग — सहारनपुर नगर में यातयात की समुचित व्यवस्था हेतु वाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में।

2- श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद — जनपद बुलन्दशहर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी द्वारा अधीनस्थों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3-डा0 अशोक बाजपेयी — कानपुर महानगर में डा0 वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल की बस द्वारा दो मासूम बच्चों की कुचल कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में

4- डा0 धर्मज्ञ मिश्र- जनपद हरदोई में नगर पालिका परिषद, बिलग्राम के खराब नलकूपों की रि-बोरिंग न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5- श्री रामवीर सिंह — जनपद फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्रान्तर्गत अरेन्द्र नदी की सफाई तथा नहरों की पटरियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

6- .चौधरी बाबू लाल — जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत खारी नदी पर चैकोरा-मोरी चैक डेम के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचानायें अस्वीकृत हुई। इनके नाम हैं माननीय श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री अकबर हुसैन, श्री बाबू लाल कुरील, आचार्य रामदेव वैश्य, श्री विनोदमणि, श्री श्रीराम पाल, श्री रामकुमार एडवोकेट, श्री अरविन्द गिरि तथा श्री रामतेज यादव।

अब हम उठते हैं. 21-5-2001 को पुन: 11.00 बजे बैठेंगें।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 3 मिनट पर सोमवार दिनांक 21 मई 2001 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 18 मई , 2001

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–एल०–304 विधान सभा (521)–3-1-2002–813 (डी०टी०पी०)